Friday, 19 December, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated On 3.3.84
Parliament Library

[खंड 35 में अंक 21 से 29 तक है / Vol. XXXV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

19 दिसम्बर, 1969 । 28 अग्रहायण , 1891 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(xiii)	पंक्ति 3 , `4674 ` के स्थान पर `4676 ` पढ़िये ।
(xxi)	22 वीं पंक्ति के बाद `श्री स.कुण्डू Shri S. Kundu श्री शिव चन्द्र झा Shri Shiv Chandra Jha भी पढ़िये ।
33	पंक्ति 4 , ` 12 1 ` के स्थान पर `12 4 `पढ़िये । `4 1 ` के स्थान पर `4 4 ` पढ़िये ।
135	पंक्ति 3 , `11961 ` के स्थान पर `11967 ` पढ़िये ।
140	पंक्ति 10 , ` Kali Pershad के स्थान पर ' Bali Prasad ' पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 25, शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 1969/28 अग्रहायण, 1891 (शक)

No. 25, Friday, December 19, 1969/Agrahayana 28, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
691. निवारक निरोध अधिनियम	Preventive Detention Act ..	1—9
692. बिहार के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption Charges against Officials in Bihar	9—12
693. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	IAS Officers on Deputation to Public Sector Enterprises	13—18
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
3. अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में 'रिवाल्विंग टावर'	Revolving Tower in Ashoka Hotels Ltd., New Delhi ..	18—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
694. कुड्डालोर पत्तन का विकास	Development of Cuddalore Port	22
695. आयोगों / समितियों में न्यायाधीश	Judges on Commissions/Committees	22
696. आसाम के लिये पर्वतीय राज्य	Hill State for Assam	22—23

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
697. भारत तथा लातीनी अमरीकी देशों के बीच सीधी नौवहन सेवा	Direct Shipping service between India and Latin American countries	23
698. खूनी क्रान्ति के लिए माओ नक्सली-साम्यवादी लोगों की तैयारियां	Preparations of Maoist-Naxalite communists for bloody revolution ..	23—24
699. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति का प्रतिवेदन	Banaras Hindu University Inquiry Committee's Report ..	24
700. भारत में बड़े जहाजों का निर्माण	Building of Large Ships in India	24—25
701. तटीय नौवहन का विकास	Development of Coastal Shipping	25
702. विदेशी धर्मप्रचारकों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियां	Anti-National activities of Foreign Missionaries	25—26
703. नवम्बर, 1969 में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in National Integration Council meeting held in November, 1969	26
704. पुलिस दल के आधुनिकीकरण के लिये पुलिस आयोग की स्थापना	Setting up of a Police Commission to Modernise Police Force	26—27
705. कलकत्ता में टर्मिनल भवन	Terminal building at Calcutta	27—28
706. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अधिकारियों के विरुद्ध संसद सदस्यों की शिकायतें	Complaints from Members of Parliament against officers of IAC ..	28—29
707. बड़े पत्तनों पर माल का उतारना व लादना	Goods handled by Major Ports	29
708. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए समुद्रपार छात्रवृत्तियों के हेतु छात्रों का चयन	Selection of Scholars for Overseas Scholarships for Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	29—30
709. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में क्षेत्रीयकरण योजना	Zonalisation Scheme in Central Secretariat Service ..	30
710. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में भर्ती	Recruitment to Central Reserve Police ..	31

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
711. दिल्ली के विकास का प्राचीन स्मारकों पर होने वाले प्रभाव के बारे में सर मोरटिमर व्हीलर का मत	Observations of Sir Mortimer Wheeler on the effects of growth of Delhi on its Ancient Monuments ..	31
712. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास के सम्बन्ध में टाटा समिति की रिपोर्ट के बारे में डाक्टर रिचर्ड बक मिनिस्टर फुलर का मत	Assessment of Dr. Richard Buckminister Fuller on Tata Committee Report on Development of International Airports ..	32
713. देशबन्धु कालेज, नई दिल्ली के प्रबन्ध का दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरण	Transfer of Management of Deshbandhu College, New Delhi to Delhi Administration ..	32—33
714. उत्तर बंगाल में विमान सेवाओं में विलम्ब और उनका मन्सूख किया जाना	Delays and cancellation of Air Services in North Bengal	33
715. पटना हायर सेकेण्डरी स्कूल में उर्दू तथा बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा का दिया जाना	Imparting of Education through the Media of Urdu and Bengali in Patna Higher Secondary School ..	34
716. राज्य लाटरियों द्वारा उत्पन्न समस्याएं	Problems created by States Lotteries ..	34—35
717. हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के वेतनमान	Pay Scales of Teacher in Himachal Pradesh ..	35
718. दिल्ली से आसाम को जाने वाली पार्श्व (पश्चिम) सड़क परियोजना का निर्माण कार्य	Construction work on Lateral Road Project from Delhi to Assam ..	36
719. दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	Post-graduate correspondence course in Delhi University ..	36
720. छः विश्वविद्यालयों को प्रमुख विश्वविद्यालय बनाना	Conversion of six Universities into Major Universities ..	36—37
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4551. गीता कालोनी और शान्ति वन (दिल्ली) को मिलाने के लिये यमुना नदी पर पुल के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to construct a bridge over river Jamuna Linking Geeta Colony and Shantivans (Delhi)	37—38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4552. दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र के लिये एक महाविद्यालय खोलना	Opening of a College for Trans- Jamuna area of Delhi ..	38
4553. मध्य प्रदेश को मिलाने वाले तटीय राजपथों का निर्माण	Construction of Coastal Highways linking Madhya Pradesh ..	38
4554. मध्य प्रदेश के पर्यटन केन्द्रों पर पहुंचने के हेतु पर्यटकों के लिए परिवहन तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of transport and other facilities for tourists to reach Tourist Centres in Madhya Pradesh	38—39
4555. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में सहायता प्राप्त कालेजों को अनुदान	Grants to aided colleges in Madhya Pradesh by University Grants Commission ..	39
4556. भारत के राष्ट्रपति के स्व-विवेकी अधिकार	Discretionary Powers of the President of India ..	39—40
4557. हिन्दू मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां	Arrest for theft of Hindu Idols ..	40
4558. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों की संख्या	Strength of Central Reserve Police ..	40
4559. गुजरात में एक शिपयार्ड का निर्माण	Building of a Shipyard in Gujarat	40—41
4560. चंडीगढ़ को पंजाब के साथ मिलाये जाने के प्रश्न पर पंजाब बंद	Punjab Band for merger of Chandigarh with Punjab	41
4561. मंत्रालयों में हिन्दी अधिकारियों को दर्शकों से मिलने की अनुमति	Permission to Hindi Officers in Ministries to receive visitors ..	41—42
4562. हिमाचल प्रदेश में बलदेव सिंह की कथित हत्या	Alleged murder of Baldev Singh, Himachal Pradesh	42
4563. इन्जीनियरी डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास करने पर वार्षिक वृद्धियां	Increments to Engineering Diploma Holders who pass A. M.I. E Examination ..	42—43
4564. पेनिसुलर एण्ड ओरियन्टल स्टीमशिप एण्ड नेवीगेशन कम्पनी का भारतीय पत्तनों पर जहाज न लाने का निर्णय	Decision by Penisular and Oriental Steamship and Navigation Company not to touch the Indian Ports	43

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
4565. दिल्ली नगर निगम में सेवा निवृत्तियां	Retirements in Municipal Corporation of Delhi	43—44
4566. दिल्ली/नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों का लगाया जाना	Installation of Statues of National Leaders in Delhi/New Delhi	44
4567. बेपोर पत्तन (केरल) का विकास	Development of Beypore Port (Kerala)	44—45
4568. पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pakistani Nationals	45
4569. सड़क विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के बारे में राज्यों को दिये गये अनुदेश	Instructions given to States to give priority to Developmental Road Works ..	45
4570. शिव सेना के प्रधान को रिवाल्वर रखने की अनुमति	Permission to Shiv Sena Chief to possess a Revolver	46
4571. पिछले मध्यावधि चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा किये गये दौरों पर किया गया खर्च	Expenditure incurred in connection with P. M's Tours during the last Mid-term Election ..	46—47
4572. कोचीन में शिपयार्ड बनाने के बारे में सरकारी दल का जापान का दौरा	Visit of Official Team to Japan regarding setting up of Shipyard at Cochin ..	47
4573. चीनी दूतावास द्वारा सरकारी विरोध की अवहेलना	Government Protest flouted by Chinese Embassy ..	47—48
4574. उत्तर प्रदेश के एक गांव में राष्ट्रीय झण्डे का जलाया जाना	Burning of National Flag in a U. P. Village	48
4575. साउथ कनारा जिले के अधिकारियों को नये निर्माण के बारे में दिये गये निदेश	Directions regarding new Construction issued to South Kanara District Authorities ..	49
4576. 'जिहाद' पुस्तक का पकड़ा जाना	Seizure of Book 'ZEHAD'	49
4577. एक संसद सदस्य के विरुद्ध दुर्भाग्य पूर्ण समाचार प्रकाशित करना	Publishing Malicious Reports against a Member of Parliament	50
4578. सनकराक पार्टी द्वारा हमले	Raids by Sankrak Party	50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4580. चंडीगढ़ में पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का पता लगना	Gang of Pakistani Spies unearthed at Chandigarh	51
4581. गांधी जन्म शताब्दी समारोह	Gandhi Centenary Celebrations	51
4582. लोक सभा के भंग करने से सम्बन्धित राष्ट्रपति के अधिकारों में कमी करने की मांग	Demand for Curb on Powers of President regarding Dissolution of Lok Sabha ..	51—52
4583. शिक्षा का समान पाठ्यक्रम	Uniform course of Education	52
4584. इम्फाल में नागा ठेकेदार से गोला बारूद का बरामद किया जाना	Seizure of ammunition from Naga Contractor in Imphal	52—53
4585. नियुक्ति के मामले में उपकुलपतियों तथा शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों की आयु सीमा	Restrictions on age of Vice-Chancellors and Heads of educational bodies for purpose of appointment	53—54
4586. मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के निकट एक आदिम जाति की लड़की की हत्या	Murder of tribal girl near Mirzapur (U. P.)	54—55
4587. ग्वालियर के महाराजा की सम्पत्ति	Property of Maharaja of Gwalior ..	55
4588. नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया	National Rifle Association of India	55—56
4589. सीमा सुरक्षा दल द्वारा हिन्दू परिवारों की गिरफ्तारी	Arrest of Hindu families by Border Security Force	56
4590. कवि कालिदास के नये जन्म स्थान के बारे में विवाद	Dispute over poet Kalidas's birth place ..	56
4591. बेगम शाहनवाज खां का पाकिस्तान जाना	Visit of Begum Shah Nawaz Khan to Pakistan	57
4592. भारत में तारकोल की और बिना तारकोल की सड़कें	Metalled and unmetalled roads in India ..	57
4593. जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान का प्रभाव तथा साम्प्रदायिकता	Pakistan's influence and Communalism in Jammu and Kashmir ..	57—58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4594. यूगोस्लाविया से जहाजों की खरीद	Purchase of Ships from Yugoslavia ..	58
4595. भारत फिलीपिन सांस्कृतिक करार	Indo-Phillipines Cultural Pact	58—59
4596. इंजीनियरी कालेजों में वरिष्ठ प्राध्यापकों और शिक्षकों की कमी के बारे में सर्वेक्षण	Survey regarding shortage of senior Professors and Teachers in Engineering Colleges	59
4597. अपनी विदेश यात्राओं में प्रधान मंत्री को प्राप्त हुए उपहार तथा उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुएं	Gifts received by Prime Minister and purchases made during her visit abroad	59—60
4598. पाकिस्तान में मणिपुरी युवक	Manipuri Youth in Pakistan	60
4599. केन्द्रीय सरकार लिपिक संघ को मान्यता देना	Recognition to Central Government Clerks Federation	61
4600. जम्मू तथा कश्मीर के लोगों द्वारा फिल्म प्रदर्शन के अन्त में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना	Disrespect of National flag by J & K people at the end of film shows	61
4601. संसदीय कार्यप्रणाली तथा चुनाव पद्धति में सुधारों के बारे में सुझाव देने हेतु स्वतन्त्र आयोग की नियुक्ति	Appointment of an independent Commission to suggest improvements in Parliamentary Working and Election System ..	61—62
4602. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु के अभिलेख में परिवर्तन	Age-alteration by Judges of High Courts ..	62
4604. निवारक निरोध अधिनियम	Preventive Detention Act	62—63
4605. लन्दन स्थित इंडिया आफिस लाइब्रेरी का स्थानान्तरण	Shifting of India Office Library, London ..	63
4606. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान केन्द्रों के निदेशकों द्वारा किया गया कार्य	Work done by Director of Scientific and Industrial Research Centres ..	63—64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4607. बंगलौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना	Conversion of Bangalore University as Central University	64
4608. शिक्षा मन्त्रालय में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश	Orders regarding use of Hindi in Education Ministry	64—65
4609. भारतीय अधिकारियों की विदेशी पत्नियां	Foreign wives of Indian Officers	65
4610. दिल्ली में गणमान्य व्यक्तियों के लिये पुलिस की व्यवस्था	Police arrangements for U. I. Ps. in Delhi..	65—66
4611. यूगोस्लाविया से मालवाहक जहाजों की खरीद	Purchase of Cargo Ships from Yugoslavia ..	66
4612. पंजाब विश्वविद्यालय सिंडिकेट में हरियाणा के प्रतिनिधित्व की मांग	Demand for representation for Haryana on Syndicate of Punjab University	66—67
4613. जलकन्डेश्वर मन्दिर में मूर्ति की स्थापना	Installation of Idol in Jalkandeswar Temple	67
4614. वेतन में से ऋण की राशि की कटौती के बाद हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को कुछ भी न मिलना	Employees of Hindustan Shipyard Ltd., not getting any Money after Loan deductions	67
4615. पर्वतारोहण को लोकप्रिय करना	Popularising Mountaineering	68
4616. एक्रास दि ब्लैक वाटर्स नामक पुस्तक पर प्रतिबन्ध	Ban on Book 'Across the Black Waters'	68
4617. ब्रह्मपुत्र के उत्तरी भाग में विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाएं	Foreign Missionaries in Northern Part of Brahmaputra ..	69
4618. विदेशी पर्यटकों को ठहराने के इच्छुक लोगों के नाम तथा पते	Names and Addresses of Persons with whom Foreign Tourists can stay	69
4619. किराये पर लिये हुए विमानों द्वारा भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists visiting India Chartered Planes ..	69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4620. अपराध तथा दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को प्रतिकर	Compensation to victims of Crimes and Accidents ..	69—70
4621. दिल्ली में पुलिस आयुक्त की नियुक्ति	Appointment of a Police Commissioner in Delhi ..	70
4622. भारत के द्वीपों में सुविधाएं	Facilities in Islands of India ..	70—71
4623. निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ करना	Introduction of free and compulsory Education ..	71
4624. लाला लाजपत राय की मूर्ति	Lala Lajpat Rai's Statue	71
4625. अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के प्रति भेदभाव	Discrimination against employees belonging to Scheduled Castes and Schduled Tribes ..	71—72
4626. राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक	Meeting of National Integration Council ..	72
4627. अंग्रेजी के स्थान पर शिक्षा का माध्यम हिन्दी को बनाया जाना	Replacement of English by Hindi as Medium of Instruction	72
4628. अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में बनाये रखने के बारे में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	Education Minister's Statement regarding continuation of English as Medium of Education ..	73
4629. शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक और भाषा डिवीजनों में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी	Officers and staff working in Administrative and Language Division of Education Ministry ..	73—74
4630. 15 नवम्बर से 25 नवम्बर, 1969 तक देश में बुक किये गये विमान	Chartered Planes Booked in the country from 15th November to 25th November, 1969 ..	74
4631. आसाम में ईसाई लोग	Christians in Assam	74—75
4632. सरकारी संस्थाओं के कारण विदेशी पर्यटको को हुई कठिनाइयां	Difficulties experienced by Foreign Tourists at the hands of Government Institutions ..	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4633.	तुलसीकृत रामचरित मानस (रामायण) की चतुर्थशती समारोह	Celebration of completion 400 years of Ramcharit Manas (The Ramayana) by Tulsidas ..	76
4634.	भारत के संविधान का उल्लंघन	Violation of Indian Constitution	76
4635.	मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak. Nationals in Damoh District in Madhya Pradesh ..	76—77
4636.	उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pakistani Nationals in U. P. ..	76
4637.	मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले में पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak. Nationals in Indore District of Madhya Pradesh	77
4638.	नैनीताल जिले (उत्तर प्रदेश) में नक्सलवादियों द्वारा रायफल ट्रेनिंग कैम्प का लगाया जाना	Organisation of Rifle Training Camp by Naxalities in Nainital District (U. P.) ..	77—78
4639.	कटोरिया होकर बंका से देवघर तक सड़क का निर्माण	Construction of road connecting Banka to Deoghar via Katoria ..	78
4640.	बिहार के भागलपुर जिले में कटोरिया से बेल्हर के लिये एक सड़क का निर्माण	Construction of a road for Katoria Belhar in Bhagalpur District ..	78
4641.	बिहार के बंका तथा देवघर में बन रही सड़कें	Roads under Construction in Banka and Deoghar in Bihar ..	79
4642.	गोहाटी के दंगों के बारे में जांच रिपोर्ट	Enquiry Report into Gauhati Riots	79
4643.	दिल्ली में प्रतिनियुक्ति भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I.P.S. Officers on deputation in Delhi	79—80
4644.	आसूचना विभाग के उप-निदेशक द्वारा प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष के बीच हुई बातचीत का रिकार्ड किया जाना	Recording of Conversation between Prime Minister and Congress President by a Deputy Director of Intelligence Bureau ..	80
4645.	आसूचना विभाग के अधिकारियों को वर्दी भत्ते के भुगतान में विलम्ब	Delay in disbursement of dress allowance to Officers in Intelligence Bureau ..	80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4646. अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दंगों में पाकिस्तान का हाथ	Pak hand in Communal riots in Ahmedabad ..	81
4648. सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति	Re-employment of retired Persons ..	81—82
4649. राज द्रोह अधिनियम	Sedition Act ..	82
4650. आदिवासी लोगों की भूमि को आदिवासियों से भिन्न लोगों को हस्तान्तरित करना	Transfer of Tribal Land to Non-Tribals ..	82—83
4651. नामरूप में दंगे	Riots in Namrup ..	83—84
4652. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरान्त नियुक्ति में विलम्ब	Delay in Appointment after Selections by U.P.S.C. ..	84—86
4653. तेलंगाना क्षेत्र के अंश पर भार्गव समिति का प्रतिवेदन	Bhargava Committee report of Share of Telengana Region ..	86
4654. विज्ञान तथा टेकनालोजी के संबंध में यूनेस्को अनुसंधान विचार गोष्ठी	UNESCO Research Seminar on Science and Technology ..	87
4655. बोइंग 727 की खरीद और बोइंग 727 और टीबू 154 के इंजनों के प्रयोग में तुलनात्मक मितव्ययता के सम्बन्ध में वार्ता	Talks regarding purchase of Boeing 727 and relative Economy in use of Engines of Boeing 727 and TU—154 ..	87—88
4656. विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेना	Students Participation in University Affairs ..	88
4657. प्रधान मंत्री तथा उनके निजी कर्मचारियों और केन्द्रीय मंत्रियों के निवास स्थानों पर व्यय	Expenditure on P. M., her personal staff and Central Minister bungalows ..	88—89
4658. कुतुब मीनार का पुनर्नामकरण	Re-naming Qutab Minar ..	89
4659. दिल्ली के आस पास स्थित प्राचीन स्मारकों का मस्जिदों में कथित परिवर्तन या उनका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग	Alleged Conversion of Old Monuments around Delhi as Mosque or for Commercial Purposes ..	89—90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4660. दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरण	Transfer of Schools run by Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Committee to Delhi Administration ..	90
4661. राज्यों में पर्यटन विकास के लिए कार्यक्रम	Programme for Development of Tourism in States ..	90—91
4662. अन्र्देशीय तथा देशीय हवाई अड्डों पर व्यय	Expenditure on International and Domestic Airports ..	61
4663. बिहार के जेलरों की मांगें	Demands of Jailors in Bihar	92
4664. पटना के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उर्दू और बंगाली का प्रयोग	Media of Instruction in Schools of Patna-Use of Urdu and Bengali ..	92
4665. बिहार में आयुक्तों के पद बढ़ाये जाना	Increase of Posts of Commissioners in Bihar	92—33
4666. आल इंडिया मजलिसे-मुशवरत का सम्मेलन	Conference of All India Majlis-e-Mushawarat	93
4667. विधायकों की हत्या	Murder of Legislators	93—94
4668. हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service Conditions for Employees of Himachal Pradesh Government	94—95
4669. विश्व के वाणिज्यिक नौवहन बेड़े में भारत का हिस्सा	India's Share in World Commercial Shipping Fleet ..	95
4670. विदेशों से पुस्तकों का आयात	Import of Books from Abroad	95—96
4671. शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Translators in Education Ministry	96—97
4672. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के विमान चालकों की मांगें	Demands of IAC and Air India Pilots ..	97—98
4673. भारत-नेपाल सीमा पर राष्ट्र-विरोधी और तोड़-फोड़ की कार्यवाइयां	Anti-National and Subversive activities on Indo-Nepal Border	98
4674. हिमाचल प्रदेश में प्राध्यापकों के वेतन तथा वेतन-क्रमों के सम्बन्ध में विवाद	Dispute regarding Pay and Grades of Lecturers in Himachal Pradesh ..	98—99

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4674. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्	National Council of Educational Research and Training ..	99—100
4677. एशिया एवं सुदूरपूर्व देशों संबंधी आर्थिक आयोग की परिवहन तथा संचार समिति की सिफारिश की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations made by transport and Communications Committee of ECAFE ..	100—101
4678. उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकें लिखने वाले व्यक्ति को डा० की उपाधि का दिया जाना	Awarding of Doctorate to persons writing High-Class Text Books ..	101
4679. प्रधान मंत्री के दौरे पर बिहार सरकार द्वारा किया गया खर्च	Expenditure incurred by Bihar Government on Prime Minister's Tour ..	101—102
4681. कोटा का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Kota as a Tourist Centre	102
4682. शिक्षा मंत्रालय में विभिन्न डिवीजनों और ब्यूरो में कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees in various services and Bureaux in Education Ministry ..	102
4683. हिन्दी टाइप राइटिंग में अखिल भारतीय प्रतियोगिता	All India Competition in Hindi Type-writing ..	102—103
4684. हिन्दी टंकण (टाइप) मशीन का कुंजी फलक (की बोर्ड)	Key Board of Hindi Type-writer Machine..	103—104
4685. हिन्दी की टाइप मशीनों में कमियां	Shortcomings in Hindi Type-writer Machines ..	104—105
4686. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के दो निदेशकों द्वारा त्याग-पत्र	Resignation by two Directors of C.S.I.R. ..	105
4687. बादशाह खान की जम्मू तथा काश्मीर यात्रा	Badshah Khan's visit to Jammu and Kashmir ..	105—106
4688. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए नामनिर्देशित सलाहकार समिति के स्थान पर निर्वाचित परिषद्	Elected Council in place of Naminated Advisory Committee for Andaman and Nicobar Islands ..	106—107
4689. परा-मनोविज्ञान (पैरा-साइकोलोजी) रिसर्च यूनिट, जयपुर को समाप्त करना	Abolition of Para-Psychology Research Unit, Jaipur ..	107—108

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4690. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को आस्ट्रेलिया से उपहारस्वरूप मिले कागज का दुरुपयोग	Misuse of Australian Gift Paper received by Commission for Scientific and Technical Terminology ..	108—109
4691. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रिंसिपल पब्लिकेशन्स आफिसर द्वारा सरकार की आलोचना	Criticism of Government by Principal Publications Officers-of Scientific and Technical Terminology Commission ..	109
4692. सन्त फतहसिंह द्वारा दी गई धमकी	Threat by Sant Fateh Singh ..	109—110
4693. गोआ के कस्बों तथा तीर्थ स्थानों का एक ही नाम से उच्चारण	Adoption of Uniform Spellings for Names of Goa Town and Shrines ..	110
4694. सिविल सेवा विनियम	Civil Service Regulations ..	110—111
4695. देश में हिंसा को रोकने के लिये उपाय	Measures to Prevent Violence in the Country ..	111
4696. भारत और आस्ट्रेलिया के बीच की यात्रा के विमान किराये में कमी करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था को आवेदन	Application for Education of Air Fare between India and Australia to I.A.T.A...	112
4697. विदेशी पर्यटकों का लूटा जाना	Robbing of Foreign Tourists ..	112—113
4698. आसूचना विभाग का विभाजन	Bifurcation of Intelligence Bureau	113
4699. राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में विश्व बैंक से बातचीत	Discussions with Worlds Bank Regarding National Highways ..	113—114
4700. दिल्ली सड़क में दुर्घटनाओं में वृद्धि	Increase in Road Accidents in Delhi ..	114—116
4701. दिल्ली और नई दिल्ली में कामचलाऊ स्कूलों की आवश्यकता	Need for Improvised Schools in Delhi and New Delhi ..	116
4702. बिहार की जेलों में कैदी	Prisoners in Bihar Jails	117
4703. विद्यार्थियों के लिये नए खेलों का आरम्भ किया जाना	Introduction of New Sports Amongst Students ..	117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4704.	उत्तरी बिहार में पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centre is North Bihar	117—118
4705.	जलस्थल परिवहन व्यवस्था	Amphibian Transport Arrangements	118
4706.	गांधी शताब्दी स्मारिका में श्री जी० डी० बिड़ला की प्रशंसा	Praise of Shri G. D. Birla in Gandhi Centenary Souvenier	119
4707.	संसद् सदस्यों के विदेशों के दौरे	Visit of Members of Parliament Abroad	119—120
4708.	13 नवम्बर, 1969 को संसद् भवन के आस-पास सभायें तथा जुलूस	Holding of meetings and taking out processions in the vicinity of Parliament House on 13th November, 1969	120
4709.	प्रधान मन्त्री के जीवन को उनकी वाराणसी की यात्रा के दौरान खतरा	Threat to Prime Minister's life during her visit to Varanasi	120—121
4710.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में वरिष्ठ अधिकारियों में भ्रष्टाचार का उल्लेख	Corruption among senior officers reported in Central Vigilance Commission's Annual Report	121
4711.	मनीपुर के प्रारम्भिक स्कूलों के गैर-मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापक	Untrained Non-matriculate Teachers of Manipur Elementary Schools	121
4712.	पश्चिमी यूरोप के देशों से पर्यटक	Tourists from West-European Countries	122
4713.	मनीपुर तथा नागालैंड का दर्जा	Status of Manipur and Nagaland	122
4714.	मनीपुर की क्रान्तिकारी सरकार से सम्बद्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of persons connected with Revolutionary Government of Manipur	123
4715.	मनीपुर राज्य के परिवहन उपक्रम का कार्य-अध्ययन	Work study of Manipur State Transport Undertaking	123
4716.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा राजा राम मोहन राय के भाषणों तथा रचनाओं से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of Books on speeches and writings of Netaji Subhash Chandra Bose and Raja Ram Mohan Roy	123—124

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4717.	दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के कर्मचारियों की पदावनति के बारे में लम्बित मामले	Pending cases reg. demotion of Employees of Higher Secondary Schools in Delhi ..	124
4718.	रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषण	Heirloom Jewellery of late Nawab of Rampur	124
4719.	रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषणों को धन कर से छूट	Exemption from Wealth Tax of Heirloom Jewellery of Nawab of Rampur ..	125
4720.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के एक अधिकारी की सेवाएं समाप्त करना	Termination of services of I.A.C. Officer ..	125—126
4721.	भारत की यात्रा पर आने वाले पश्चिमी जर्मनी के पर्यटक	Tourists from West Germany visiting India	126
4722.	भगवान दास न्यास, नई दिल्ली के विरुद्ध आरोप	Charges against Bhagwan Das Trust, New Delhi	127
4724.	नई दिल्ली में हुई पंचांग सम्बन्धी विचार-गोष्ठी	Seminar on Panchang held in New Delhi ..	127
4725.	नेशनल बाटैनिकल गार्डन्स, लखनऊ की शिकायतों की जांच करने के लिए समिति	Committee to look into complaints of National Botanical gardens, Lucknow ..	128
4726.	नीदरलैंड से एफ-28 फैलोशिप ट्विनजैट एयर-लाइन्स के खरीदने का प्रस्ताव	Proposal of purchase of F-28 Fellowship Twin jet airlines from Netherland	128
4727.	हिमाचल प्रदेश के लिये कर्मचारियों का नियतन	Allocation of staff to Himachal Pradesh ..	128—129
4728.	अहमदाबाद में बमों का बरामद होना	Bombs recovered in Ahmedabad	129
4729.	जनवरी से नवम्बर, 1969 तक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों में विलम्ब होना और उनका रद्द किया जाना	IAC Flights Delayed and Cancelled from January to November, 1969 ..	130

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4730. न्यूजीलैंड की कौरसा संस्था द्वारा भेजे गये राहत के सामान के वितरण में देरी	Delay in Delivery of Relief Goods sent by CORSO Organisation of New Zialand ..	130—131
4731. कलकत्ता में ध्वनि तथा प्रकाश केन्द्र	Son-Et-Lumiere Centre in Calcutta	131
4732. स्कूलों तथा कालिजों में योग का प्रचार	Propagation of Yoga Science in Schools and Colleges ..	131—132
4733. दिल्ली के शिक्षकों के वेतनमान	Pay Scales of Delhi Teachers ..	132—133
4734. तकनीकी शिक्षा प्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिये उच्च स्तरीय समिति	High Level Committee for Reviewing System of Technical Education ..	133—134
4735. साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार	Correspondence between Central Govt. and State Govt. on Communal Situation..	134
4736. प्रशासनिक सुधार - आयोग पर व्यय	Expenditure incurred on Administrative Reforms Commissions ..	134—135
4737. अप्रैल, 1969 में बंगाल-बंद के कारण हानि	Loss suffered during Bengal Band in April, 1969 ..	135
4738. राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना	Abolition of privileges of Former Rulers of States ..	136
4739. महाराष्ट्र-मैसूर राज्यों में सीमा-विवाद के कारण मरने वाले व्यक्ति	Persons killed in Maharashtra Mysore Border Dispute	136
4740. दक्षिण भारत में संसद् का सत्र	Holding of Parliament Session in the South ..	137
4741. हैदराबाद के लिये मंजूर किये गये कोल गैस संयंत्र का तैयार न होना	Coal Gasification Plant Sanctioned for Hyderabad lying Incomplete	137
4742. केरल में मार्क्सवादियों द्वारा हिंसात्मक उपद्रव	Violent Uprising by Marxist in Kerala ..	138
4743. मद्रास पत्तन परतेल उतारने का घाट	Oil Jetty at Madras Harbour	138

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4744. विदेशों में किये जा रहे पर्यटन सम्बन्धी प्रचार में दक्षिण भारत में स्थित पर्यटन केन्द्रों का उल्लेख करना	Covering of Tourist Spots in South India in Tourist Propaganda Arboad ..	138—139
4745. प्रधान मंत्री का मनाली का दौरा	P.M's visit to Manali ..	139—140
4746. समाज तथा राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों का नजरबन्द किया जाना	Detention of Anti-Social and Anti-National Elements ..	140
4748. धनवाद के पुलिस सुपरिन्टेंडेंट पर जातिवाद बरतने का आरोप	Alleged Practicing of Cateism by Dhanbad Police Superintendent ..	140—141
4749. हिप्पी लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध	Ban on entry of Hippie Girls	141
4750. पश्चिम एशिया के पत्तनों को इस्पात का निर्यात	Export of Steel to West Asia Ports ..	141—142
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलान—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
हिन्द महासागर में विदेशी नौसेनाओं के कथित भारी जमाव से उत्पन्न चिन्ताजनक स्थिति	Alarming situation arising out of reported concentration of foreign naval forces in Indian Ocean ..	142—144
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	144—146
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions ..	147
कार्यवाही सारांश	Minutes	147
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	147
भारत की आकस्मिक निधि (संशोधन)	Contingency Fund of India (Amendment)..	147—148
विधेयक—पुर:स्थापित	Bill—Introduced ..	148
विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प—पुर:स्थापित	Statutory Resolution Re: Foreign Exchange Regulation (Amendment) Ordinance Introduced ..	148—157
विदेशी मुद्रा और विनियमन (संशोधन) विधेयक	Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill ..	148—157
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	148

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	.. 148—150
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 150—151
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendrasingh Mahida	151
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	152
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	.. 152—153
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	.. 153—154
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	156
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	157
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	.. 157
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1969-70	Demands for Supplementary Grants (Railways), 1969-70	.. 158—167
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी	Shri R. L. Chaturvedi	.. 161
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	.. 161—162
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	162
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	162
श्री जि० मो० विस्वास	Shri J. M. Biswas	.. 162—163
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	.. 163—164
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	.. 164—165
श्री न० प्र० यादव	Shri N. P. Yadav	165
श्री किरुतिनन	Shri T. Kiruttinan	.. 165—166
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchowdhari	.. 166—167
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	.. 167
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
छप्पनवां प्रतिवेदन	Fifty-Sixth Report	168
विधेयक-पुरःस्थापित किये गये	Bills-Introduced	168
(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1969	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1969	.. 168
(धारा 423 का संशोधन श्री एम० नारायण रेड्डी द्वारा	(Amendment of Section 423) by Shri M. Narayana Reddy	168
(2) भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन (संशोधन) विधेयक, 1969	The Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 1969	.. 168—169

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(धारा 13 और 27 के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना) श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे द्वारा	(Substitution of Sections 13 and 27) by Shri N.K.P. Salve ..	168—169
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (अनुच्छेद 256 का संशोधन) श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे द्वारा	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of article 256) by Shri N. K. P. Salve	169
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 1 आदि का संशोधन) श्री कृ० दे० त्रिपाठी द्वारा	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Preamble and Article 1, etc.) by Shri Krishna Dev Tripathi	169
(5) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1969 (धारा 17-क के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) श्री एस० कुन्दू द्वारा	The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1969 (Substitution of Section 17A) by Shri S. Kuddu	170
संविधान (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया (अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन) श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा	Constitution (Amendment) Bill—Withdrawn (Amendment of Articles 75 and 164) by Shri Kanwar Lal Gupta ..	170—172
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	170
श्री मु० यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem ..	170—171
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ..	171—172
उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का बिस्तार विधेयक श्री आ० ना० मुल्ला द्वारा	Enlargement of the Appellate (Criminal) Jurisdiction of the Supreme Court Bill by Shri A. N. Mulla ..	172—181
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Select Committee ..	172
श्री आ० ना० मुल्ला	Shri A. N. Mulla ..	172—175
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ..	175—176
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	176
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	176
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	177
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham ..	177—178

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	.. 178—179
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	179
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	.. 179—180
श्री मु० यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	180
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	181
पारित करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to pass, as reported by Select Committee	181
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	.. 181—184
(अनुच्छेद 32 और 226 का संशोधन) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम द्वारा	(Amendment of articles 32 and 226) by Shri Tenneti Viswanatham	.. 181
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 181
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	.. 181—182
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	182
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	183
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	183
श्री वी० नारायण राव	Shri V. Narayana Rao	184
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	184
बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी का प्रबन्ध	Management of Bennett Coleman and Co.	.. 184—186
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	.. 184—185
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	.. 185—186

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 1969/28 अग्रहायण, 1891 (शक)
Friday, December 19, 1969/Agrahayana 28, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निवारक निरोध अधिनियम

*691. **श्री रवि राय :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के कुछ प्रसिद्ध अधिवक्ताओं द्वारा निवारक निरोध अधिनियम के विरुद्ध दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनका क्या मत है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) वे अधिनियम की अवधि के बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।

(ग) निवारक निरोध अधिनियम की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने वाला है।

Shri Rabi Ray : Mr. Chairman, Sir, whatever the reason may be, it is good that the Hon. Minister of Home Affairs has promised not to extend the life of the Preventive Detention Act. It is a 'Black Act'. May I know from the Hon. Minister whether he agrees with the following Statement which I have referred to in my main question and which is reported to have been given by eminent lawyers of Supreme Court.

"Those in power get used to wield their drastic powers and even begin to feel they cannot do without them. They forget that only yesterday they were themselves victims of such lawless laws and were in opposition to such invasion of liberties of the citizen."

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया है। समाचारपत्रों में प्रकाशित किसी व्यक्ति के वक्तव्य के सम्बन्ध में सदस्य महोदय, माननीय मंत्री को, उनके विचार जानने के लिये नहीं कह सकते।

Shri Rabi Ray : I put up another question. Whether the Government has information about the number of Chief Ministers far and against this Act ? What are the names of these Chief Ministers ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : भारत के सभी राज्यों की वर्तमान सरकारों ने इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने के लिये कहा था।

Shri Rabi Ray : Whether the Hon. Minister agrees that Sections 6 and 7 of Indian Penal Code, unlawful Activities Act and official Secret Act are enough to meet the anti-national and unpatriotic elements ? If so, whether the Government has received information that Indian Penal Code has been sent for review to the Law Commission ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरे विचार जानना, निरर्थक प्रयास करना है क्योंकि पहले ही कह चुका हूं कि अधिनियम की अवधि बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। इसीलिये ऐसी बातें करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री प० गोपालन : समाचारपत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि इस अधिनियम को देश के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू करने के लिये गृह-कार्य मंत्री नये सिरे से प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा देश की सुरक्षा के विचार से किया जा रहा है। सभा में प्रत्येक दल के सदस्य ने निवारक निरोध अधिनियम का विरोध इसलिये नहीं किया था कि देश की सामान्य स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि इस सिद्धान्त को मानते हुए किया था कि बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कारावास में न डाला जाये। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम को कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाये रखने का अर्थ क्या यह नहीं है कि देश के एक भाग के नागरिकों के साथ भेद-भाव किया जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह काल्पनिक प्रश्न है क्योंकि अभी तक मैंने सभा के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री अ० सिं० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने राज्यपाल इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने के लिए सहमत थे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्यपालों की सहमति अथवा असहमति का प्रश्न ही नहीं है। इसका सम्बन्ध तो राज्य सरकारों से है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Chairman, Sir, the Hon. Home Minister had called a meeting of the opposition leaders to know their views about this Detention Act. It means that actually the Government wants to retain this act but because it is in minority, it is not doing so. There are disturbed conditions in Assam, Nagaland and Tripura, may I know from the Hon. Minister what steps he proposes to take to meet the situation there ? Although, I don't want that anybody should be detained without trial yet how will you meet the situation ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं सदन को कुछ सूचना देना चाहता हूं। भारत के पूर्वी भागों विशेषकर नागालैंड, मिजो क्षेत्र, त्रिपुरा और मनीपुर के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हीं के सम्बन्ध में मुझे गहरी चिन्ता है। इसी सम्बन्ध में विरोधी दलों के नेताओं के विचार जानने के लिये मैंने एक बैठक बुलायी थी। हमारा उद्देश्य यही जानकारी एकत्रित करना था कि इन राज्यों के लिये अधिनियम में संशोधन करने के लिये क्या सभी का समर्थन मिल सकेगा। जैसा मैंने कई बार सदन में कहा है कि इस कानून को हम भी जारी रखना नहीं चाहते किन्तु देश के कुछ भागों में जो स्थिति है, वही हमें बाध्य करती है। किन्तु मुझे ऐसा पता चला है कि विभिन्न दल इस सम्बन्ध में कोई पक्का आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह स्थिति का किस प्रकार मुकाबला करेंगे।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह एक अलग प्रश्न है। मुझे प्रसन्नता होती यदि इस अधिनियम को उन क्षेत्रों में जारी रखा जाता किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है इसलिये मैं कुछ और उपाय सोचूंगा।

Shri B. N. Kureel : What is the basis of this Act not being extended ? Is it that the unsocial elements have been reduced ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है, ऐसी बात नहीं है अथवा इस अधिनियम को जारी रखने के कारण समाप्त हो गये हैं किन्तु निसन्देह देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, the result of doing away with this Act will be the release of China trained Naga rebels ; Pakistani Spies will come out of Jails. Similarly Naxalities inspired by China will have to be released. May I know what steps have been taken by the Government to tackle this situation ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि यह अधिनियम ही समाप्त हो जायेगा तो और उपाय करने होंगे।

Shri Ram Sewak Yadav : The Hon. Home Minister had replied to the first question that he did not favour the extension of this Act. At the same time he stated that all the Chief Ministers were in favour of it. May I know whether the Minister of Home Affairs has advised the Chief Ministers to meet the situation with the help of Indian Penal Code, unlawful activities Prevention Act and Official Secret Act ?

Shri Y. B. Chavan : I have not given them any advice. They know it better what to do and what not to do.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों ने निवारक निरोध अधिनियम की अवधि बढ़ाने का समर्थन किया था ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : उन्होंने समर्थन किया था।

श्री उमानाथ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। गृह-कार्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया है। पश्चिम बंगाल के गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा था कि पश्चिम बंगाल ने गृह-कार्य मंत्री को लिखा

है कि वह इस अधिनियम की अवधि बढ़ाने के विरुद्ध है। मैं इस विषय में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं।

श्री उमानाथ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्री को पश्चिम बंगाल के उपमुख्य मंत्री का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? इस पत्र में क्या लिखा हुआ था ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल ने यह कहा था कि वह इस अधिनियम को जारी रखने के पक्ष में है, बाद में उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन कर दिया।

श्री उमानाथ : जो कुछ मैंने कहा था उसकी पुष्टि हो गयी है। इसलिये यह स्पष्ट है कि मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पहले उन्होंने ऐसा ही कहा था।

श्री उमानाथ : प्रश्न अब पूछा गया है। उनको आरम्भ में ही इसे मानना चाहिये था, किन्तु उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भी इसके पक्ष में थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री उमानाथ : अब वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्थिति बदल ली थी।**

श्री यशवन्तराव चह्वाण : नहीं, बिल्कुल नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : * * प्रश्न का उत्तर ठीक तरह दिया जाना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से आधा मिनट लेना चाहता हूं ...

Shri Ram Sewak Yadav : The facts have come to light. Why the Hon. Member is making a noise for nothing ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : गृह मंत्री ने उत्तर दिया था कि उन्होंने इस शक्ति के लिये कहा था। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इस शक्ति के लिये नहीं कहा था । प्रश्न अब की स्थिति के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न जो पूछा गया था वह यह था कि क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों ने अपनी राय इसके पक्ष में दी थी अथवा विरुद्ध।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं। प्रश्न केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारों की वर्तमान रवैये के बारे में था। श्री चह्वाण पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिये उत्सुक हैं। क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक है। ** मुझे यह कहते हुए दुःख है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी नहीं, मुझे यह कहने का पूरा हक है, क्योंकि विभिन्न सरकारों के बारे में जब यह मत लिया गया था तो वे राजी हो गये थे। यह सही स्थिति है।

Shri Ram Sewak Yadav : Are** parliamentary expressions ? I want your ruling, Sir ** are not Parliamentary expressions.

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

** अध्यक्ष के आदेशानुसार सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
**Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । वह शब्द संसदीय नहीं है । अतः मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री चन्द्रजीत यादव : ** उन्हें इस शब्द को वापस लेने के लिये कहा जाना चाहिये ।

श्री उमानाथ : इस शब्द का पहले कई बार सभा की कार्यवाही में प्रयोग किया गया है । श्री बजाज ने मुझे इस शब्द से पुकारा था । प्रतिपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस पर प्रश्न उठाये थे और यह कहा गया था कि इस शब्द के प्रयोग में कोई बुराई नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय शब्द है । इसको निकाल दिया जाना चाहिए था । ऐसे सभी शब्दों को निकाल दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य कृपया इस शब्द को वापस ले लेंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं ।**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस शब्द को सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से निकालता हूं ।

Shri S. M. Joshi: After you have expunged the word the Hon. Member must with draw that word.

श्री उमानाथ : वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है । प्रश्न दो बार पूछा गया है । उन्हें पूरी जानकारी देनी चाहिये थी ।

श्री एस०एम० जोशी : ** (व्यवधान)

श्री उमानाथ : **

श्री एस० एम० जोशी : आप दुष्ट हैं ।

श्री उमानाथ : **

श्री हेम बरुआ : यह संसद बाजार बन गया है । एक दूसरे को ** के नाम से पुकारा जाता है । मैं यह सब सहन नहीं कर सकता ।

Shri Rabi Ray : Shri Jyotirmoy Basu has insisted on the word and has slighted your ruling even after you have expunged it.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : आपने जिस शब्द को निकालने का आदेश दिया है वह असंसदीय नहीं है । इसके पूर्व कई बार उसका प्रयोग हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के इस आचरण का निरनुमोदनन करता हूं । जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था उसे मैंने निकाल दिया है । यदि वह अब भी आग्रह करते हैं तो मुझे उनका नाम लेना होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं शब्द वापस नहीं लेता । आप मेरा नाम ले सकते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।**

** अध्यक्ष के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair.

You have expunged the word and he is still persisting to use that word. That means a single Member can hold the whole House to ransom. This is surely not the way to follow the Parliamentary system.

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया तो मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी। मैंने उनको यह शब्द वापस लेने के लिये कहा था। उन्होंने इन्कार कर दिया। तब मैंने इस शब्द को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया। वह अब भी इस शब्द का प्रयोग करने के लिये आग्रह कर रहे हैं। मैंने इसका निरनुमोदन किया है। मैंने उनसे वापस लेने के लिए प्रार्थना की है। वह अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका नाम लेने के अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह या तो उस शब्द को वापस ले लें या सभा भवन से बाहर चले जायें।

Shri Hukam Chand Kachwai : He should be suspended from the sittings of the House for seven days.

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार की निन्दा इस सभा के समक्ष कर रहे हैं....

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस सभा से उठकर चले जाये।

श्री बासुदेवन नायर : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : आप इस प्रकार एक सदस्य को भ्रत्सना नहीं कर सकते। इस शब्द के प्रयोग के बारे में पूर्वोधारण हैं। अन्य सदस्य के मामले में बहुसंख्या द्वारा इस शब्द को संसदीय माना गया है। अत: यह प्रक्रिया जो अब अपनाई जा रही है, अनियमित है।

अध्यक्ष महोदय : वह अध्यक्ष के विनिर्णय का उल्लंघन कर रहे है। मैंने केवल यह कहा है : या तो शब्द को वापस ले लें या फिर सभा का त्याग कर दें।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : इस पर पहले चर्चा हो चुकी हैं और निर्णय किया जा चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का पालन करते हुए, मैं सभा का त्याग कर दूंगा। किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री एक झूठे हैं ; उन्होंने पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार की निन्दा की है।

(इसके पश्चात् श्री ज्योतिर्मय बसु सभा से उठकर चले गये।)

(Shri Jyotirmoy Basu then left the House.)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आप एक बड़े परिपक्व विचारों के सदस्य हैं।

श्री उमानाथ : इस शब्द के प्रयोग के प्रश्न पर इस सभा में पहले चर्चा हो चुकी है। विभिन्न सदस्यों के विरुद्ध यह शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कार्य काल में नहीं। यह पूर्णरूप से असंसदीय शब्द है।

श्री उमानाथ : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। एक अन्य अवसर पर मुझे ऐसा कहा गया था। जो लिखित उत्तर में है, इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में इस सभा के सामने लाया गया था और उस समय बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक

संसद सदस्य द्वारा संसद में कही गई बात के बारे में अपना बचाव करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यह निर्णय किया गया था। फिर, अभी मेरे मित्र श्री एस० एम० जोशी ने मुझे ** दुष्ट कहा।

श्री उमानाथ : जब आप श्री ज्योतिर्मय बसु का नाम ले रहे थे तब श्री जोशी ने मेरे लिये इस शब्द का प्रयोग किया। वह अब भी इस शब्द को वापस ले सकते हैं लेकिन लगता है वह इसे वापस लेने को तैयार नहीं हैं। ** यदि आप मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो करिये। **

श्री एस० एम० जोशी : उन्होंने मुझे **

श्री के० रमानी : प्रारम्भ में माननीय गृह-मंत्री ने एक असत्य बात कही थी। आप उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड से यह सिद्ध हो गया है कि श्री जोशी ने श्री उमानाथ के लिये इस शब्द का प्रयोग किया था।

श्री उमानाथ **

अध्यक्ष महोदय : जब सभा में शोर हो रहा था तब श्री जोशी ने भी एक अन्य माननीय सदस्य के लिये उस शब्द का प्रयोग किया था। क्या वह उस शब्द को वापस लेंगे ?

श्री क० लकप्पा : वह इसे वापस क्यों लें ? क्या इस शब्द प्रयोग केवल साम्यवादी ही कर सकते हैं ? हम तो हमेशा शान्त रहे हैं (**व्यवधान**) अब मैं इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। सभा इसका निर्णय करे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या नाटक खेला जा रहा है।

श्री क० लकप्पा : मैं इन साम्यवादियों की कोई चिन्ता नहीं करता। सभा इसका निर्णय करे। सभा में ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री अंबाजागन : आपत्तिजनक शब्द को जब एक बार सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है तो अब किसी माननीय सदस्य द्वारा उस शब्द को वापस लेने के लिये कहना आवश्यक नहीं है। सभा की कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देने के पश्चात सभी असंसदीय शब्द वृत्तान्त से स्वत: ही निकल गये।

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, Sir, since all this has happened because of me I may please be given one minute. Sir, actually, I could not hear you when the words 'what is the present position' were uttered by you. That is why I submitted that it should be noticed if the question was put originally regarding the present position. I presume he did not ask such a question in the beginning.

An Hon. Member : He did not ask this at the first instance. It was put afrerwards.

** अध्यक्ष के आदेशानुसार सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

Shri S. M. Joshi : Yes, it was said afterwards. The Hon. Minister did reply to the question but the question was not pertaining to the present position. Therefore we said that he was digressing them. If that is not the case he might have meant some thing else. However, I will not give him any right to call me**. I feel that what has been said by me has been said under the spell of anger and I also understand that he has also uttered in anger. Any how I withdraw what I have said against him but nothing can be said regarding him by me.

Shri Hukam Chand Kachwai : He should also be asked to withdraw.

श्री उमानाथ : जब से आप इस सभा के अध्यक्ष पीठ पर पीठासीन हुये है यह पहला अवसर हैं जब एक माननीय सदस्य का नाम लेकर उसे सभा से निकाल दिया गया है। इस सभा के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध जो मेरे दल के सदस्य हैं, की गई कार्यवाही के विरोध में मैं सभा भवन से बाहर जाता हूं।

इस के पश्चात श्री उमानाथ सभा भवन से चले गये
Shri Umanath then left the House

श्री समर गुह : उन्हें भारत से लोक तांत्रिक राजनीति निकालनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था कि जब श्री ज्योतिर्मय बसु से उस शब्द को वापस लेने से इंकार कर दिया तथा मैंने उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालने का आदेश दिया था तभी यह कहानी समाप्त हो जायेगी। किन्तु वह इस शब्द को बार बार कहते रहे। श्री जोशी के विरुद्ध मैंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी सुनी। श्री जोशी ने बड़ी शालीनता से अपने शब्द वापस ले लिये हैं इसकी मुझे प्रसन्नता है।

Shri Prakash Vir Shastri : But afterwards he made an assertion which should be expunged.

Shri Piloo Mody : Why it should be expunged ?

Shri Prakash Vir Shastri : It must be expunged. Pariament can not be converted into a **'Chowpal'**

श्री पीलु मोडी : कार्यवाही वृतांत से निकाल देने वाली प्रक्रिया नितांत दोषपूर्ण है। मैं यह हमेशा कहता आ रहा हूं कि वृतांत से कुछ भी नहीं निकाला जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि बार बार ऐसा न कहते तो मैं किस आधार पर उनसे इन्हें वापस लेने के लिये आदेश देता। कार्यवाही वृतांत में इसे रखना हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि सरकार निवारक निरोध अधिनियम को निश्चितत: बढ़ाना चाहती है ? क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के सहित मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र सरकार से इस अधिनियम को बढ़ाने के बारे में निवेदन किया था ? क्या यह भी सच है कि चूंकि अब पश्चिम बंगाल सरकार टूटने वाली है इसलिये केन्द्र सरकार ने निवारक निरोध

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the Chair

अधिनियम में विस्तार न करने का निर्णय किया है ? क्या यह सच है सरकार इस अधिनियम में विस्तार करने से डरती है क्योंकि वह अल्प संख्या में हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ये उनके अपने विचार हैं तथा इन प्रश्नों का उत्तर देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है ।

Corruption Charges Against Officials in Bihar

*692. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an inquiry was made into the corruption charges levelled against certain Government officials of Bihar ;

(b) wether it is also a fact that the Inquiry Committee rocommended action against 391 Officers ;

(c) if so, the action taken so far in this regard ; and

(d) the nature of the charges which have been proved ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). बिहार सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी जांच समिति ने 391 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सिफारिश नहीं की थी । तथापि, एक भ्रष्टाचार-निरोध विभाग विद्यमान है जिसका मुख्य कार्य राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है । 1967 में तत्कालीन मंत्रिमंडल ने तीन मंत्रियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित पड़े तथा कथित भ्रष्टाचार के 378 मामलों का पुनरीक्षण करने तथा उनको निपटाने के लिए कार्यवाही करने को कहा था ।

(ग) और (घ). 1967 से सितम्बर, 1969 तक की अवधि में राज्य सरकार द्वारा 144 मामलों में अपने भ्रष्टाचार-निरोध विभाग के परामर्श से अन्तिम निर्णय लिया गया है । इसके परिणाम स्वरूप 9 अधिकारियों को न्यायालयों द्वारा सिद्धदोष किया गया है, 20 को बर्खास्त किया गया है 3 को सेवा से हटाया गया है, एक को अनिवार्यतः सेवा-निवृति तथा 2 का दर्जा घटा दिया गया है । 28 मामलों में वेतन वृद्धियां रोक दी गई हैं, 30 मामलों में निन्दा की गई है तथा शेष मामलों में मामूली दंड दिये गये हैं । भ्रष्टाचार-निरोध विभाग द्वारा जांच किये दोषारोपों का संबंध घूस खोरी, आमदनी के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक सम्पत्ति का अर्जन, झूठे यात्रा भत्ता प्राप्त करना, शक्तियों का दुरुपयोग तथा प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों से है ।

Shri Prakash Vir Shastri : The number of Government servants in Bihar charged for corruption is 378 according to the Minister while according to the newspapers reports the number is 391. However, the figures do not vary much. Two Committees were set up in Bihar to look into the cases of corruption in which officials are involved ; one was Mahapatra

Committee and the other one was Varma Committee. May I know whether those officials against whom the charges of corruption were proved by these committees include certain officials who have been appointed as commissioners in any of the eight newly created districts. If so, may I know the justifiability of making investigation against the Government servants and verifying the charges levelled aganist them while at the same time they are given promotions ignoring the findings against them ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में जो विशिष्ट मामला उठाया है उसकी मुझे जांच करनी पड़ेगी किन्तु मुझे जो जानकारी प्राप्त है वह वही है सभा पटल पर रखे गये विवरण में उल्लिखित है कि 1967 में विभागीय जांच आदि के 300 से अधिक मामले थे । बाद में इस संख्या में वृद्धि हुई । स्वाभाविक हैं कि इन जांच कार्यों को निपटाने में कुछ अधिक समय लगा । विवरण में बताया जा चुका है कि 144 मामलों में निर्णय लिया जा चुका है । मैं यह भी प्रयत्न करूंगा कि अन्य मामलों को भी शीघ्रता से निर्णीत किया जाय । किन्तु जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है कि क्या किन्हीं व्यक्तियों को दण्ड भी दिया गया है और उनकी पदोन्नति भी की गई है, मुझे उसकी जांच करनी होगी ।

Shri Prakash Vir Shastri : Recently the Mudholkar Commission have submitted their report wherein certain Ministers have been found guilty of corruption. May I know whether the Minister's list includes guilty officials who were charged of corruption in connivance with the Ministers? Sir, the policy which the Ministers adopt is that the Ministers do not give instructions in writing they instruct the officials on phones with the result that poor employees get caught later on. May I know whether there are certain cases of corruption wherein the employees were instigated to do corruption by the Ministers but in due course only the officials were charged with corruption ? May I know whether the Government propose to take action against such ministers also in order to save the political atmosphere from degenerating further. I am asking about those cases against which the Mudholkar Commission have also given some figures.

श्री यशवंतराव चह्वाण : मैंने मधोलकर आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन नहीं किया है । सम्भवतः इसकी जांच की जा रही है । जब तक इसकी अच्छी तरह से अध्ययन न कर लिया जाय मैं अपना कोई भी मत देने में असमर्थ हूं ।

Shri Prakash Vir Shastri: But you can say something about it in principle. May I know the policy of the Home Ministry regarding the Ministers or the Chief Ministers who have been found guilty by an impartial Commission like this one so that they may not be allowed to corrupt the public life any more ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : सामान्यत; मैं इतना कह सकता हूं कि अभी आयोग के विचारों पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा । जब यह न देख लिया जाय कि क्या विवरण दिये गये हैं, किनके बारे में दिये गये हैं तथा क्षेत्रों को कहां तक सिद्ध किया गया है मैं कोई स्पष्ट वक्तव्य देने में असमर्थ हूं । माननीय सदस्य मेरी कठिनाई भी अनुभव कर सकते हैं ।

श्री फ० गो० सेन : क्या सभी राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर ली गई है ? अभी कितने मामले निलम्बित हैं ?

श्री यशवंतराव चह्वाण : मैं निवेदन कर चुका हूं कि केवल 144 मामलों में निर्णय किया गया है । वर्ष 1967 में केवल 300 मामले थे कि अब मुझे सूचना मिली है कि इन मामलों की अब इनकी संख्या 600 से भी अधिक हो गई हैं । शेष मामले अभी लम्बित पड़े है ।

Shri Chandrika Prasad : May I know whether the name of Raghunath Singh who has mainly created the boundary dispute between Bihar and Uttar Pradesh and who has been the culprit of highest level in this mater, has been included in the list of guilty persons? His bank balance has exceeded six figures since the time he joined the service. May I know the steps proposed to be taken against such persons by the Government?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि माननीय सदस्य इस बारे में मुझे लिखकर दें तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

Shri Beni Shankar Sharma : In the concluding part of the statement placed on the Table of the House it is mentioned that the nature of charges enquired into by the Anti-Corruption Department relate to charges of bribery, acquisition of property, disproportionate to the known sources of income, drawing false travelling allowance, misuse of powers and administrative irregularities.

May I know the names of those officials who have acquired properties disproportionate to their known surces of income and value of the properties ? May I also know the names of those officials against whom the charges of making amassing wealth disproportionate to their known sources of income have been levelled ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इन मामलों की जांच नहीं कर पाऊंगा ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : बिहार की एक विशिष्ट स्थिति है । विगत आठ या दस वर्षों से वहां के कुछ भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों ने एक गुट बना लिया है । जांच से ज्ञात हुआ है कि वे गैर कानूनी कार्य करते रहे हैं, आवासों का आवंटन लेते रहे हैं तथा अन्य इसी प्रकार के कार्य करते रहे हैं । उनमें से कुछ इस सचिवालय में भी हैं । क्या गृह-कार्य मंत्री बिहार सचिवालय में दस वर्षों से कार्य करने वाले तथा आनन्द उठाने वाले अधिकारियों को स्था नांतरित करेंगे जिससे वहां के कर्मचारियों में सुधार हो सके ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सुझाव है और सरकार तत्स्थानीय सलाहकारों से इस मामले की जांच करने के लिये करेगी ।

Shri Bhogendra Jha : So far enquiries have been conducted against the officials of the lower and the middle ranks. While no investigation has been made against High ranking officials. I may cite an example the meeting of the Consultative Committee was held last year under the chairmanship of the Hon. Minister. A case was brought before him and he ordered to conduct an enquiry against the then S.D.O. of Madhubani. But the report of the enpuiry has not been received as yet.

May I know whether the Hon. Minister has got any information regarding the Chief Secretary of Bihar ? I am raising this point in order to make it clear that it has become the question of law and order in Bihar. The Tatas have given a piece of land, machinery and a factory to the wife of the Chief Secretary's grand son free of cost. His son is working in the Tata Company at a high post and that is why more than hundred persons are arrested at the instance of the Tatas in spite of the repeated announcement made by the Central Government. Warrents are also issued to four hundred persons and the cases of suspension are not being decided. It was said by the Hon. Labour Minister that they would be decided that day. To day I have received a telegram form the President of the District congress..

Mr. Speaker : Let him not combine it with this.

Shri Bhogendra Jha : Sir, it is a serious matter. I am making charges against the Chief Secretary. His son-in-law has been blessed with Machines etc. by the Tatas. His son is a big officer in that Company. I request the Hon. Minister to look into this matter.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि विशिष्ट मामले मुझे दिये जायेंगे तो मैं उनकी अवश्य ही जांच करूंगा। किन्तु केवल सभा में वक्तव्य दिये जाने के आधार पर मैं कुछ नहीं कर सकता।

Shri Shiva Chandra Jha : The Enquiry Committee was set up to look into the cases of 391 officers when the situation reached the breaking point. However, it is not a matter of dispute that the corruption among the Government Officials in Bihar have touched its climax. Bihar is a worst administered State and its administration is rotten to the core. As I have pointed out that enquiries are conducted only when the situation reaches at a breaking point. May I know whether the Government have envolved any machinary which will look into the day to day acts of corruption and will deal with them, and if not, may I know whether the Government will form any machinary at the State level to the Sub-Divisional level which will inquire into the day to day complaints of corruption and will face this problem on the warfooting ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये हैं। मैं इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दे सकता।

Mr. Speakar : Next question.

Shri Mrityunjay Parsad : Sir, I was on my legs four times but could not catch your eyes. What should I do in this situation.

Mr. Speaker : At least some occasions should be left without putting supplementaries and let the House go ahead. Anyhow he is an old friend and let him put his supplementary.

Shri Mrityunjay Prasad : I do not want opportunity because of friendship but because I am a Member of the House. The task of conducting an enquiry against the tempering with the marks-sheet of the examination held by the Patna Medical College was entrusted to the Commissioner of Patna. May I know whether Hon. Minister will give an assurance to the effect that whosoever will be held responsible in this matter will be brought to books properly ?

Recently, the posts of Commissioner, Collector and the District Magistrate have been up-graded in Bihar. May I know whether, in case any complaints have been received against the officials who are proposed to be up-graded, the promotions have been withheld for the time by which the enquiries are completed ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रश्न के पहले भाग में तो सुझाव दिया गया है और दूसरे भाग के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जैसा मैंने श्री प्रकाश वीर शास्त्री के उत्तर में कहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करूंगा।

श्री एस० एम० कृष्ण : यह स्वीकार किया गया है कि कुछ अधिकारियों ने घूस आदि का सहारा लेकर बहुत सी सम्पत्ति अर्जित करली है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भ्रष्ट उपायों से अर्जित की गई सम्पति को जब्त करेगी।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह कानूनी शक्तियों पर निर्भर करता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

*693. **श्री कं० हाल्दर :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष : **श्री भगवान दास :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० सी० एस० अधिकारियों तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च प्रबन्धकीय पदों से हटाने के सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ;

(ग) उसमें यदि अब परिवर्तन का प्रस्ताव है तो वह परिवर्तन क्या है ; और

(घ) उक्त निर्णय में अब किन कारणों से परिवर्तन किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकारी उपक्रमों के प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की निर्भरता को कम करने की दृष्टि से सरकारी उपक्रमों के भीतर प्रबन्धकीय कुशलता के उचित विकास के लिये सरकार ने सरकारी उपक्रमों में कार्यरत स्थायी सिविल सेवाओं के प्रतिनियुक्ति अधिकारियों से यह कहने का विनिश्चय किया था कि वे निर्धारित समय के भीतर अपनी राय प्रकट करें कि क्या वे सरकारी उपक्रमों में स्थायी रूप से शामिल होना चाहते हैं अथवा अपने स्थायी संवर्गों में प्रत्यावर्तन चाहते हैं। जारी किये गये वर्तमान आदेशों के अनुसार राय प्रकट करने के लिये निर्धारित समय सीमा इस प्रकार है :

(क) 2500-3000 रुपये के वेतनमान के तथा ऊपर के पदों की अवस्था में 1 मार्च, 1969 से एक वर्ष की अवधि प्रतिनियुक्ति को समाप्त हुई अवधि, पर विचार किये बिना ;

(ख) 2500-3000 रुपये के कम के पदों की अवस्था में 1 मार्च, 1969 से 3 वर्ष की अवधि, प्रतिनियुक्ति की समाप्त हुई अवधि पर विचार किये बिना ; और

(ग) सभी नये प्रतिनियुक्त अधिकारियों के लिये, एक वर्ष अथवा तीन वर्ष की अवधि जैसी भी स्थिति हो, प्रतिनियुक्ति की तारीख से लागू होगी।

आई० सी० एस० / आई० ए० एस० अधिकारियों समेत सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर सभी सरकारी कर्मचारियों पर उपरोक्त विनिश्चय लागू होंगे। फिर भी, सैनिक कर्मचारियों

की रक्षा उत्पादन उपक्रमों में तथा औद्योगिक प्रबन्ध समुच्च के अधिकारियों की अवस्था में सरकारी उपक्रमों में सेवा के बारे में उनकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए छूट दी जा सकती है।

सरकारी उपक्रमों में इस प्रकार सम्मलित होने के लिये जिन व्यक्तियों ने अपनी राय प्रकट की है उनके साथ प्रस्तावित विभिन्न शर्तें तय की जा रही है। राय देने की अवधि में किसी संशोधन समेत इन शर्तों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिये जाने पर वह सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर लागू होगा और केवल आई० सी० एस०/आई० ए० एस० अधिकारियों पर ही लागू नहीं होगा।

श्री कं० हाल्दर : बहुत से अवसरों पर सरकार ने सदन में यह घोषित किया है कि तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समाविष्ट किया जायेगा। क्या सरकार ने इन आई० सी० एस० तथा भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को अच्छे अवसर देने के लिये अपनी नीति में परिवर्तन किया है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल प्रबन्धक व्यक्तियों से है तकनीकी जानकारी रखने वालों से नहीं है। जहां तक तकनीकी जानकारी रखने व्यक्तियों का सम्बन्ध है उनका अपना अलग कार्य क्षेत्र है तथा वहां हम इन विशिष्ट लोगों को रखना नहीं चाहते। यह नई पद्धति प्रबन्धक व्यक्तियों के लिये निकाली जा रही है।

श्री कं० हाल्दर : क्या आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समाविष्ट करने से सामान्य प्रशासन में कोई रुकावट आने की सम्भावना है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम लोगों के दिमाग से इसी गलतफहमी को निकालना चाहते हैं कि सचिवालय से लोग प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ वर्ष ठहरते हैं तथा फिर सचिवालयों में आ जाते हैं जिसमें वे कोई विशेष ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते या स्वयं को विकास के कार्यों में नहीं लगा पाते। इसी कारण हमने यह सोचा कि अपने अधिकारियों को यह निर्णय करने के लिये कहा जाय कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ही सेवा करना चाहते हैं अथवा सचिवालय में आना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि अधिकारी नियुक्ति के चुनाव के अनुसार दोनों तरह से कार्य करें।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं समझता हूं कि भारतीय आर्थिक सेवा को मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मांग को पूरा करने के लिये बनाया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या अब भी आई० ए० एस० तथा आई० सी० एस० अधिकारियों की सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति करने की आवश्यकता समझी गई है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे विचार से तो इंडियन इकोनामिक सेवा को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मांग को ध्यान में रखते हुये नहीं बनाया गया। औद्योगिक प्रबन्धक पूल नामक एक सेवा अवश्य है जिससे अधिकारियों को लिया जाता है। यह प्रश्न उन बहुत से प्रशासनिक अधि-

कारियों से सम्बन्धित है जिन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा यह पद्धति सरकारी क्षेत्रों से सचिवालयों में अधिकारियों के जाने आने को रोकने के लिये निकाली जा रही है। यदि इंडियन इकोनामिक सर्विस के अधिकारियों को उपयुक्त समझा गया तो इस संबंध में उनकी सेवा का उपयोग भी किया जायेगा।

श्री बलराज मधोक : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि केन्द्र तथा राज्यों में अनुभव प्राप्त प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुये कि वाणिज्य संगठनों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने के लिये विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में नहीं पाई जाती।

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को न भेजा जाये तथा उसकी बजाय भारतीय आर्थिक सेवा अथवा गैर-सरकारी उपक्रमों से विशेष अनुभव प्राप्त लोगों को भर्ती किया जाये ताकि यह उपक्रम कुशलतापूर्वक और कम खर्च पर चलाये जा सके ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, इन अधिकारियों का चयन सरकारी क्षेत्र को कार्यकुशल बनाने के लिये किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है उनको कोई तकनीकी काम करने के लिये किसी तकनीकी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। उन्हें सामान्य प्रशासन चलाने के लिये नियुक्त किया जाता है। हमें ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो दक्ष हों, जिनका नैतिक स्तर ऊंचा हो तथा जिन में काम करने की चाह हो। और यदि इस प्रकार के सरकारी अधिकारी भारत सरकार के वाणिज्यिक उपक्रमों में जाना चाहते हैं और उसे अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं, वे अधिकारी नहीं जो कि एक, दो, तीन अथवा पांच वर्ष के लिये वहां जाना चाहें, अपितु वे अधिकारी जो स्थाई रूप से वहां जाना चाहते हैं, तो हम उन्हें वहां भेजते हैं। इसलिये यह अनुमान लगाना सही नहीं है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी वाणिज्यिक कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें जो काम दिये जाते हैं वे सामान्य प्रशासन के कार्यों से थोड़े ही भिन्न होते हैं जो कि उन्हें सचिवालय में करने पड़ते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जहां तक मुझे याद है इस सरकार ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के इस सुझाव को कि किसी भी सरकारी उपक्रम में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर न भेजा जाये, स्वीकार किया था। इस सभा में यह घोषणा की गई थी कि सरकार ने सिद्धांत रूप में इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है परन्तु मंत्री महोदय द्वारा हाल में दिये गये वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि यह सुझाव केवल प्रशासनिक अधिकारियों तक सीमित है। क्या यह सच नहीं है कि सरकार द्वारा यह घोषणा किये जाने के बाद भी हाल ही में बोकारो इस्पात संयंत्र में मुख्य कार्मिक अधिकारी के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है तथा बोकारों में कुछ पदों पर दो सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने जो विवरण सभा-पटल पर रखा है उसमें यह नहीं कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति की पद्धति को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। हमने इस बात को सिद्धांत

रूप में स्वीकार कर लिया है और हम ने एक योजना निकाली है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा व्यक्त करने की छूट दी गई है। अब यदि कोई व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता है तो उसे यह घोषित करना पड़ेगा कि वह स्थाई तौर पर प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता है अथवा नहीं। उसे अपना वैकल्प बताना होगा और फिर जाना होगा। यदि वह यह इच्छा व्यक्त करता है कि वह स्थाई रूप से वहां जाना चाहता है तो उसे वहां भेज दिया जायेगा और उस विशेष उपक्रम की शर्तों के अनुसार उसे धीरे-धीरे उस उपक्रम में खपा लिया जायेगा। सचिवालय में वापस आना उसके लिये सम्भव नहीं होगा। कुछ विशेष छूट भी दी गई हैं। वे प्रतिरक्षा अधिकारियों के बारे में हैं, जो आयुध इत्यादि कारखानों में जाते हैं। परन्तु सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के बारे में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में उस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हाल में बोकारो में मुख्य कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे व्यक्तिगत मामलों की जानकारी नहीं है। मैं जानकारी एकत्र कर सकता हूं और उसे माननीय सदस्य को भेज सकता हूं।

Shri Chandra Jeet Yadav : Keeping in view the fact that public sector plays an important part in our economy and keeping in view the fact that there is dearth of efficient personnel and management experts etc. to run the Public Sector Undertakings, this decision that I. A. S. Officers or I. C. S. Officers will not be deputed to Public Sector Undertakings in future will not solve the problem. So I want to know whether Government proposes to have an All India Service for those persons who are at home in economics and are specialists in management so that their services may be utilised in Public Sector Undertakings ?

Shri Vidya Charan Shukla : I agree with the Hon. Member that this decision will not solve our problem fully. So far as the question of constituting an All India Service is concerned, there are certain other such proposals also before us and all of them will be considered seriously and thereafter a decision will be taken. I want to assure the Hon. Member that Government is giving serious thought to this matter and an early decision will be taken in this regard.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि सेवा निवृति के बाद भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा सेना के भूतपूर्व अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों में चेयरमैन अथवा प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी अन्य वरिष्ठ पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, क्योंकि वे पेंशनभोगियों का जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें कोई कर्तव्यपरायणता नहीं रह जाती है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्णय कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं समझता हूं कि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। परन्तु यह एक बहुमूल्य सुझाव है, जिसको ध्यान में रखा जायेगा।

श्री लोबो प्रभु : महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि हर व्यक्ति भारतीय सिविल सेवा के विरुद्ध है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, मैं भारतीय सिविल सेवा के विरुद्ध नहीं हूं।

श्री लोबो प्रभु : यद्यपि मंत्री महोदय ने भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लगाये गये आक्षेप को दूर किया है तथापि प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों पर कुछ आक्षेप शेष हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों को प्रबन्ध कार्यों के लिये भर्ती किये गये अधिकारियों से किसी प्रकार घटिया पाया गया है? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को एक दूसरे के स्थान पर भेजने से लाभ नहीं है, क्योंकि इससे वे एक दूसरे का काम सीख सकेंगे और इससे देश को लाभ होगा?

श्री विद्याचरण शुक्ल : किसी के घटिया होने का कोई प्रश्न नहीं है। हम इस धारणा पर काम करते हैं कि यदि कोई सरकारी उपक्रमों में सेवा करना चाहे तो उन्हें इसकी अनुमति होनी चाहिये। उसके लिये सचिवालय में वापस आना जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि वह उर्वरक कारखाने में काम करता है तो उसे सचिवालय वापस आने और परिवार नियोजन के लिये काम करने को नहीं कहा जाना चाहिये। इसलिये हमने उन लोगों का, जिनकी इच्छा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने की है, चयन करके एक अच्छे प्रबन्धक संवर्ग का विकास करना जरूरी समझा है। हम इस मत से सहमत नहीं है कि दोनों प्रकार का काम उनके लिये अधिक अच्छा रहेगा। वास्तव में उनकी पृष्ठभूमि सामान्य होती है। यदि कोई व्यक्ति सचिवालय में काम करना चाहे, तो उसे इसकी अनुमति होनी चाहिये। यदि कोई व्यक्ति सरकारी उपक्रम में काम करना चाहे तो उसे भी इसकी अनुमति होनी चाहिये। इन दोनों को मिलाना सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह इतना अधिक विस्तार पूर्वक उत्तर न दें और नियमित भाषण न करें। यदि वह ऐसा करेंगे तो मैं माननीय सदस्यों से यह कैसे कह सकता हूं कि वे संक्षेप में अपने प्रश्न पूछें।

श्री वेदव्रत वरुआ : जन मत तथा इस सभा की ओर से समिति की भी यह राय रही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि के अधिकारियों को औद्योगिक प्रशासकों के रूप में नियुक्त करना एक गलत प्रथा है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि उस प्रश्न का, जिसमें सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि के उन अधिकारियों से जो सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे हैं, लगभग एक वर्ष पूर्व यह पूछा गया था कि वह अपना विकल्प बतायें कि वे सरकारी क्षेत्र के उद्योग में काम करना चाहते हैं अथवा सचिवालय में वापस आना चाहते हैं, क्या हुआ है? विवरण में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उसमें केवल यही कहा गया है कि सरकार इस पर अभी विचार कर रही है। क्या यह सच है कि किसी एक भी अधिकारी ने सरकारी उपक्रमों के पक्ष में अपना विकल्प व्यक्त नहीं किया है? यदि ऐसा है तो अन्य व्यक्तियों को जो तकनीकी व्यक्ति हों सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध करने के लिये उनके स्थान पर नियुक्त क्यों नहीं किया जाता? क्या यह सच है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय स्थगित कर दिया है?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं। प्रथम दो अथवा तीन अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में वह इसका उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने 1 अप्रैल, 1969 इत्यादि किन्हीं तिथियों का उल्लेख किया था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकारी कर्मचारियों से विकल्प अभी प्राप्त हो रहे हैं।

श्री क० लकप्पा : सरकारी क्षेत्र के भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं तथा उनकी आलोचना की गई है। केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों को भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भेज रही है। उन्हें प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। वे लोग अधिकाशतः धनी परिवारों के हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार प्रशासनिक कार्य के लिये भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या में कमी करने का है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार किया जा सकता है।

Shri Ram Charan : There is no reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for sending them on deputation to Public Sector Undertakings. I want to say that only young I. A. S. Officers should be sent to Public Sector undertaking and there should be reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and those Officers should not be sent on deputation who are due for retirement in a year or two.

Shri Vidya Charan Shukla : All these things are examined while sending the officers on deputation.

Shri Ram Sewak Yadav : What does it mean ? I want to know whether the Scheduled Castes are among them ?

Shri Vidya Charan Shukla : Yes Sir, so many.

Shri Ram Sewak Yadav : What is their percentage.

Shri Vidya Charan Shukla : The Hon. Member may ask the question. I will give a reply to that.

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTCE QUSTION

अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में "रिवाल्विंग टावर'

अ० प्र० सं० *3. श्री स० कुन्दू : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में "रिवाल्विंग टावर" बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप से स्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अशोक होटल्स लिमिटेड के बोर्ड ने महसूस किया है कि इस प्रायोजना को पूरा करने के लिये आवश्यक विपुल धन राशि का मुख्य होटल के अत्यावश्यक नवीकरण कार्य के लिये

अधिक लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा सकता है । अब तक पूरे किये गये निर्माण का उपयोग किया जाने वाला है, तथा परिक्रामी यंत्रावली (रिवाल्विंग मेकेनिज्म) के अधिकतम लाभप्रद रूप से उपयोग के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री स० कुन्दू : यह एक अच्छी खबर है कि रिवाल्विंग टावर स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप से स्थगित कर दिया गया है । इस योजना को अब त्याग दिया गया है, हालांकि इस अनावश्यक योजना पर अब तक 15 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जापान से कुछ सामान और उपकरणों का आयात किया गया था, जिनकी रिवाल्विंग टावर के यंत्रों के लिये आवश्यकता थी तथा आयात किये जाने के बाद ही मंत्रालय को यह पता चला था कि इस योजना को कार्यरूप नहीं दिया जा सकता है और इसे छोड़ दिया जाना चाहिये । उन उपकरणों का आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

डा० कर्ण सिंह : यह सौभाग्य की बात है कि इस परियोजना पर किया गया खर्च व्यर्थ नहीं जायेगा । जो निर्माण हुआ है उसका स्टोरों तथा कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा, क्योंकि हर हाल में हमें स्टोरों तथा कार्यालय के लिये काफी स्थान की जरूरत होती है । जहां तक यंत्रों का सम्बन्ध है, दो वस्तुओं का आयात किया गया है । एक परिक्रामी यंत्रावली जिस की लागत 2.40 लाख रुपये है तथा दूसरी लिफ्टें जिनकी लागत 2.48 लाख रुपये है । इसका अर्थ यह हुआ कि जापान से कुल 5 लाख रुपये के उपकरणों का आयात किया गया है । यह उपकरण भी बेकार सिद्ध नहीं होंगे । इन उपकरणों का अन्यत्र इस्तेमाल किया जा सकता है । इनका इस्तेमाल या तो आई० टी० डी० सी० द्वारा अपने नये होटल के लिये किया जा सकता है अथवा इन्हें किसी अन्य पक्ष को बेचा जा सकता है । मुझे विश्वास है कि यदि इन्हें बेचा गया तो इनसे भारी मुनाफा होगा । इसलिये इन उपकरणों से भी हानि नहीं हुई है ।

श्री स० कुन्दू : मैंने यह पूछा था कि क्या असैनिक उड्डयन मंत्रालय तथा अशोक होटल के निदेशक मण्डल ने उपकरणों का आयात करने के बाद यह महसूस किया था कि चूंकि एक विशेष ऊंचाई के बाद तीन मंजिलों का निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसलिये इस योजना को छोड़ देना चाहिये । यदि वे पहले इस बात को महसूस करते तो सरकार को इतनी विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ती । उन्होंने इस बात का पता पहले क्यों नहीं लगाया ? यह सरकारी धन की बहुत बड़ी बर्बादी है । मैंने यह नहीं पूछा था कि इनका उपयोग किया जायेगा अथवा नहीं । मैं नहीं समझता कि क्या कुछ समय के बाद वे उपकरण केवल लोहे के टुकड़े रह जायेंगे और चूंकि रद्दी लोहे के मूल्य बढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति उन्हें खरीद लेगा । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का पहले पता क्यों नहीं लगाया गया ? क्या यह केवल इसलिये किया गया था कि किसी फर्म को कुछ आढ़त दी जाये और उन्हें कुछ धन प्राप्त हो जाये तथा उसके बाद इस योजना को छोड़ दिया जाये ?

डा० कर्ण सिंह : जी नहीं । मैंने कहा था कि यदि इन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वास्तव में यह धन की बर्बादी होती । इस उपकरण को अशोक होटल के रिवाल्विंग

टावर में नहीं लगाया जायेगा । परन्तु यदि उपकरण का अन्यत्र इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे बर्बादी नहीं कहा जा सकता ।

श्री स० कुन्दू : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपने तेरहवें प्रतिवेदन में अशोक होटल के कार्यसंचालन की विशेषतया रिवाल्विंग टावर की कटु आलोचना की है । उन्होंने कहा है कि श्री प्रेम किशन नामक व्यक्ति ने जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव थे, फाइल पर विशेष रूप से यह आदेश दिये थे कि इस परियोजना के लिये समिति निविदायें मांगी जानी चाहियें । इस बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कड़े आक्षेप किये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिश के आधार पर इस विशेष अधिकारी के विरुद्ध जिसने यह आदेश दिये थे अशोक होटल के इस विस्तार कार्य के लिये सीमित निविदायें मांगी जानी चाहिए । सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

डा० कर्ण सिंह : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अशोक होटल के विस्तार कार्य के निर्माण के समूचे प्रश्न की जांच करने के लिये भारत सरकार द्वारा एक नियमित जांच समिति नियुक्त की गई थी । उन्होंने इसकी जांच की थी और एक विस्तृत प्रतिवेदन पेश किया था । उन्होंने यह निष्कर्ष निकाले थे, मैं रिपोर्ट की अन्तिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं :

"फिर भी सब हालात को देखते हुये, समिति यह समझती है कि प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटियों के होते हुए भी, मैसर्स तीर्थ राम को वरीयता देने का निदेश मण्डल का कार्य समझ में आने योग्य है क्योंकि दूसरे ठेकेदार के सम्बन्ध में उन्हें सन्देह था ।"

हमने इस मामले की ध्यानपूर्वक जांच की है । संलग्न भवन को बहुत कम समय में पूरा करना था ताकि ग्यारह महीने की अवधि में इसे "उंकराड" के सत्र के लिये तैयार किया जा सके । इसलिए सीमित निविदायें मांगने की प्रक्रिया अपनाई गई थी । इसकी पूर्ण जांच कर ली गई है और किसी अधिकारी पर कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है ।

श्री स० कुन्दू : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री ने कहा है कि किसी अधिकारी पर कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है ।

डा० कर्ण सिंह : इस जांच प्रतिवेदन में ।

श्री स० कुन्दू : जांच प्रतिवेदन सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बाद प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह समिति का एक निष्कर्ष है । माननीय मंत्री ने समिति के प्रतिवेदन के एक संगत अंश का उल्लेख किया है । मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का अध्यक्ष रहा हूं । मुझे प्रक्रिया की पूरी जानकारी है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने सही तरीका अपनाया है ।

श्री म० ला० सोंधी : माननीय मंत्री का यह विश्वास है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का प्रबन्ध बहुत अच्छा है। इसलिये मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने तो उन्हें गलत जानकारी नहीं दी है ? मेरी जानकारी यह है कि 21 लाख रुपये की राशि में से लिफ्ट की लागत 10 लाख रुपये है तथा उपकरण की लागत $3\frac{1}{2}$ लाख रुपये है और $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये इमारत पर खर्च किये गये हैं। इमारत का वह हिस्सा जिस पर $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये खर्च किये गये हैं, इस समय बड़ी खस्ता हालत में है। वह रेत का एक ढेर है। यदि मंत्री महोदय उसे देखेंगे तो उन्हें बड़ा दुख होगा। क्या मंत्री महोदय मुझे आश्वासन देंगे कि जहां तक अशोक होटल का सम्बन्ध है, वह इस मामले की जांच कराने का आदेश देंगे, क्योंकि इस बारे में और भी आरोप हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं फिर खत्म करूंगा। छठी तथा सातवीं मंजिल पर 10 मिलिमीटर के टायलों के स्थान पर 6 मिलिमीटर के टायलों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एक लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया है। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करायेंगे ?

डा० कर्ण सिंह : वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं वहां गया था और मैंने स्थिति देखी थी, क्योंकि मैं समझता था कि वहां जाना मेरे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यह सच है कि इस समय उस भवन का इस्तेमाल स्टोरों आदि के लिये किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल कार्यालय के लिये भी किया जायेगा। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जायेगा।

श्री म० ला० सोंधी : $7\frac{1}{2}$ लाख रुपयों का क्या हुआ ?

डा० कर्ण सिंह : मैंने कहा है कि 6.63 लाख रुपये और उनका पूरा उपयोग किया जायेगा।

श्री म० ला० सोंधी : जांच के बारे में वह क्या कहते हैं ? **(व्यवधान)**

डा० कर्ण सिंह : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह टायलों के बारे में मुझे लिखें। **(व्यवधान)**

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : माननीय मंत्री ने कहा है कि इन यंत्रों का इस्तेमाल करने के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध सोचा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या योजनायें बनाई हैं तथा उनका कहां इस्तेमाल किया जायेगा ?

डा० कर्ण सिंह : इस समय कई बातों पर विचार किया जा रहा है। मालाबार हिल्स से मेरिन ड्राइव बहुत अच्छा दिखाई देता है और यदि वहां रिवाल्विंग रेस्टोरेन्ट हो जाये तो काफी आय होने की आशा है। यह एक सम्भाव्यता है। दूसरी सम्भाव्यता यह है, इण्डियन एयर लाइन्स जनपथ पर एक नया भवन बना रहा है। हम समझते हैं कि शायद उसकी चोटी पर इसे लगाया जा सकता है, क्योंकि रिवाल्विंग टावर से वह बहुत सुन्दर दिखाई देगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कुड्डालोर पत्तन का विकास

*694. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुड्डालोर पत्तन के विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस कार्य को शीघ्र करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). कुड्डालोर पत्तन बड़ा पत्तन नहीं है। बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास की कार्यकारी उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का है। तामिलनाडु सरकार ने सूचना दी है कि कुड्डालोर पत्तन में नदी साधने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आर०सी० सी० घाट, पनकट दीवार, निकर्षण आदि का निर्माण हाथ में ले लिया गया है और कार्य प्रगति पर है। योजना का 1971 में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

आयोगों/समितियों में न्यायाधीश

*695. **श्री नी० श्रीकांतन नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने वर्ष 1968-69 में कितने न्यायाधीशों सेवा/निवृत्त न्यायाधीशों की समितियों तथा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है; और

(ख) क्या ऐसी उच्च नियुक्तियों के बारे में कोई फार्मूला/नीति निर्धारित की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) 1968-69 की अवधि में केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न आयोगों/समितियों/अधिकरणों में 42 कार्यरत तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

Hill State for Assam

*696. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ranjeet Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of those Hill District Parishads, which according to the proposed Bill in respect of re-organisation of Assam, have refused to be included in the new sub-State ;

(b) whether Government would honour the national or political aspirations of these remaining Hill District Parishads like those of the people of the new sub-State and consider the question of according them some more rights ;

(c) if so, the nature thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) to (d). The Assam Reorganisation (Meghalaya) Bill, 1969, which was introduced in this House on the 15th December, 1969, provides for formation of an autonomous State within Assam comprising the autonomous districts of United Khasi-Jaintia Hills, Jowai and Garo Hills and also for an option to the autonomous districts of Mikir Hills and North Cachar Hills to join the autonomous State. This option is to be exercised by the District Councils concerned only after the Bill has been enacted into law. The question of any of these District Councils having refused to join the autonomous State, therefore, does not arise at present. The Bill also provides for amendment of the Sixth Schedule to the Constitution so as to enable the State Government to entrust additional executive functions to the District Councils and whether any of these two autonomous districts joins the autonomous State or not this power would be available. It would, therefore, be for the Government of Assam or Government of Meghalaya, as the case may be, to confer additional powers on these District Councils.

भारत तथा लातीनी अमरीकी देशों के बीच सीधी नौवहन सेवा

*697. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत तथा लातीनी अमरीकी देशों के बीच व्यापार के विकास में दोनों देशों के बीच सीधी नौवहन सेवा का अभाव भी एक बाधा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). भारतीय व्यापार शिष्ट मण्डल जिसने इस वर्ष सितम्बर में दक्षिण अमेरिका का भ्रमण किया, ने लेटिन अमेरिकन देशों को भारतीय जहाजी कम्पनियों द्वारा एक सीधी सेवा शुरू करने का सुझाव दिया । भारत सरकार मामले की परीक्षा कर रही हैं ।

Preparations of Maoist-Naxalite Communists for Bloody Revolution

*698. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Maoist-Naxalite Communists are making secret preparations in various States to bring about bloody revolution in the country ;

(b) whether it is a fact that they have also formed a political organisation to achieve their aim ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a). The Central Government are fully alive to the implications of the activities of the extremists. Information regarding their violent activities has been furnished in answer to the Lok Sabha unstarred question No. 1977, dated November 28, 1969.

(b). At a meeting organised by the extremists in observance of the May Day at Calcutta on May 1, 1969, Shri Kanu Sanyal announced that a third Communist Party, styled as the Community Party of India (Marxist/Leninist) had been formed on April 22, 1969. He was reported to have emphasised that the Party would follow the teaching of Mao Tse-tung that power grows out of the barrel of the gun.

(c). The Andhra Pradesh and Orissa Governments are taking vigorous action under the law to deal with violent activities of the extremists. In other States a close watch is being kept on such activities. The Central Government have made available the services of armed police forces under its jurisdiction to the States requiring their services.

Banaras Hindu University Inquiry Committee's Report

*699. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Jai Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have received the Report of the Banaras Hindu University Inquiry Committee ; and

(b) if so, the action taken by Government to implement the recommendations made therein ?

The Minister of Education and Yooth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a). Yes, Sir.

(b). The recommendations requiring immediate implementation were considered by Government and necessary legislation was introduced and passed by Parliament in the last session. The amending Act, namely, the Banaras Hindu University (Amendment) Act, 1969 (No. 34 of 1969) came into force on Semptember 5, 1969. A new Vice-Chancellor has been appointed and the Executive Council has been reconstituted in terms of the Act.

The recommendations of a long range character envisaging comprehensive reform of the structure and functioning of the University are under examination in consultation with the authorities concerned.

Building of Large Ships in India

*700. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the countries of the world are using large ships as a result of the closure of the Suez Canal and on account of the necessity of taking round of Africa and they propose to build ships of more than one lakh DWT in future ; and

(b) if so, the reasons why Government do not propose to build ships of more than 66,000 DWT in future ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Government has no precise information that most countries of the world propose to build ships of more than one lakh DWT in future on account of the closure of the Suez Canal and the necessity to sail round Africa. However, the present trend is to increase the size of ships in order to economise in cost of transport. It has been reported that shipowners have found from experience that the extra cost involved in the longer haul via the Cape of Good Hope would be more than compensated by the extra earnings from the employment of bigger ships which by reason of size and draft cannot pass through the Suez Canal even if it is reopened.

(b) Apparently, the reference is to the building of ships at the proposed Cochin shipyard where it is proposed to build ships of upto 66,000 DWT. This size of ship is a considerable

improvement over the existing indigenous capacity which is only about 15,000 DWT. The progress in the indigenous shipbuilding capacity has to be necessarily gradual due to constraint on financial resources, particularly foreign exchange. But that does not mean that the Indian fleet will be restricted to ships of 66,000 DWT. One ship of 88,000 DWT has already been acquired and more are on order and will continue to be acquired from abroad until Indian Shipyards develop capacity to build them.

Development of Coastal Shipping

*701. **Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Brij Bhushan Lal : Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the National Shipping Board has submitted any plan in regard to the development of Coastal shipping ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) government's reaction thereto ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b). The main recommendations made by the National Shipping Board in regard to the development of coastal shipping are :

(i) In order to provide balance traffic both ways, a minimum of 7.5 lakh tonnes of coal should be assured for movement by coastal shipping from Calcutta to the Southern and Western ports on a long term basis, irrespective of fluctuations in the carrying capacity of the Railways or other considerations.

(ii) 18 new dry cargo ships of 14000 DWT each should be added to the coastal fleet to meet the estimated total traffic that would be available if the recommendation at (i) is accepted.

(iii) A suitable procedure should be evolved for conducting periodical reviews and adjustment of coastal freights instead of granting **ad hoc** and delayed approvals to freight increases on representations by ship owners.

(c) The recommendation at (iii) has already been accepted and, in accordance with the revised procedure, the grant of some increase in existing freight rates is already under consideration of Government. As regards recommendation (i), the Ministry of Railways have not found it possible to guarantee any quantity of coal for coastal shipping beyond March 1972. The matter is, therefore, being examined further before taking a final decision. The recommendation at (ii) is dependent upon the acceptance of recommendation (i).

विदेशी धर्मप्रचारकों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

*702. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि विदेशी धर्मप्रचारक देश के अनेक भागों में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कुल कितने विदेशी धर्मप्रचारक है और यहां उनकी सामान्य गतिविधियां क्या हैं; और

(ग) उन विदेशी धर्मप्रचारकों को देश से निष्कासित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जो भारत विरोधी गतिविधियों में व्यस्त पाये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-69 को भारत में पंजीकृत विदेशी व राष्ट्रमंडलीय धर्मप्रचारकों की कुल संख्या क्रमशः 3,663 और 2,663 थी । वे चिकित्सा, शैक्षिक, सामाजिक और सामान्य धर्मप्रचारक कार्य में व्यस्त हैं ।

(ग) जब कभी कोई विदेशी धर्मप्रचारक अवांच्छनीय गतिविधियों के लिये ध्यान में आया है तो उससे देश छोड़ने को कहा गया है । जहां किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो उस कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की गई है ।

Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in National Integration Council Meeting Held in November, 1969

*703. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was no representative of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the meeting of the National Integration Council held on the 3rd and 4th November, 1969 in Delhi ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that at the time of the said meeting, some Harijan organisations had demanded their representation in the meeting ; and

(d) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). There was no meeting of the National Integration Council on those dates. But an all party Conference was convened by the National Integration Council on 3rd and 4th November, 1969, in accordance with the Standing Committee's decision on October 16, 1969, to decide upon concrete steps for a joint mass campaign by all political parties against communal violence. Consistent with its objective, therefore, the invitees to the conference were, with the exception of two organisations selected to give an adequate presentation of the view point of the Muslim community, restricted to parties recognised by the Election Commission as State or National parties.

(c) There was a minor demonstration, though no formal document of demands was presented to the Conference.

(d) A copy of the statement issued by the all party conference is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2431/69]**

पुलिस दल के आधुनिकीकरण के लिये पुलिस आयोग की स्थापना

*704. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि पिछला पुलिस आयोग 67 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, क्या केन्द्रीय सरकार का सभी राज्यों में पुलिस दल के आधुनिकीकरण के लिये एक पुलिस आयोग स्थापित करने का विचार है जैसा कि तमिलनाडु में करने का विचार है;

(ख) क्या आयोग सिपाहियों के लिये न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल परीक्षा रखने तथा उन्हें

तदनुसार वेतन दिये जाने के बारे में, जो उनकी संख्या में कमी करने से होने वाली बचत से पूरी की जा सकती है, विचार करेगा; और

(ग) इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि केन्द्र तमिलनाडु में पुलिस के आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय में अंशदान देगा, क्या कारण है कि वह सभी राज्यों में ऐसा नहीं करेगा कम से कम मोटर गाड़ियों की व्यवस्था करने के बारे में जिनमें स्टेशन हाउस अधिकारियों को मोटर साइकिलों के लिये ऋण तथा अनुदान देना भी शामिल है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पुलिस चूंकि राज्य क्षेत्राधिकार का विषय है अतः राज्य सरकारें ही अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार पुलिस से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिये पुलिस आयोग स्थापित करने का विचार एवं उपाय करती है ।

(ग) संचार, अनुसन्धान, यातायात नियन्त्रण आदि क्षेत्रों में पुलिस दल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों की आवश्यक प्रोत्साहन तथा सहायता देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से राज्य सरकारों की ऋण तथा अनुदान सहायता की एक योजना चालू की है । यह सहायता सभी राज्य सरकारों को सुलभ है ।

कलकत्ता में टर्मिनल भवन

*705. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में एक नये 'टर्मिनल' भवन का निर्माण कब पूरा होने वाला है और उसमें कार्य कब आरम्भ हो जायेगा;

(ख) क्या नये भवन में आधुनिकतम उपकरण लगाए जाएंगे जिससे वहां आधुनिकतम विमान उतनी ही आसानी एवं दक्षता से उतर सकेंगे जैसे कि विश्व के किसी अन्य सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं;

(ग) पूरा होने पर भवन पर कितनी लागत आएगी;

(घ) क्या विदेशी विमान यातायात से सम्बन्धित अन्य हवाई अड्डों पर भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(च) प्रत्येक पर कब तक काम आरम्भ हो जाएगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भवन के जनवरी, 1970 में कार्य आरम्भ कर देने की आशा है ।

(ख) जी, हां । सामान वाहक पट्टों, यात्री लिफ्टों तथा एस्केलेटरों की व्यवस्था कर दी गई है । अन्ततः विमान से टर्मिनल भवन तक सीधे पहुंचने की व्यवस्था करने के लिये 'एयरोब्रिज' स्थापित किये जाएंगे ।

(ग) लगभग 2 करोड़ रुपये ।

(घ) से (च). दिल्ली, बम्बई और मद्रास के वर्तमान टर्मिनल भवनों में परिवर्तनों का अनुमोदन कर दिया गया है जिनमें सामान वाहक पट्टे लगाने की व्यवस्था शामिल है । बाद में, दिल्ली, बम्बई और मद्रास के हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल कॉम्प्लेक्सों का विकास करने का प्रस्ताव है । उसके कुछ समय पश्चात् कलकत्ता हवाई अड्डे पर देशी यातायात के लिए एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण का भी विचार है । इस प्रकार विकसित किए गए टर्मिनल कॉम्प्लेक्सों से यात्रियों तथा सामान का शीघ्रता से निपटान करने के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था होगी ।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के अधिकारियों के विरुद्ध संसद सदस्यों की शिकायतें

*706. **श्री मधु लिमये** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के एक अधिकारी के विरुद्ध, जिसकी सेवाओं को अफ्रीका के एक देश को उपलब्ध किया गया था और उस देश की सरकार द्वारा उसे भ्रष्टाचार तथा दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था, संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के जनरल मैनेजर के बारे में भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उन दोनों शिकायतों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । माननीय सदस्य ने स्वयं ही इस सम्बन्ध में मुझे लिखा था ।

(ग) शिकायतें ये थीं कि :-

(i) इंडियन एयरलाइन्स ने एक अधिकारी को, यद्यपि एक विदेशी एयरलाइन्स के साथ प्रतिनियुक्ति के दौरान उस पर भ्रष्टाचार के मामले थे, पदोन्नत किया ; और

(ii) इंडियन एयरलाइन्स के उच्च अधिकारी, जिनमें उस समय के चेयरमैन भी शामिल थे, डगलस विमान खरीदने के प्रश्न में फंसे हुये थे एवं इस विमान कम्पनी द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के महाप्रबन्धक को उपहार भेजे गये थे ।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स ने इस प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट अधिकारी की सेवायें समाप्त कर दी हैं। सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि विमान खरीदने के सम्बन्ध में इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमैन अथवा महाप्रबन्धक किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के अपराधी नहीं हैं। विमान कंपनी द्वारा महाप्रबन्धक को एक अप्रार्थित उपहार भेजा गया, परन्तु ज्यों ही उसे उसका पता चला उसने सीमा-शुल्क प्राधिकारियों से प्रार्थना की कि वे उस उपहार को प्रेषक को वापस लौटा दें।

इंडियन एयरलाइंस के एक अधिकारी पर, जिसके विरुद्ध विमान खरीदने के संबंध में भ्रष्टाचार के कुछ आरोप हैं, अभियोग चलाया जा रहा है और यह मामला अभी अदालत में अनिर्णीत पड़ा है।

बड़े पत्तनों पर माल का उतारना व लादना

*707. **श्री वि० कु० मोडक :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार भारत के प्रत्येक बड़े पत्तन पर कितना तथा मूल्य का माल उतारा गया व लादा गया ;

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक पत्तन की माल उतारने व लादने की क्षमता में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन पत्तनों के विकास के लिये इस अवधि में यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2432/69]**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये समुद्रपार छात्रवृत्तियों के हेतु छात्रों का चयन

*708. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1969-1970 के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनाधिसूचित एवं खानाबदोश जातियों के व्यक्तियों को समुद्रपार छात्रवृत्तियां देने के लिये छात्रों का अंतिमरूप से चयन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अंतिम रूप से चयन करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). 1969-1970 के लिये निम्नलिखित 9 विद्वान चुने गये हैं :-

अनुसूचित जातियां : (6)

1. श्री के० श्रीगणेश	(मेके० इंजीनियरिंग)
2. श्री एस० के० मण्डल	(,, ,,)
3. श्री कोथा जगनाथम	(टेली-संचार)
4. श्री गुरु भाग सिंह	(इलेक्ट्रोनिक्स)
5. श्री एम० के० विस्वास	(सिविल इंजीनियरिंग)
6. श्री पी० नटराजन	(इले० इंजीनियरिंग)

अनुसूचित आदिम जातियां : (3)

1. श्री टोरिस मार्क	(सांख्यिकीय)
2. श्री आर० करकेटा	(कृषि)
3. श्री आर० वी० वुइके	(कृषि)

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में क्षेत्रीकरण योजना

*709. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विकेन्द्रीकरण से उत्पन्न हुई विषमताओं को दूर करने के लिये क्षेत्रीकरण नामक एक नयी योजना पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कब घोषणा की जायेगी ; और

(ग) उन व्यक्तियों की वरिष्ठता पुनः निश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जो अपनी सम्बन्धित पदालियों में कार्य नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी वर्तमान पदालि में से किसी अन्य मन्त्रालय की पदालि में तबादला किये जाने की मांग की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 में आवश्यक संशोधनों को 26 नवम्बर, 1969 को अधिसूचित कर दिया गया है जिनमें गृह मन्त्रालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले केवल कुछ क्षेत्रों के भीतर ही उस सेवा की विकेन्द्रीयित श्रेणियों में प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है ।

(ग) उन मामलों में, जहां अन्तर-संवर्ग स्थानान्तरणों पर प्रभाव पड़ता है, सम्बन्धित अधिकारियों की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय सेवा (स्थानान्तरित अधिकारियों की वरिष्ठता) विनियम, 1963 के अनुसार निर्धारित की जाती है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में भर्ती

*710. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती के लिये कौन-कौन से केन्द्र निश्चित किये गये हैं ;

(ख) क्या अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती सभी राज्य से की जाती है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती के लिये प्रत्येक राज्य का कोई कोटा निश्चित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की भर्ती के लिए कोई निश्चित केन्द्र नहीं हैं और न ही अधिकारियों तथा व्यक्तियों की भर्ती के लिए कोई राज्यवार कोटा ही निर्धारित किया गया है। नियत योग्यतायें वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को समस्त देश से भर्ती किया जाता है और बल की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त किया जाता है।

दिल्ली के विकास का प्राचीन स्मारकों पर होने वाले प्रभाव के बारे में सर मोरटिमर व्हीलर का मत

*711. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के विख्यात पुरातत्वविद, सर मोरटिमर व्हीलर ने यह विचार व्यक्त किया है कि जिस अस्तव्यस्त ढंग से दिल्ली का विकास हो रहा है उससे नगर के प्राचीन स्मारकों और उनके आस पास के क्षेत्रों को बहुत खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उक्त समस्याओं के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जब कभी सरकार निर्माण तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के कारण खतरा अनुभव करती है, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा के लिये सभी सम्भव कार्यवाही की जाती है।

(ग) एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास के सम्बन्ध में टाटा समिति की रिपोर्ट के बारे में डाक्टर बक मिनिस्टर फुलर का मत

*712. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिओडेसिक (धराकार) गुम्बद का डिजायन करने वाले तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दूरदर्शी इन्जीनियर डाक्टर रिचर्ड बकमिनिस्टिर फुलर ने कहा है कि भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास सम्बन्धी टाटा समिति की रिपोर्ट वर्तमान के लिये विश्वसनीय आंकड़ों का संग्रह है और इसमें पर्याप्त दूरदर्शिता निहित नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में कोई सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). 21-11-69 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा एक समाचार सरकार के नोटिस में आया है जिसमें डा० आर० बकमिनिस्टर फुलर द्वारा ऐसा एक वक्तव्य दिया बताया गया है परन्तु, डा० फुलर ने इस सम्बंध में सरकार को कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया है।

देश बन्धु कालेज, नई दिल्ली के प्रबन्ध का दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरण

*713. **श्री बलराज मधोक :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियों के लिये 11 कालेज चला रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली में कालका जी स्थिति देशबन्धु कालेज ही एक मात्र ऐसा कालेज है, जो सीधे उनके मंत्रालय के अधीन है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने इस कालेज को दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरित करने का निर्णय किया था और दिल्ली प्रशासन इसे लेने के लिये सहमत हो गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली प्रशासन ने 11 कालेजों की स्थापना प्रायोजित की है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं। इन कालेजों का प्रबन्ध, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित संविधियों के उपबन्धों के अनुसार गठित शासी निकायों में निहित है।

(ख) देशबन्धु कालेज कालका जी, नई दिल्ली का प्रबन्ध, धर्मार्थ पूर्त्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित कालेज की प्रशासन योजना के उपबन्धों के अनुसार गठित मंडल के अधीन है। शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के सचिव इसके पदेन अध्यक्ष नहीं हैं और मंत्रालय कालेज को सीधे ही अनुदान देता है।

(ग) और (घ). जी हां।

(ङ) निर्णय लागू करने के लिये प्रशासन योजना में परिवर्तन और उसके लिये कालेज के प्रशासन मंडल को पूर्व-अनुमति की आवश्यकता थी। मंडल द्वारा मामले में अंतिम निर्णय लिये जाने से पहले ही, कालेज के कर्मचारी संघ से प्रस्तावित तबादले के विरुद्ध एक अभ्यावेदन प्राप्त हो गया था और दिल्ली विश्वविद्यालय से, कालेज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की सम्भावनाओं का पता लगाने का निर्णय किया गया। पता लगाया जा रहा है।

उत्तर बंगाल में विमान सेवाओं में विलम्ब और उनका मन्सूख किया जाना

*714. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष उत्तर बंगाल के हवाई अड्डों को जाने वाली विमान सेवाओं तथा वहां से अन्य स्थानों को जाने वाली विमान सेवाओं में विलम्ब तथा उड़ानों के मन्सुख किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 1 सितम्बर, 1968 से 31 अगस्त तक की अवधि के दौरान, उत्तरी बंगाल के विमान क्षेत्रों से की गयी उड़ानों (टेक-आफ) की कुल संख्या 2,351 थी, जिनमें से निम्नलिखित कारणों से 462 उड़ाने 30 मिनट से अधिक विलम्ब से की गयीं तथा 98 उड़ानें रद्द की गयीं :–

क्रम सं०	कारण	विलम्बित उड़ानों की संख्या	रद्द की गई उड़ानों की संख्या
1.	मौसम	41	20
2.	परिणामी	347	63
3.	विविध	12	4
4.	विमान यातायात नियंत्रण	4	1
5.	इन्जीनियरिंग	33	5
6.	यातायात एवं खान-पान व्यवस्था (केटरिंग)	13	5
7.	परिचालन	9	—
8.	परिवहन	3	—
		462	98

Imparting of Education through the Media of Urdu and Bengali in Patna Higher Secondary School

*715. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar had issued an order in October, 1961 to the effect that education should be provided through the media of Urdu and Bengali in Patna Higher Secondary School and other schools of the State where the number of Urdu and Bengali speaking students is sixty ;

(b) if so, the number and names of Government and private schools where education is being provided to such students through the medium of said languages ;

(c) whether it is a fact that many schools are not implementing the said orders and that Government have also information to this effect ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Government of Bihar have reported that on 13-3-1967. they had ordered that linguistic minorities may be taught non-language subjects through their mother-tongue in the top four classes of high schools, provided there were at least 60 students offering the language as mother-tongue or in the initial stage 15 students in class VIII. The order also stated clearly that, due to practical difficulties the implementation of the decision will have to be phased.

(b) The Government Multipurpose School at Patna was teaching through the medium of Urdu and Bengali from January, 1967, upto the summer vacation of 1968. Due to shortage of staff, the concerned teachers were withdrawn. The State Government have a proposal to create additional posts.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e). As stated above, the scheme was to be extended in phases starting with Government schools. But due to financial difficulties, the State Government has not been able to create additional necessary posts nor sanction additional grant-in-aid for this purpose to aided schools. The State Government is, however, examining a proposal for creating additional posts.

Problems created by States Lotteries

*716. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the problems created by the lotteries being run by various States ;

(b) if so, whether Government propose to call a Conference of the Chief Ministers of various States to solve these problems and to bring parity in various lotteries ; and

(c) if not, the manner in which Government propose to solve these problems ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) No. Sir.

(c) State Governments organising lotteries have framed their own rules and regulations for conducting lotteries and it would be for them to work out satisfactory arrangements for running them. However, the Northern Zonal Council considered the matter at its last meeting and agreed that representatives of the States concerned should meet and evolve certain uniform principles for conducting State lotteries.

As regards the sale of tickets of lottery of one State in another State without the latter's concurrence suitable legislation is being undertaken.

हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के वेतनमान

*717. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को कोठारी आयोग के अनुसार वेतनमान दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को केन्द्रीय वेतनमान देने को सहमत हो गई है, परन्तु यह शर्त लगा दी गई है कि वर्तमान वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी ;

(घ) क्या शिक्षक इस शर्त का विरोध कर रहे हैं ; और

(ङ) किन-किन बातों पर अभी मतभेद है तथा इस मामले में सरकार द्वारा कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) जी हां। अध्यापकों के वेतनमानों को संशोधित करने से सम्बंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) सरकार ने दिल्ली अध्यापकों के श्रेणियों के तदनुरूप सममूल्य संशोधित वेतनमान स्कूलों के अध्यापकों के लिये स्वीकृत कर दिये हैं। कालेजों के प्रिंसिपलों और अध्यापकों के लिये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मान लागू कर दिये गये हैं।

(ग) संशोधित वेतन-मानों में वेतन निर्धारित करने के लिये, यह निर्णय किया गया है कि संशोधित वेतनमानों में स्कूलों के अध्यापकों के वेतन इस प्रकार निर्धारित किये जाये जिससे उनकी कुल परिलब्धियों में कोई परिवर्तन न हो।

(घ) जी हां। स्कूलों के अध्यापकों की एक जिला यूनियन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ङ) संशोधित वेतन-मानों में अध्यापकों के वेतन निर्धारित करने की पद्धति पर पुनः विचार किया जा रहा है। यथा-शीघ्र निर्णय लेने के लिये भरसक प्रयत्न किये जायेंगे।

Construction work on Lateral Road Project from Delhi to Assam

*718. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in pursuance of the Government of India's order of the year 1945, the construction work on the Lateral Road Project from Delhi to Assam was taken in hand in 1965 ; and

(b) if so, the amount sanctioned for the construction of the said road and the amount spent so far ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) and (b). Presumably the lateral road project from Bareilly in Uttar Pradesh to Amingaon in Assam is referred to. Its construction was approved in 1963 and was undertaken in 1964. A sum of Rs. 62.51 crores has been sanctioned so far and the total expenditure upto 30th September, 1969 is Rs. 51.17 crores.

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

*719. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के पत्राचार स्कूल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थियों से अपने नामों का पंजीयन कराने के लिये कहा था ;

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया और उन्हें अब तक प्रवेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से पंजीयन कराने के लिये कहने के क्या कारण हैं, और

(घ) इन विद्यार्थियों को कब तक प्रवेश दिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (घ). विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के उत्तर में पत्राचार के एम० ए० पाठ्यक्रम के लिये लगभग 7,000 छात्रों ने स्वयं को पंजीकृत कराया । ऐसा समझा गया है कि पंजीकृत कराने का उद्देश्य ऐसे विषयों की जानकारी है जिनमें ऐसे पाठ्यक्रमों की मांग थी तथा विश्वविद्यालय को इस समस्या की विशालता का मूल्यांकन करना है । मामला अब विश्वविद्यालय के विचाराधीन है । ज्यों ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा, पाठ्यक्रमों को शुरू किया जायेगा और छात्रों को दाखिल किया जायेगा ।

छः विश्वविद्यालयों को प्रमुख विश्वविद्यालय बनाना

*720. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा आयोग के इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि देश में

छः विश्वविद्यालयों को प्रमुख विश्वविद्यालय बनाया जाये जो अन्य विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श हों ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख) : शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयुक्त रूप से सितम्बर, 1967 में आयोजित कुलपति सम्मेलन ने इस सुझाव पर विचार किया था । सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि कुछ चुने हुये विश्वविद्यालयों को प्रमुख विश्वविद्यालयों के रूप में पुनर्गठित करने के स्थान पर चुने हुये विश्वविद्यालयों के विभागों को प्रोन्नत अध्ययन केन्द्रों के रूप में समुन्नत विकसित करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये ।

सम्मेलन की इस सिफारिश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

गीता कालोनी और शान्तिवन (दिल्ली) को मिलाने के लिये यमुना नदी पर पुल के निर्माण का प्रस्ताव

4551. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी की दूसरी ओर बसी हुई गीता कालोनी, शाहदरा, की बस्तियों को शांतिवन (दिल्ली) से मिलाने के लिये यमुना नदी पर पुल का निर्माण करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम पर कितना धन व्यय होगा और इस परियोजना के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या उक्त पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने की कोई तिथि निर्धारित है ;

(ङ) क्या यमुना पार की बस्तियों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये यमुना नदी पर और अधिक पुलों के निर्माण की कोई अन्य योजना है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (च). चौथी योजना के प्रारूप में शाहदरा में मास्टर योजना के मार्ग सं० 57 को लोआर वेला मार्ग से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के लिये व्यवस्था की गई है । इस निर्माण कार्य में शान्तिवन के पास के यमुना के पुल का निर्माण कार्य जिसकी अनुमानित लागत 200 लाख रुपये है, शामिल है, जिसमें से 92 लाख रुपये की व्यवस्था चौथी योजना में की गई है । इस पुल का संरक्षण अभी विचाराधीन है । अतः अभी तक कोई व्यय अथवा भौतिक (निर्माण)

प्रगति नहीं हुई । इस पुल को पूरा करने की कोई नियत तारीख निश्चित नहीं की गई है। उपरोक्त पुल के अलावा दिल्ली की मास्टर योजना में यमुना के ऊपर मौजूदा रेल व सड़क पुल वजीराबाद बांध के बीच एक और पुल बनाने का विचार है। तथापि इस सम्बंध में अभी तक कोई ब्योरा तय नहीं किया गया है।

Opening of a College for Trans-Jamuna area of Delhi

4552. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is only one college and that too co-educational for the entire trans-Jamuna area of Delhi (Shahdara) ;

(b) whether it is also a fact that the population of the trans-Jamuna colonies of Delhi is about 5 lakhs and it is gradually increasing but there is no separate college for girls there ;

(c) whether Government propose to draw up a scheme to open one more college there to obviate the difficulties of the people in this regard and if so, the nature thereof ; and

(d) whether any site has been selected for the proposed new college and if so, the location thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). There is only one (co-educational) college in Shahadra. Evening classes (for boys only) have however been started in the college with effect from the current academic year. The present estimated population of Shahadra Zone is about 2.5 Lakhs.

(c) This question will be considered by the authorities concerned at the time of starting new colleges next year.

(d) Does not arise.

Construction of Coastal Highways Linking Madhya Pradesh

4553. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have approved the scheme for construction of coastal highways linking Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the estimated cost thereof and the time likely to be taken in taking up the construction work and in its completion ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). Government have not approved any scheme for the construction of coastal highways liking Madhya Pradesh.

Provision of Transport and other facilities for tourists to reach tourist centres in Madhya Pradesh

4554. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to increase the transport and other facilities this year to the tourists to enable them to reach the Tourist Centres in Madhya Pradesh ;

(b) the amount allocated for the development of places of tourist interest and scenic beauty in Madhya Pradesh ;

(c) the places in Madhya Pradesh which have been selected as tourist centres ;

(d) whether Government propose to include Rameshwar Kund in Khandwa, East Nimad District and dry lake of Burhanpur in the list of the places of tourist interest and scenic beauty ; and

(e) whether Government propese to further develop the dry lake area of Burhanpur so that the tourists could stay there comfortably ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Central Government has allotted imported cars, acquired by the State Trading Corporation, to approved tourist car operators at Indore and Satna (for Khajuraho-Rewa) and to the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation. Two vehicles are also to be provided at the Kanha-Kisli National Park during the current year at a cost of Rs. 0.70 lakhs.

(b) During the Fourth Plan period, it is proposed to develop Khajuraho on an integrated basis at a cost of Rs. 5 lakhs and to provide two units of accommodation, each consisting of four double rooms, at the Kanha-Kisli National Park.

(c) Tourists facilities have been provided by or with the help of the Centre at Sanchi, Mandu and Khajuraho.

(d) and (e). Due to limited resources, this is not possible.

Grants to Aided Colleges in Madhya Pradesh by University Grants Commission

4555. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision that University Grants Commission should not give any grant to those aided colleges which fail to follow the rule of giving admission to at least 1500 students annually ; and

(b) if so, the number of colleges in Madhya Pradesh likely to be affected thereby ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

भारत के राष्ट्रपति के स्वविवेकी अधिकार

4556. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा को विघटित किये जाने तथा मध्यावधि निर्वाचन किये जाने की स्थिति में भारत में राष्ट्रपति के स्वविवेकी अधिकारों के बारे में भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विधि मंत्रालय के परामर्श से उनके मंत्रालय ने यह परिभाषित किया है कि लोक सभा तथा मंत्री परिषद के न होने पर भारत के राष्ट्रपति के क्या कृत्य होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संविधान के उपबन्ध स्पष्ट हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दू मूर्तियों की चोरी के सम्बंध में गिरफ्तारियां

4557. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातन तथा प्राचीन 280 हिन्दू मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में खुफिया पुलिस द्वारा रीवा और सतना में गिरफ्तार किये गये छः अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम तथा व्यवसाय क्या हैं; और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) ये मूर्तियां किन-किन मन्दिरों से चुराई गयी थीं और इन मूर्तियों का अनुमानित मूल्य कितना है ; और

(ग) क्या ये मूर्तियां उन मन्दिरों में पुनः स्थापित कर दी गई है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना मालूम की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों की संख्या

4558. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में कुल कितने अधिकारी तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारी हैं और उनपर कितना वार्षिक खर्च होता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में 716 अधिकारी तथा 63,411 अन्य श्रेणी के कर्मचारी हैं। 1969-70 के लिये स्वीकृत बजट व्यवस्था 15.76 करोड़ रुपये की है।

गुजरात में एक शिपयार्ड का निर्माण

4559. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में एक शिपयार्ड के निर्माण के बारे में कोई व्यवहारिक अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). गुजरात राज्य में सिक्का में, जहाजों, नावों, कर्षनावों इत्यादि के निर्माण के लिये एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय को मैसर्स दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड से एक आवेदन प्राप्त हुआ था । सरकार ने इस पर विचार किया और फर्म को सूचित किया कि चूंकि पोत निर्माण उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिये सुरक्षित रखा गया है अतः उनको प्रथम दृष्टि में लाइसेन्स जारी करने का कोई मामला नहीं है ।

चण्डीगढ़ को पंजाब के साथ मिलाये जाने के प्रश्न पर पंजाब बन्द

4560. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब को सर्वदलीय आन्दोलन समिति में चण्डीगढ़ आदि को पंजाब के साथ मिलाये जाने की मांग के समर्थन में 11 दिसम्बर, 1969 को पंजाब बन्द का आयोजन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार का ध्यान इस प्रेस रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है ।

(ख) सरकार लोक हित में इस मामले पर निर्णय करने और यथाशीघ्र इसकी घोषणा करने के लिये स्वयं इच्छुक है और हर हालत में वह संसद के बजट अधिवेशन से पहले इसकी घोषणा कर देगी ।

मंत्रालयों में हिन्दी अधिकारियों को दर्शकों से मिलने की अनुमति

4561. **श्री जागेश्वर यादव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कितने हिन्दी अधिकारियों को इस बात की विशेष अनुमति दी गई है कि वे अपने कार्यालयों में दिल्ली और नई दिल्ली में गृह-कार्य मंत्रालय के सुरक्षा क्षेत्र में दर्शकों को बुला सकते हैं ;

(ख) प्रत्येक को ऐसी विशेष अनुमति दी जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) 1 जनवरी, 1968 से 30 जनवरी, 1968 तक की अवधि में उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग, कितने लोग मिलने आये थे ; और

(घ) कितने दर्शक सरकारी प्रयोजन से उन से मिलने आये और दर्शकों में कितनी महिलाएं थीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). दर्शकों को मिल सकने के लिए वित्त मंत्रालय में केवल एक हिन्दी अधिकारी को विशेष अनुमति प्रदान की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुरोध पर विशेष अनुमति इस कारण से दी गई थी कि नियम पुस्तिकाओं, संहिताओं, संसद प्रश्न आदि के अनुवाद से सम्बन्धित कार्य के बारे में अधिकारी को सम्बन्धित संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों से बार-बार मिलना पड़ता है।

(ग) और (घ). स्वागत कार्यालय के रिकार्ड से प्रतीत होता है कि पहली जनवरी, 1968 से 30 जून, 1968 तक की अवधि में 75 व्यक्ति हिन्दी अधिकारी से मिले। 40 मामलों में मिलने का प्रयोजन सरकारी था। छः महिला दर्शक थीं।

हिमाचल प्रदेश में बलदेव सिंह की कथित हत्या

4562. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 29 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5448 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी से ऐसा आभास मिलता है कि श्री बलदेव सिंह की मृत्यु के बारे में पुलिस द्वारा पहले बताई गई यह बात गलत थी कि उसकी मृत्यु सड़क पर लगे बिजली के खम्बे से बिजली का झटका लग जाने से हुई थी और विशेष पुलिस संस्थान (सी० आई० डी०) ने इस दुर्घटना के बारे में कुछ नई बातों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). श्री बलदेव सिंह की मृत्यु के कारण की जांच करने के लिये एक दंडाधिकारीय जांच का आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार को अभी जांच-रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

इंजीनियरी डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास करने पर वार्षिक वृद्धियां

4563. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 21 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 588 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों की ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास करने पर वार्षिक वृद्धियां देने सम्बन्धी अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं तो, इसमें देरी होने के क्या कारण हैं तथा जानकारी कब तक एकत्र किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कुछ मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर सभी मंत्रालयों/विभागों (उनके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों और उनके अधीन सरकारी क्षेत्र उपक्रमों समेत) से सूचना एकत्रित कर ली गई है। प्राप्त सूचना से प्रतीत होता है कि जबकि कुछेक मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों ने डिप्लोमा धारकों को जिन्होंने ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास की हो वेतन में अग्रिम वृद्धियां/नकद पुरस्कार अथवा निर्धारित वेतनमान में उच्चतर आरम्भ के रूप में कुछ रियायतें दी हैं, कुछ मंत्रालयों इत्यादि में उन, डिप्लोमा धारियों के लिए जिन्होंने ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास की हो उनके लिये उच्च पदों पर पदोन्नति की पात्रता के लिये कम अवधि की सेवा निर्धारित की गई है। जब कभी ये रियायतें दी जाती हैं तो सम्बन्धित विभागीय नियम इत्यादि में ऐसे रियायतों के लिये व्यवस्था की जाती है। फिर भी, ऐसे मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं जहां ए० एम० आई० ई० पास डिप्लोमा धारकों को कोई रियायतें नहीं दी जाती हैं। यह इसलिये है क्योंकि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये जिन्होंने सेवा काल में उच्च योग्यताएं प्राप्त की हैं वेतन में अग्रिम वृद्धि इत्यादि देने की रियायत की व्यवस्था के कोई सामान्य आदेश नहीं हैं। यदि इस सम्बन्ध में अग्रिम वृद्धि इत्यादि की कोई रियायत समान आधार पर उन डिप्लोमा धारकों को दी जाती है जिन्होंने ए० एम० आई० ई० की परीक्षा पास की हो तो ऐसी रियायतें उन विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को भी देनी पड़ेगी जो सरकारी सेवा में प्रवेश करने के पश्चात् उच्च योग्यतायें प्राप्त कर लेते हैं।

पेनिसुलर एण्ड ओरियन्टल स्टीमशिप एण्ड नेवीगेशन कम्पनी का भारतीय पत्तनों पर जहाज न लाने का निर्णय

4564. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेनिसुलर एण्ड ओरियन्टल स्टीमशिप एण्ड नेवीगेशन कम्पनी ने निर्णय किया कि उनके यात्री जहाज फरवरी 1970 से भारतीय पत्तनों पर नहीं जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कंपनी के अनुसार स्वेज नहर के बन्द होने से और दक्षिणी अफ्रीका से बम्बई आने के परिणामी अदल-बदल के कारण उनके जहाजों का भारतीय पत्तनों पर आना मंहगा हो गया है।

दिल्ली नगर निगम में सेवा निवृत्तियां

4565. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के ऐसे कितने कार्यालय कर्मचारी हैं, जिनको 1967-68,

1968-69 तथा 1969-70 में 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा गया है और उनको किस आधार पर सेवा में रखा गया है ;

(ख) क्या वे फन्डामेटल रूल नं० 56 (सी) के अन्तर्गत पूर्णतः आते थे ;

(ग) उन कार्यालय कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको 60 वर्ष की आयु तक सेवा में नहीं रखा गया है या नहीं रखा जा रहा है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या ऐसे सभी मामलों में एक समान नीति का अनुसरण किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1938 से पूर्व सेवा में आये निगम के सामान्य वर्ग के 16 कर्मचारियों को मूल नियम 56 (ग) के अनुसार 60 वर्षों की आयु तक सेवा में रखा गया था। निगम ने बतलाया है कि कर्मचारी पूर्णतया उक्त नियम के अन्तर्गत आते थे।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया कि छः कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा में नहीं रखा गया क्योंकि उनके मामले नियमों के अन्तर्गत नहीं आते।

(घ) निगम प्रमाणित करता है कि वे ऐसे मामलों में एक समान नीति का अनुसरण करते हैं।

दिल्ली/नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों का लगाया जाना

4566. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद की मूर्तियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इनको किन-किन स्थानों पर तथा कब तक स्थापित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमायें लगाने के लिए उपयुक्त स्थानों के चुनाव के प्रश्न पर सरकार का ध्यान है।

बेपोर पत्तन (केरल) का विकास

4567. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री विश्वनाथ मेनन** :
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में केरल में बेपोर पत्तन के विकास के लिए औपचारिक अनुमति नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). बेपोर पत्तन के विकास को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। तदनुसार राज्य सरकार को सूचित किया जा रहा है।

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

4568. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले, तीन वर्षों के दौरान जम्मू-काश्मीर, दिल्ली, आसाम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बसने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने अपने ठहरने की अवधि को बढ़ा लिया है ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति पाकिस्तान वापिस चले गये हैं ; और

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों को नोटिस जारी किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में एक विवरण संलग्न है जो दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब से आये। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2433/69]**

उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेंगी जो जम्मू व कश्मीर और असम राज्य में आये।

सड़क विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के बारे में राज्यों को दिये गये अनुदेश

4569. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को उन राज्यों में कुछ सड़क विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के अनुदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). किसी विकासीय सड़क कार्यों के बारे में किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश नहीं दिये गये हैं। परन्तु योजना आयोग ने राज्य सरकारों को 1970-71 के लिये सड़कों के लिये अपने वार्षिक योजना बनाने के लिये कुछ मार्ग दर्शन दिये हैं। सड़क सम्बन्धी इन मार्ग दर्शनों का ब्योरा देने वाली टिप्पणी संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2434/69]**

शिव सेना के प्रधान को रिवाल्वर रखने की अनुमति

4570. **श्री क० अनिरुद्धन :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री गणेश घोष : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिवसेना के नेता बाल ठाकरे को रिवाल्वर रखने की अनुमति दे रखी है ;

(ख) क्या यह सच है कि बाल ठाकरे ने हाल में बम्बई में गोलियां चलाई थीं ;

(ग) यदि हां, तो उस घटना का ब्योरा क्या है ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बाल ठाकरे के पास पिस्तौल रखने के लिए वैध लाइसेंस है ।

2. 26 सितम्बर, 1969 को रात्रि को लगभग 11 बजकर 15 मिनट पर श्री और श्रीमती बाल ठाकरे चार व्यक्तियों के साथ लेडी जमशेदजी रोड पर अपने घर को लौट रहे थे तब एक मोटर टैक्सी बाईं ओर से अन्धाधुन्ध और लापरवाही से उनकी कार से आगे निकली । जब टैक्सी एक रेस्टारेंट के सामने रुकी, तो उस व्यक्ति ने, जो श्री ठाकरे की कार को चला रहा था, कार रोकी और टैक्सी चालक के पास उसके लापरवाही से गाड़ी चलाने के विरुद्ध विरोध प्रकट करने गये । टैक्सी चालक ने उस पर प्रहार किया । उसके बाद कुछ अन्य टैक्सी चालक भी उस पर प्रहार करने लगे । श्री ठाकरे, जो चालक को बचाने के लिये अपनी कार से बाहर आये, पर भी मुक्कों और घूसों से प्रहार किया गया । अपने जीवन को खतरे में समझकर श्री ठाकरे ने भीड़ को डराने के लिये अपनी पिस्तौल से एक गोली चलाई । उसके बाद पुलिस उप-निरीक्षक को मामले की सूचना दी जो उस रास्ते से गुजर रहा था । शरारती व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही की ।

3. गोली चलने के कारण न तो कोई जख्मी हुआ और न किसी सम्पत्ति की हानि हुई ।

4. श्री ठाकरे के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उसकी ओर से कोई अपराध नहीं बताया गया ।

Expenditure incurred in connection with P.M's Tours during the last Mid-Term Elections

4571. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the States and the amount spent by each of them in connection with the Prime Minister's tours during the last mid-term elections ;

(b) the details of the amount allocated and the amount spent out of it on security arrangements for the Prime Minister ;

(c) whether the balance amount has not been recovered from the Prime Minister ; and

(d) the action being taken by Government to recover this amount ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कोचीन में 'शिपयार्ड' बनाने के बारे में सरकारी दल का जापान का दौरा

4572. **श्री अदिचन :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में "शिपयार्ड" बनाने के सम्बन्ध में हाल में एक विशेषज्ञ सरकारी दल जापान भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या था तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां । मैसर्स मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा तैयार की हुई कोचीन शिपयार्ड को पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट जो मार्च, 1969 में जापान में हमारे दूतावास को प्रस्तुत की गयी थी, का पूर्वाध्ययन करने तथा उसके बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये एक सरकारी दल भेजा गया था जिसमें पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय के निदेशक (परियोजना) और निदेशक (यांत्रिक) शामिल थे । उपरोक्त दल के मैसर्स मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप उपरोक्त ने अप्रैल, 1969 और जून, 1969 में अपनी रिपोर्ट के पूरक स्पष्टीकरण दिये । बाद में तय हुआ कि रिपोर्ट और स्पष्टीकरणों के साथ-साथ पढ़ा जाय ।

Government Protest Flouted by Chinesc Embassy

4573. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Miniseer of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the naxalites have been receiving financial assistance from the Chinese Embassy ;

(b) whether it is also a fact that there has not been any appreciable effect on the Chinese Embassy officials of Government protest and they continue to extend such assistance to the naxalites ; and

(c) if so, the nature of the steps proposed to be taken by Government to check such activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Attention is invited to the answer to the Lok Sabha unstarred question No. 578, dated February 21, 1969, in which it was indicated that the Government of Kerala had information of one Shri Kunnikkal Narayanan of Calicut having had received amounts ranging from Rs. one hundred to Rs. five hundred by money orders from the Chinese Embassy

in Delhi on four occasions. It was also stated that no other State Government had information regarding any assistance given by the Chinese Embassy to Indians who had taken part in violent or subversive activities. No information is available with the Government about the Chinese Embassy having provided financial assistance to any extremists since February, 1969.

(c) Strict vigilance is being maintained.

उत्तर प्रदेश के एक गांव में राष्ट्रीय झंडे का जलाया जाना

4574. **श्री देवेन सेन:**
श्री क० लकप्पा :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री पी० एम० मेहता
श्री गुणानन्दन ठाकुर :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री स० कुन्दू :
श्री द० रा० परमार :
श्री किकर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश के अजगैन थाने के हिम्मतगढ़ गांव में गांधी जन्मशताब्दी के अवसर पर गांधी के चबूतरे पर राष्ट्रीय झण्डे के फहराये जाने के बाद उसे कुछ शरारती व्यक्तियों ने जला दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग सब दलों से सम्बन्धित तथा निर्दलीय अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राज्य के मुख्य मंत्री को एक संयुक्त पत्र भेजा है जिसमें दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा देने तथा इस समूचे मामले की जांच करने में जिसमें पुलिस द्वारा इस मामले की शिकायत दर्ज न करना भी शामिल है, की मांग की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस घटना तथा उक्त संयुक्त पत्र का ब्योरा क्या है तथा इसमें क्या तथ्य है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उन्नाव जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि गांधी शताब्दी के अवसर पर हिम्मतगढ़ गांव में जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा जला दिया गया और स्थानीय पुलिस ने शरारतियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ।

(ग) और (घ). मामले में जांच राज्य अधिकारियों द्वारा की गई थी । ध्वज को जलाने के बारे में आरोप सिद्ध नहीं हुये । दूसरी ओर यह बताया गया है कि जब ध्वज फहराया जा रहा था तो पास के छप्पर में आग लग गई और गांव वालों द्वारा ध्वज को आग से बचाया गया ।

साउथ कनारा जिले के अधिकारियों को नये निर्माण के बारे में दिये गये निदेश

4575. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउथ कनारा जिले के अधिकारियों को ये आदेश कैसे दिये जा रहे हैं कि तटीय सड़क पर, जिसे केन्द्र द्वारा वित्त घोषित किया गया है उस मार्ग के 75 मीटर के अन्दर तथा सड़क के अन्य सेक्शनों के 40 मीटर के अन्दर कोई नया निर्माण कार्य न किया जाये ;

(ख) गैर-सरकारी भूमि का इस्तेमाल करने का सरकार को क्या कानूनी अधिकार है जबकि उसका अर्जन नहीं किया गया है और बहुत से मामलों में सड़क के लिये भूमि का अर्जन करने के बाद भूमि के मालिकों के पास केवल वही भूमि रह गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या जारी किये गये निदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी, क्योंकि स्थानीय अधिकारी इसकी मांग कर रहे हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Seizure of Book Zehad

4576. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police have seized in Deoband about 700 copies and 864 title pages of the book entitled "Zehad" which contains anti-Indian material ;

(b) whether it is also a fact that persons, from whose houses the aforesaid books have been recovered, have not been arrested so far ;

(c) whether it is further a fact that the aforesaid book is being published from Deoband ;

(d) if so, the reasons for not arresting the culprits ; and

(e) the name of the press from which the said book is being published ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). According to information received from the Government of Uttar Pradesh, about 70 copies and 864 title page of the book entitled "Zehad" were seized by the Deoband Police. A case under Section 124-A/153-A I.P.C. was registered. One person, was arrested in this connection and has been released on bail. Another person, suspected to be involved absconding.

(c) and (d). The title page of the book suggests that it was published from Lahore. The actual place of printing of the book is not known. Investigation is in progress.

एक संसद् सदस्य के विरुद्ध दुर्भावपूर्ण समाचार प्रकाशित करना

4577. **श्री जगेश्वर यादव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बांदा से प्रकाशित स्थानीय पत्रिकाओं विशेषतया 'रिश्वत' नामक पत्रिका में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें गत एक वर्ष के तथ्यों को दुर्भावपूर्ण ढंग एवं जानबूझ कर तोड़ मरोड़ तथा प्रकाशित करके बांदा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित संसद् सदस्य को बदनाम करने के प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई जानकारी प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो ऐसे विषैले समाचार प्रकाशित करने और संसद् सदस्य को बदनाम करने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बांदा से प्रकाशित "रिश्वत" में कुछ समाचार निकले थे जिनमें एक संसद सदस्य का उल्लेख था ।

(ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

सनकराक पार्टी द्वारा हमले

4578. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री क० अनिरुद्धन : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वर्ष से अधिक समय से सनकराक पार्टी ने त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले करने तथा डाके डालने आरम्भ कर रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है तथा कितने हमलावरों को सजा दी गई है ;

(ग) इन हमलावरों के नेता किस राजनीतिक दल से संबद्ध हैं ;

(घ) ये हमले करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

Gang of Pakistani Spies Unearthed at Chandigarh

4580. **Shri Shashi Bhushan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of members of the gang of Pakistani spies unearthed by the Chandigarh Police and of those arrested so far among them ;

(b) the reaction of Government in regard to those three arrested persons who are stated to be belonging to the Army ; and

(c) the details of the material recovered from those persons ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Six persons were arrested recently by the Chandigarh Police for suspected espionage activities. The case is under investigation. It will not be in the public interest to disclose details of the case at this stage.

गांधी जन्म शताब्दी समारोह

4581. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के कहने पर किन-किन देशों में गांधी जन्म शताब्दी समारोह के प्रबन्ध किये गये थे ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कुल कितना धन खर्च किया गया ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 93 देशों में ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए, सरकारी अनुदानों से 13.75 लाख रुपये अब तक खर्च किए जा चुके हैं । विदेशों के संबंधित संगठनों द्वारा भी, अपनी-अपनी निधियों में से, इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन खर्च किया गया है ।

लोक सभा के भंग करने से सम्बन्धित राष्ट्रपति के अधिकारों में कमी करने की मांग

4582. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री जि० ब० सिंह :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री दंडपाणि :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपक्षी नेताओं ने विशेष रूप से लोक सभा को इसकी पांच वर्ष की सामान्य अवधि पूरी होने से पूर्व भंग करने के बारे में राष्ट्रपति के अधिकारों को कम करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस विषय में कछ राजनैतिक नेताओं द्वारा व्यक्त विचारों की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) सरकार संविधान के संबंधित उपबन्धों के किसी संशोधन पर विचार नहीं कर रही है।

Uniform Course of Education

4583. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri S. C. Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to draw up a scheme to introduce a uniform course of education in the entire country and to adopt a socialistic aim for education ;

(b) if so, when this scheme is expected to be implemented ;

(c) whether the Central Government have consulted the State Governments in this regard ;

(d) if so, the outcome thereof ; and

(e) the main difficulties being experienced by Government in adopting a uniform course of education in the entire country ?

The Minister for Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) The National Policy on Education has indicated that it would "be advantageous to have a broadly uniform educational structure in all parts of the country. The ultimate objective should be to adopt the 10+2+3 pattern, the higher secondary stage of two years being located in schools, colleges or both according to local conditions." It has also reiterated the need for a radical reconstruction of education on the broad lines recommended by the Education Commission with a view to realising the ideal of a socialistic pattern of society.

(b) to (d). The National Policy on Education was evolved after consulting all the State Governments on the Report of the Education Commission and it has generally been accepted by State Governments. They are also agreed about the desirability of moving towards a uniform pattern of education and some States have already initiated steps in this direction (e. g. Kerala, Andhra Pradesh).

(e) The most important difficulties experienced by Government in adopting a uniform course of education in the entire country are the heavy cost of the proposal and the paucity of resourses available.

इम्फाल में नागा ठेकेदार से गोला बारूद का बरामद किया जाना

4584. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में एक नागा ठेकेदार से मनीपुर राइफल्स के एक दल ने कुछ हथगोले "डैरोनेटर्स" राइफलें तथा अन्य लाइट एमुनीशन बरामद किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी की गई थी तथा इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 17-18 सितम्बर, 1969 की रात्रि को इम्फाल में नागा ठेकेदार के मकान से एक .310 बन्दूक, .310 की गोलियों के चार राउंड और उसी बारूद के चार खोल प्राप्त किये थे।

(ग) कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई क्योंकि ठेकेदार ने बाद में अपना लाईसेन्स प्रस्तुत कर दिया और शस्त्र तथा गोलाबारूद वापिस कर दिये गये।

नियुक्ति के मामले में उपकुलपतियों तथा शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों की आयु सीमा

4581 **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में नियुक्त किये गये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के नाम, पूर्व पद तथा आयु क्या है ;

(ख) सभी उपकुलपतियों की मध्ययान आयु कितनी है ;

(ग) इस बात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि उपकुलपति छात्रों की आयु तथा भावनाओं के अनुकूल होने चाहिये सरकार वृद्ध सेवा-निवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति क्यों देती है ;

(घ) सरकार प्रथम नियुक्ति पर कालेजों के प्रधानाचार्यों के लिए 40 वर्ष की तथा विश्वविद्यालयों के उपकुलपति के लिये 45 वर्ष की अधिकतम आयु निर्धारित क्यों नहीं करती है ; और

(ङ) सरकार अन्य शिक्षा संस्थाओं के लिये आयु के सम्बन्ध में ऐसे ही नियम क्यों नहीं बनाती, ताकि छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा न करने वाली स्थिति न रहे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जानकारी इस प्रकार है :

	नाम	नियुक्ति के समय आयु	पूर्व पद
1.	प्रोफेसर ए० अलीम उप-कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	61 वर्ष और 4 मास	प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
2.	डा० के० ल० श्रीमाली, उप-कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	59 वर्ष और 11 मास	उप-कुलपति, मैसूर, विश्वविद्यालय
3.	प्रोफेसर के० एन० राज, उप-कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय	45 वर्ष और 5 मास	प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय
4.	श्री जी० पारथसारथी, उप-कुलपति, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	56 वर्ष और 9 मास	संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि

(ख) विश्वविद्यालयों के सभी उप-कुलपतियों की औसत आयु उपलब्ध नहीं है। लेकिन भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित उप-कुलपतियों की औसत आयु लगभग 56 वर्ष है।

(ग) से (ङ). आयु उन अनेक बातों में से केवल एक है, जिन्हें उप-कुलपतियों, कालेजों के प्रिंसिपलों अथवा शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति में ध्यान रखा जाता है। उनकी योग्यता, कर्त्तव्य परायणता, विद्यार्थियों के हितों का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं।

उप-कुलपतियों के लिये कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करना पूर्ण रूप से नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों का कार्य-क्षेत्र है। तथापि भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की यह सिफारिश स्वीकार की है कि उप-कुलपतियों को 65 वर्ष की आयु पर सेवा-निवृत्त हो जाना चाहिए और राज्य सरकारों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ऐसा करने की सिफारिश की है।

कालेजों के प्रिंसपलों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्ष के बारे में उनके लिये तथा सामान्य शिक्षकों के लिये निर्धारित आयु सीमा के बीच कोई अन्तर रखना वांछनीय नहीं है। इस बारे में शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि सामान्यतया शिक्षकों की सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए ; और यदि कोई व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों को कुशलता से पूरा कर सकने के लिये शारीरिक रूप में स्वस्थ और मानसिक रूप में प्रबुद्ध हों, तो 65 वर्ष की आयु तक सेवाकाल वृद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सिफारिश की ओर सभी सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है।

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के निकट एक आदिम जाति की लड़की की हत्या

4586. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट सतिया नाम की आदिम जाति की उस लड़की की हत्या के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें भूतपूर्व उप-मुख्य मंत्री के पुत्र का हाथ होना बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और आदिम जातीय और हरिजन लोगों के हितों की सुरक्षा किस प्रकार की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 22-6-69 को श्री मुन्नीलाल ने भारीहन पुलिस थाने में एक मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि गोपालपुर फार्म पर राम नारायण सिंह के नौकर राम बहादुर सिंह द्वारा उनकी लड़की को गोली मार दी गई थी जब वह उसके घर आया था और उसकी लड़की से पूछा था कि वह काम पर क्यों नहीं आई। राज्य खुफिया विभाग द्वारा मामले में जांच पड़ताल की गई। राम बहादुर सिंह को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 / 27 के अन्तर्गत आरोपों पर न्यायालय में पेश किया गया है। मामला न्यायाधीन है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश विधान सभा में बयान के दौरान में कहा था। इस घटना में उप मुख्य मंत्री के पुत्र के अन्तर्ग्रस्त होने का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और यह कि यदि उन्हें लिखित में आरोप दिये जायं तो वे जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच पड़ताल कराने को सहमत होंगे।

Property of Maharaja of Gwalior

4587. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a list of personal buildings and landed property belonging to the Maharaja of Gwalior and their maps were prepared and signed in accordanne with the signed covenant between the Maharaja of Gwalior and the Indian Government at the time of merger of Gwalior into Madhya Pradesh ;

(b) whether the property was handed over to the concerned Maharaja according to the list and the maps and, if so, when ;

(c) whether Government have received complaints to the effect that some I.A.S. Officers have occupied some of the landed property belonging to the Maharaja of Gwalior ; and

(d) if so, the action taken against the said officers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The private properties of the Maharaja of Gwalior were settled by Government of India in accordance with the provisions of the covenant signed for the formation of the United State of Madhya Bharat.

(b) The Government of Madhya Pradesh have intimated that the properties declared as the private properties of the Maharaja were handed over to him in 1950. Later on receipt of a complaint by the present Maharaja of Gwalior that his private properties as recognised by Government of India had not been handed over to him in accordance with the Maps, plans, etc., the State Government sought clarification as to whether the list or the map was to be followed in case of discrepancy. They were informed that unless there were any special circumstances to justify a contrary inference, where there was discrepancy between a descriptive list and a plan or a map, the list was accepted as the basic document.

(c) No such comlpaints have been received by Government of India.

(d) Does not arise.

National Rifle Association of India

4588. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several irregularities have been committed every year in the National Rifle Association of India and its accounts are not being properly maintained ;

(b) the details of the irregularities enumerated in the audit reports in the last three years ; and

(c) the action taken against the officers responsible for the said irregularities ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakat Darshan): (a) to (c). No irregularities have come to the notice of the

Government of India in respect of the utilisation of the grants which were sanctioned by it to the National Rifle Association of India during the last three years. As for the annual accounts of the Association, the Auditors of the Association have reported several irregularities in the maintenance of these accounts for the years 1966-67 and 1967-68. The Association is an autonomous body it is, therefore, up to them to take remedial measures and action, if any, against the defaulting staff. The audited accounts for 1968-69 (period ending 31st August 1969) have not yet been received.

Arrest of Hindu Families by Border Security Force

4589. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian Border Security Force arrested seven Hindu families while they were entering into Indian territories near Sherpura on the Indo-Pak. borders ;

(b) whether it is also a fact that when these families were produced before the Magistrate, they made a mention in their statements of atrocities being perpetrated on Hindus in Pakistan ;

(c) if so, the full details in this regard; and

(d) whether Government propose to take any steps for the safety of the Hindu families in Pakistan ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 7 Hindu families from Pakistan comprising 39 persons were apprehended by the Border Security Force, while they were crossing over into Indian territory at a point about 4 miles north of Sherpura in Raising Nagar Sector on the 6th September, 1969.

(b) and (c). During interrogation they complained of atrocities being perpetrated on Hindus in Pakistan.

(d). We will continue our efforts to persuade the Government of Pakistan to fulfil their obligations towards their minorities.

कवि कालिदास के नए जन्म स्थान के बारे में विवाद

4590. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मैथिलीभाषी लोगों ने कवि कालिदास का जन्म स्थान के बारे में जो विवाद उठाया है कि कालिदास का जन्म स्थान मिथिला था, क्या उसके बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). कवि कालिदास के जन्म स्थान की स्थिति का मामला केवल एक शैक्षिक मामला है, जिसके साथ भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

बेगम शाहनवाज खां का पाकिस्तान जाना

4591. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भूतपूर्व रेलवे उप मंत्री की पत्नी बेगम शाह नवाज खां कितनी बार तथा किन-किन तारीखों को पाकिस्तान गईं ; और

(ख) उसे इतनी बार बिना किसी रुकावट के सीमा पार करने की अनुमति दिये जाने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कोई भी व्यक्ति, जिसके पास वैध पारपत्र है, उस देश का दौरा करने के लिये स्वतन्त्र है जिसके लिये उसका पारपत्र मान्य है। साधारणतया दौरों की संख्या तथा उनकी तिथियों के बारे में कोई सूचना नहीं रखी जाती। वैध पारपत्र वाले किसी व्यक्ति को सीमा पार करने के लिये हर बार किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती।

भारत में तारकोल की और बिना तारकोल की सड़कें

4592. **श्री वि० प्र० मण्डल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तारकोल की और बिना तारकोल की सड़कों की लम्बाई राज्यवार तथा समूची कितनी है ; और

(ख) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में पार्श्ववर्ती सड़कों के निर्माण की कोई योजना है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2435/69]**

(ख) प्रचलित रूप से भारत सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आसाम से होकर जाने वाली उत्तर प्रदेश में बरेली से आसाम में अमीनगांव तक की पार्श्ववर्ती सड़क के विकास पर धन लगा रही है। इस समय केन्द्रीय सरकार के पास कोई और पार्श्ववर्ती सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Pakistan's Influence and Communalism in Jammu and Kashmir

4593. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the increasing influence of Pakistan and communalism in Jammu and Kashmir ;

(b) whether a serious communal situation has arisen in 'Chhota Kashmir', i. e. in Bhadrava Valley, situated at a distance of 250 Kms. to the South-West of Srinagar and at a distance of 200 Kms. to the South-East of Jammu ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a). Government have no evidence of increasing communalism or anti national activity in Jammu and Kashmir. They are however vigilant.

(b) and (c). There was some tension in Bhaderwah when a demonstration took place there on 27th September, 1969, to protest against the disturbances in Ahemadabad. Government of Jammu and Kashmir have intimated that Bhaderwah is now quiet and the situation there is normal.

यूगोस्लाविया से जहाजों की खरीद

4594. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया से जहाज खरीदने से पहले अन्य देशों को ध्यान में रखा जाता है और यदि हां, तो यूगोस्लाविया को विश्व मूल्य से औसतन कितने प्रतिशत अधिक मूल्य दिया जा रहा है ।

(ख) यदि विवाद अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थ-निर्णय के लिये जाता है, तो क्या इस मूल्य लाभ पर जोर दिया जायेगा ;

(ग) मध्यस्थ-निर्णय से मैत्री सम्बन्धी पर कैसे प्रभाव पड़ेगा जब कि यूगोस्लाविया स्वयं-मध्यस्थ निर्णय चाहता है ; और

(घ) क्या सरकार को अपने दावे के बारे में विश्वास नहीं है और क्या इसी कारण सरकार ने इसे मध्यस्थ-निर्णय के लिये सौंपने में देरी की है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) चूंकि जहाजों को खरीदने के लिये साख की सुविधाएं समस्त विश्व में उपलब्ध नहीं हैं, अतः यूगोस्लाविया में या किसी अन्य देशों में जहाजों के लिये आदेश देने से पहले विश्व निविदाएं मांगने से कीमतों की तुलना करना व्यवहारिक नहीं है । सदा की भांति कीमतों की युक्तियुक्तता की जांच के लिये मूल्य निर्धारण प्रमाणपत्र प्रसिद्ध जहाजों को मूल्यांकन करने वालों से प्राप्त करना है और इसके शिपयार्ड द्वारा दी गई कीमत से तुलना करना हैं ।

(ख) से (घ). साख व्यापार और भुगतान समझौतों की विनिमय परिवर्तन धारा के विभिन्न कानूनी अर्थों को दृष्टि में रखते हुये इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड के प्रबन्धक निदेशक की सहायता से कानूनी परामर्श प्राप्त करने के लिये दोनों सरकारें परस्पर सहमत हो गई है ।

इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय में मंत्री, श्री पी० सी० सेठी, द्वारा दिनांक 24-11-69 को लोक सभा में दिये गये लिखित प्रश्न संख्या 1176 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

भारत फिलीपीन सांस्कृतिक करार

4595. **श्री चेंगलराया नायडू** :

श्री रा० बरुआ :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और फिलीपीन ने एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह पहला अवसर है जब भारत और फिलीपीन के बीच इस प्रकार के करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(घ) सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान कब होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) करार में दोनों देशों के बीच कार्मिकों और सामग्री के विनिमय के द्वारा शिक्षा विज्ञान, कला व संस्कृति, रेडियो और टेलीविजन तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आदि देने की व्यवस्था है ।

(ग) जी हां ।

(घ) दोनों सरकारों द्वारा करार के अनुसमर्थित होने पर एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार करने के प्रश्न पर फिलीपीन सरकार से बातचीत की जायगी ।

इंजीनियरी कालेजों में वरिष्ठ प्राध्यापकों और शिक्षकों की कमी के बारे में सर्वेक्षण

4596. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 1969 के पूर्वार्द्ध के लिए हाल में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में इंजीनियरी कालेजों में वरिष्ठ प्राध्यापकों और शिक्षकों की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 1969 में इंजीनियरी कालेजों में अध्यापकों की कमी 16.4 प्रतिशत थी जबकि 1963 में 38.9 प्रतिशत की कमी थी । सभी राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों से भर्ती प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाकर यथासम्भव रिक्त पदों को भरने की प्रार्थना की गई है ।

अपनी विदेश यात्राओं में प्रधान मंत्री को प्राप्त हुए उपहार तथा उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुएं

4597. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 से 30 जून, 1969 तक प्रधान मंत्री को अपनी विदेश यात्राओं में किन-किन से, कौन-कौन से तथा कितने अनुमानित मूल्य के कितने राजकीय तथा गैर-राजकीय उपहार प्राप्त हुए और उनके द्वारा इन उपहारों पर पृथक-पृथक कितना सीमा शुल्क दिया गया ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने इस अवधि में विदेशों में कोई खरीदारी की थी और प्रत्येक यात्रा में कितने मूल्य की वस्तुएं खरीदीं तथा उनके द्वारा कितना सीमा शुल्क दिया गया ;

(ग) क्या इस अवधि में प्रधान मंत्री को भारत में कोई उपहार मिले ; और

(घ) यदि हां, तो उनका स्वरूप और मूल्य क्या है तथा वे कब और किस के द्वारा दिये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) 8 अप्रैल, 1967 को प्रधान मंत्री द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि अपेक्षित सूचना को प्रगट करने से एक मित्र देश की अन्य देश के साथ ऐसी तुलना होगी जिससे परेशानी बढ़ेगी और ऐसे विवरण का प्रगट किया जाना सार्वजनिक हित में भी नहीं होगा ।

(ख) किसी यात्रा में कोई सीमा शुल्क देने वाली वस्तु नहीं खरीदी गई । केवल कुछ वस्तुएं, नितांत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए तथा जो महत्वपूर्ण मूल्य की नहीं थी, खरीदी गईं, उनका मूल्य ऐसी यात्राओं पर प्रासंगिक खर्चों के वहन के लिये सामान्य प्राप्ति अधिकार के आधार पर उनको दिये गये विदेशी मुद्रा के विनिमय से किया गया ।

(ग) और (घ). कुछ स्वागत भाषणों के कांस्केट, फ्रेम किये गये भाषण अथवा फोटोग्राफ, अलबम, स्थानीय हस्तकला की वस्तुएं स्मृतिचिह्न तथा कम मूल्य की ऐसी अन्य समान वस्तुएं या तो उन स्थानों के व्यक्तियों द्वारा दी गई जहां की यात्रा की गई अथवा ऐसे सार्वजनिक समारोहों के आयोजनों द्वारा दी गईं जिनमें भाग लिया गया । इनमें से कुछ वस्तुएं उचित धर्मार्थ तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को भेज दी गईं और कुछ प्रधान मंत्री के सरकारी निवास पर उनके प्रयोग के लिये सरकारी सम्पत्ति के रूप में रख दी गईं, कुछेक उनके द्वारा स्मृति उपहार के रूप में रखी गई हैं ।

पाकिस्तान में मणिपुरी युवक

4598. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का सत्यापन कर लिया है कि कुछ मणिपुरी युवक सीमा पार करके पाकिस्तान चले गये हैं तथा शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लेने के लिये वहां रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन युवकों की संख्या क्या है तथा उस समाचार में कितनी सच्चाई है ; और

(ग) उनके पाकिस्तान जाने के कारण तथा उद्देश्य क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). बताया गया कि कुछ मणिपुरी युवक जिन्हें तोड़-फोड़ करने वाले और उग्रवादी तत्वों ने उकसाया था मणिपुर में सहायता प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान को चले गये हैं । उनमें से कुछ को पाकिस्तान से लौटते समय गिरफ्तार किया गया था ।

Recognition to Central Government Clerks Federation

4599. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a demand has been made to Government to restore recognition to the Central Government Clerks Federation ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the conditions attached to the said demand ?

The Minister of State in the Ministry of Home Aflairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). There is no organisation called the Central Government Clerks Federation. In respect of the Central Government Clerks Union, two claims for recognition have been received from two sets of persons, both claiming to be office bearers of the Union. The rival claims are being enquired into.

जम्मू तथा काश्मीर के लोगों द्वारा फिल्म प्रदर्शन के अन्त में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना

4600. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में सिनेमा घरों में फिल्म प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय ध्वज को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के नियम का पालन किया जाता है ;

(ख) क्या जम्मू तथा काश्मीर के लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) समय-समय पर राज्य सरकार से इस विषय पर पूछताछ की गई है और भारत सरकार को सूचित किया गया है कि राज्य में सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाता है । राष्ट्रीय ध्वज को भी राष्ट्रीय गान के समय प्रदर्शन किया जाता है ।

(ख) और (ग). जम्मू तथा काश्मीर के व्यक्तियों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है ।

Appointment of an Independent Commission to suggest Improvement in Parliamentary Working & Election System

4601. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether a demand for appointment of an independent Commission for suggesting improvements in Parliamentary working and election system was made in All India Whips Conference, held in September, 1969 ;

(b) if so, whether Government have looked into this demand ; and

(c) the decision taken in regard thereto ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah): (a). One of the Committees of the Seventh All India Whips Conference held at Madras in September, 1969, had made a recommendation that the Central Government might consider the question of setting up of an independent Parliamentary and Election Reforms Commission in order to review the working of (a) the Parliamentary Institutions, (b) the pattern of Political Parties, (c) the electoral system, (d) the Committee system, (e) the Parliamentary procedures, and (f) the accountability of the Executive to Parliament, but the recommendation was not accepted by the Conference.

(b) and (c). The questions do not arise.

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु के अभिलेख में परिवर्तन

4602. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्च न्यायालयों के कितने न्यायाधीश ने गत 5 वर्षों में अपनी आयु के अभिलेख में परिवर्तन कराया है ;

(ख) उन उच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं और उनके न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ग) आयु में अधिक से अधिक कितने परिवर्तन (वर्षों तथा महीनों में) की अनुमति दी गई ; और

(घ) क्या ये परिवर्तन केवल अनुरोध पर ही कर दिये जाते हैं या समुचित छानबीन के पश्चात किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). गत पांच वर्षों में केवल एक ही मामले में जन्म तिथि बदलने की सहमति दी गई। वे न्यायाधीश केरल उच्च न्यायालय के थे।

(ग) यह 1 वर्ष, 5 महीने और 9 दिन की अवधि का मामला था, जिसमें न्यायाधीश को हानि होती थी।

(घ) समुचित छानबीन के बाद सहमति दी गई थी।

निवारक निरोध अधिनियम

4604. **श्री रवि राय** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने निवारक निरोध अधिनियम की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की राय मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर विभिन्न राज्य सरकारों की राय क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, नागालैण्ड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सरकारों ने इस अधिनियम की और तीन साल के लिए अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है । महाराष्ट्र, मैसूर और पंजाब ने पांच वर्ष की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है । राजस्थान और तमिलनाडु ने इस अधिनियम को और दो साल तथा केरल ने एक साल के लिये (मुख्यतः काला बाजार को रोकने के लिये) जारी रखने की सिफारिश की है । पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले इस अधिनियम को तीन साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश की थी किन्तु उन्होंने हाल में अपने रुख में संशोधन किया है और सुझाव दिया है कि इस अधिनियम को समाप्त होने दिया जाय ।

Shifting of India Office Library, London

4605. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Chandra Shekhar Singh :**
Shri S. C. Samanta : **Shri K. Halder :**
Shri Bhogendra Jha : **Shri C. Janardhanan :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether any further progress has been made in respect of shifting the entire India Office Library or its important part to India ;

(b) whether it is a fact that Indian Institute, Oxford, is also losing influence there ;

(c) steps being taken by Government to make available these rare books and material to the research students in India ;

(d) whether further correspondence has been made with the British Government in this connection ; and

(e) if so, their reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Smt. Jahanara Jaipal Singh) : (a),(e), (d) and (e). A draft Arbitration Agreement regarding the India Office Library, received from the Government of U. K., has been examined and returned to that Government with our suggestions and an amendment. The matter is now receiving the attention of the Government of U. K. The question of making available the rare books and material in the Library to research students in India would arise only after the India portion of the Library is shifted to India on Library settlement of the dispute.

(b). Government have no information.

Work done by Director of Scientific and Industrial Research Centres

4606. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Edncation and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of days for which the Directors of various Scientific and Industrial Research Centres in the country remain out and the number of days for which they work in their Research Centres ;

(b) whether some conditions of service have been laid down in this respect ;

(c) whether any of the said Research Centres has made any remarkable achievement so far ; and

(d) the extent to which Government are satisfied with the work of the remaining centres and with the heavy expenditure incurred thereon ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The Directors/Heads of the National Laboratories/Institutes are their own Controlling Officers and no restrictions have been laid down for their travel within the country.

(c) A brochure giving scientific achievements of the national laboratories/institutes for the last 20 years is under preparation and copies will be supplied to the Library of Parliament.

(d) The Executive Councils of the laboratories review the progress made by the concerned laboratories and whenever any special measure is recommended by them, action is taken.

Conversion of Bangalore University as Central University

4607. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to declare the Bangalore University as a Central University ;

(b) if so, the time by which a decision is likely to be taken in this behalf ; and

(c) whether the concerned State Government has been consulted in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The proposal for conversion of Bangalore University into a Central University was made by the State Government.

Orders regarding use of Hindi in Education Ministry

4608. **Shri Narain Swarup Sharma :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2757 on the 8th August, 1969 and state :

(a) whether the criticism which appeared in "Swarajya" and "Hindu" and the influence of anti- Hindi elements was the cause for which the orders referred to were cancelled by him and not by the former Minister ;

(b) whether the reason for cancelling the orders, including item No. 12 which falls under the orders, issued from time to time by the Ministry of Home Affairs, is the anti-Hindi attitude of the Section Officers and the Under Secretaries of the Administrative Division ;

(c) the units out of the Sanskrit Unit, Hindi Unit, Indian Languages Unit and Hindi Translation Unit in his Ministry in which the entire work is carried out in Hindi ;

(d) whether the entire correspondence with all the offices of his Ministry located in the Hindi speaking areas and with Hindi speaking States is made in Hindi ;

(e) whether one Hindi typist and one Hindi translator has been provided to all the Sections and Subordinate Offices of his Ministry ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Hindi Translation Unit.

(d) No, Sir.

(e) and (f). Upto the beginning of October, 1969 there was one Hindi Translation Unit for the entire Ministry. In addition, several Sections had Hindi knowing typists. On 10th October 1969, three Hindi cells were established, each containing translator and typist, and attached to different Bureaux depending on the work-load. There are no separate cadres of typists in the Ministry. 29 Lower Division Clerks have been trained in Hindi-typewriting. In addition, 8 L. D. Cs. knowing Hindi typing have been recruited. These are able to meet the present requirements of the Ministry as regards typing in Hindi.

As regards translation work, the newly created Hindi cells are mainly engaged on translation of letters, notes etc., while the Hindi Translation Unit is used for translation of Parliamentary Questions, Assurances, Statements, annual reports, speeches of Ministers, Press communiques, agreements, licences, tender forms, permits etc. As regards Subordinate offices of this Ministry, Hindi knowing staff is being used as far as practicable.

Foreign Wives of Indian Officers

4609. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of officers whose Indian wives are living, out of the 160 senior officers of the Government of India who have married foreign women ;

(b) whether Government propose to take steps to have the conjugal rights of their Indian wives restored to them and also to compel these officers to keep their Indian wives with them ; and

(c) if not, the reasons for permitting these officers to marry foreign women when they have their Indian wives living ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (c). Facts are being ascertained.

(b) It will not be for the Government to take any such action.

Police Arrangements for V. I. Ps. in Delhi

4610. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister had delivered a speech in a public meeting held at the Ramlila Ground on the evening of the 9th September 1969 ;

(b) if so, the total number of policemen and police officers detained on duty on her way to the Ramlila ground and also in the Ramlila Ground and the total number of hours for which they were on duty ;

(c) whether Government are aware that the security of the public in Delhi is endangered as a result of such elaborate arrangements made for the V. I. Ps. because most of the policemen are engaged in connection with such arrangements ;

(d) whether Government's attention has been drawn to the news-item published on page 1 of the Hindustan Times dated the 10th September, 1969 wherein the police has been criticised in connention with a clash that took place between the students and the DTU staff on the 9th September, 1969 ; and

(e) if so, whether Government propose to cut down the arrangements made by the police for the security of the V. I. Ps. so that the public in general is not neglected ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Besides staff engaged on normal law and order duties, a total of 395 police officers and men were deployed on the route and the place of function in connection with the duties relating to the security of the P. M. and other V. I. Ps. On an average they remained on duty for 3 hours approximately.

(c) Bulk of the police force deployed for the security of V. I. Ps. in Delhi is drawn from a separate reserve which is independent of the police station staff. The Question of endangering the security of the public in Delhi does not arise.

(d) Yes, Sir.

(e) Security arrangements on such occasions are made in accordance with the standing instructions on the subject and the needs of the situation. The question of the public in general being neglected does not arise.

Purchase of Cargo Ships from Yugoslavia

4611. **Shri Shri Chand Goyal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of cargo-ships purchased by India from Yugoslavia during the last three years ;

(b) the total cost thereof ; and

(c) the number of such Ships proposed to be purchased at present ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). Since 1. 4. 1966, ten cargo ships, costing Rs. 27.204 crores, have been acquired from Yugoslavia. In addition, five ships costing Rs. 28.36 crores are at present firmly on order in shipyards in Yogoslavia.

पंजाब विश्वविद्यालय सिंडिकेट में हरियाणा के प्रतिनिधित्व की मांग

4612. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाणा कालेज टीचर्स यूनियन द्वारा स्वीकृत संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई है ; जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय के सिंडीकेट में हरियाणा के 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की मांग की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) केन्द्रीय सरकार को हरियाणा कालेज टीचर्स यूनियन की ओर से ऐसा कोई भी संकल्प नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जलकन्डेश्वर मन्दिर में मूर्ति की स्थापना

4613. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की सरकार ने हिन्दुओं द्वारा किये गये इस प्रस्ताव पर कि जलकन्डेश्वर के प्राचीन मन्दिर में जो विलोर के ऐतिहासिक किले में स्थित हैं, मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दी जाये, जहां कि पहले से एक गिरजा तथा एक मस्जिद विद्यमान है, कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) :

(क) चूंकि जलकंडेश्वर मन्दिर एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है, तमिलनाडु सरकार ने मन्दिर में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति केन्द्रीय सरकार से मांगी है। अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के समय यह धार्मिक प्रयोग में नहीं था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वेतन में से ऋण की राशि की कटौती के बाद हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को कुछ भी न मिलना

4614. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बहुत से कर्मचारियों ने ऋण ले रखा है तथा उन्हें वेतन में से ऋण की राशि की कटौती किये जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार कोई सहानुभूति पूर्ण कार्यवाही करने का है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं।

मजदूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत ऋणों के सहित कर्मचारियों की मजदूरी से वसूल की जाने वाली कटौती उनकी कमाई का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये और वेतन का शेष 25 प्रतिशत उन्हें नगद मिलना चाहिए। दी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस सांविधिक आवश्यकता का पालन कर रहा है।

पर्वतारोहण को लोकप्रिय करना

4615. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के युवकों में पर्वतारोहण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) 1 जून, 1968 से 1 जून, 1969 तक की अवधि में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न चोटियों के लिए कितने अभियान दल आयोजित किए गए थे ; और

(ग) क्या सफल पर्वतारोहियों को कोई पुरस्कार दिए गए थे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2436/69]**

"एक्रास दि ब्लैक वार्टस" नामक पुस्तक पर प्रतिबन्ध

4616. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री मुरासोली मारन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० मुल्क राज आनन्द द्वारा लिखी गई "एक्रास दि ब्लैक वार्टस" नामक पुस्तक पर पंजाब सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या लेखक ने उसके द्वारा उस पुस्तक में व्यक्त किये गये विचारों को समझाने में न्याय करने हेतु भारत सरकार से लिखा पढ़ी की है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी पुस्तक के वे मुख्य भाग कौन से हैं जिसकी पंजाब सरकार को आपत्ति है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) लेखक का कोई पत्र ध्यान में नहीं आया है।

(ग) पंजाब सरकार के आदेश की एक प्रति, जिसमें आपत्तिजनक लेखांश बताये गये हैं, संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2437/69]**

(घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-क के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारें सक्षम हैं।

Foreign Missionaries in Northern Part of Brahmaputra

4617. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the details of steps taken by Government to remove the foreign Missionaries from the Northern part of Brahmaputra ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The policy of Government is one of progressive Indianisation of foreign missions in India. It is being implemented keeping in view the local requirements.

Names and Addresses of Persons with whom Foreign Tourists can Stay

4618. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have asked for names of such persons from amongst the rural and urban population who are desirous of keeping foreign tourists with them ;

(b) if so, whether the record of the said names has been kept and whether information is supplied to the tourists that they can stay with the said persons ; and

(c) if not, whether Government propose to supply the said information in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The Regional offices of the Department of Tourism at Delhi, Bombay and Calcutta maintain list of approved paying guest accommodation where foreign tourists can stay if they wish to live with Indian families. The scheme is being extended to Madras. No such scheme exists in the rural areas.

(c) Does not arise.

Foreign Tourists Visiting India by Chartered Planes

4619. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of foreign tourists who have so far paid visits to India during the current year by chartered planes and the extent to which this number is more than that of the last year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : During January to November this year, a total of 30 charters carrying 801 tourists came India as against 19 charters carrying 540 tourists during the same period last year. In addition, 62 charter flights transited through India during the same period as against 39 last year.

Compensation to Victims of Crimes and Accidents

4620. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Yajna Datt Sharma : **Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision the on proposal for payment of compensation to the individuals and families who become victims of crimes or accidents; and

(b) the details of practices prevalent in this regard in U.K., New Zealand and U.S.A.

The Minister of State in The Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): The Seminar on Criminal Law and Contemporary Social Changes held at New Delhi on 8th to 10th May, 1969 had recommended **interalia** payment of compensation to victims of crime. The report of the Seminar in under examination of the Govcrnmnent.

There are already provisions in the Motor Vehicles Act, 1939, for payment of compensation to victims of road accidents.

(b) A statements is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2438/69]**

दिल्ली में पुलिस आयुक्त की नियुक्ति

4621. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री बृजभूषण लाल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री शारदानन्द :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री सूरजभान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में एक पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मामला सरकार के विचाराधीन है ।

भारत के द्वीपों में सुविधाएं

4622. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री बृजभूषण लाल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री शारदानन्द :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री सूरजभान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के छोटे और बड़े सभी द्वीपों की ठीक संख्या कितनी है और उनका कुल क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) निर्जन द्वीपों की संख्या कितनी है और उनकी रक्षा के लिये विशेष कार्यवाही क्या की गई है ;

(ग) ऐसे कितने द्वीप हैं जहां के निवासियों को डाक तथा तार, अस्पताल, बैंक, शिक्षा संस्थाओं और रोजगार नियोजन कार्यालयों की सुविधा प्राप्त नहीं है; और

(घ) उन्हें कम से कम अस्पताल तथा संचार व्यवस्था की सुविधाएं कब तक देने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारतीय संघ में द्वीप क्षेत्रों में (i) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के द्वीप (ii) लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनीदीव द्वीपसमूह के द्वीप (iii) बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तटीय और, बाह्य द्वीपसमूह शामिल हैं । बसे हुये अथवा अन्यथा द्वीपसमूह, चट्टानें इत्यादि की संख्या के बारे में विवरण हाल के सर्वेक्षणों का विश्लेषण होने के पश्चात ज्ञात होगा ।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में धरापूरी द्वीपसमूह में स्थित एक डाकघर के अतिरिक्त, शैक्षिक संस्थाओं, अस्पताल व डाकखानों के बारे में 9 मई,1969 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 9020 के भाग (ख) और (घ) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। बैंक तथा रोजगार दफ्तरों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ करना

4623. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी ऐसी समिति के गठन करने का है जो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने की योजना पर विचार करे ; और

(ख) यदि हां, तो उस दशा में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लाला लाजपत राय की मूर्ति

4624. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया है, जहां कि लाला लाजपत राय की मूर्ति स्थापित की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Discrimination against Employees Belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4625. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of representations received in his Ministry from Central Government employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the last year against the discriminatory treatment accorded to them or harassment caused to them for their being the members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes ; and

(b) the number of representations out of them which have been finally disposed of and which are still lying pending ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) (a) and (b). There were 124 representations which were received from the Central Govern-

ment employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the last year in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Cell of this Ministry, of which 87 were forwarded to the various Ministries/Departments for disposal. Out of the remaining 37 representations, 29 have since been disposed of and further facts/comments from the concerned Ministry/ Department are being awaited in 8 cases.

Meeting of National Integration Council

4626. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the meeting of the National Integration Council held on the 3rd and 4th November, 1969 in Delhi, emphasis was laid only on Hindu-Muslim problems and not on the problems of Harijans ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The All Party Conference convened by the National Integration Council, was held on 3rd and 4th November, 1969 in Delhi to decide upon concrete steps for organising a joint mass compaign in favour of communal amity and harmony, and against communal violence. While the discussion was mainly confined to Hindu-Muslim problems, the conference also discussed and considered the problems of Harijans. Consequently, the joint mass campaign is directed against injustices to the Scheduled Castes also vide para 1 of the statement, issued by the All Party Conference on November 4, 1969, a copy of which has already been laid on the Table of the House.

Replacement of English by Hindi as Medium of Instruction

4627. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1760 on the 1st August, 1969 and state :

(a) the special difficulties on account of which the decision to adopt Hindi as medium of instruction for teaching Science, Mathematics etc. could not be implemented in some schools in Delhi together with the names of these schools ;

(b) whether the Indian Institute of Technology have considered this matter and whether these Institutes are not obliged to accept the national education policy of Government ;

(c) the manner in which the imbalance between the students not knowing English or having little knowledge of English and those who are quite proficient in English is proposed to be removed, if English is allowed to continue as the medium of instruction in Medical Colleges ; and

(d) whether the students studying in schools where Hindi is the medium of instruction are not likely to experience any difficulty in getting admission in those educational institutions where the medium of instruction is English ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). The requisite information is being collected and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

Education Minister's Statement Regarding Continuation of English as Medium of Education

4628. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the course of his speech on the occasion of laying the foundation stone of Dr. John Mathai Bhavan near Trivandrum on 1st September, 1969, he said that he would not fix any date for changing the English medium of education into regional languages at University level whatever be the pressure from any corner ;

(b) if so, whether it is also a fact that a decision has been taken in the Conference of the Chancellors of the Universities of Hindi speaking States to impart education through the Hindi medium ; and

(c) if so, whether his statement is intended to provide special facilities to a handful of persons, whose mother-tongue is English and thereby reserve high posts for them ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). The Education Minister did point out the difficulty of fixing a definite target date by which English would cease to be medium of education at the university level and be replaced by regional languages. But his main theme was that English medium schools were going to face difficulty and the managements which did not switch over to the regional languages will only be jeopardising the future of the children because 46 out of 70 universities have already adopted the regional language as the medium of instruction and the accepted policy of the Government is to go all out to encourage this transition. He also stated that English could not be abandoned if India was to advance scientifically. This latter portion of the statement arose from this Ministry's view that changing the medium of instruction from English to regional languages cannot and should not mean the abolition of English from the universities. University students have to acquire an adequate command of English to read and understand English books in their chosen subjects and use English as their library language because only by doing so could students have direct access to the growing knowledge in the world and help maintain standards.

Officers Working in the Education Ministry

4629. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total number of Assistants, Upper Division Clerks, Section Officers and Under Secretaries in the Administrative and Languages Divisions in his Ministry ;

(b) whether in the interest of greater and quick rotation and giving chance to others working there, it is proposed to transfer such of the employees from the above two divisions to other Divisions who have completed three years service in the said Division ; and

(c) if not, whether reason for not transferring them is that the officers and staff working in the said Divisions do not want to work in other Divisions as the work there involves greater responsibility ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):

(a) **Administration Division**

Under Secretaries	..	6
Section Officers	..	11
Assistants	..	35
Upper Division Clerks	..	23

Language Division

Under Secretaries	..	1
Section Officers	..	4
Assistants	..	16
Upper Division Clerks	..	2

(b) Transfers are made as and when necessary in the interests of efficient administration.

(c) Government servants are liable to be transferred and there is no question of any member of the staff not wanting to work in a particular Division.

15 नवम्बर, से 25 नवम्बर, 1969 तक देश में बुक किये गये विमान

4630. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 नवम्बर, से 25 नवम्बर, 1969 तक की अवधि में समूचे देश में कितने विमान बुक किये गये ;

(ख) ये विमान किन-किन स्थानों पर बुक किये और उनका गंतव्य स्थान क्या क्या था और उसमें बैठने वाले यात्रियों के नाम तथा पते क्या थे ;

(ग) भाड़े पर लिये गये प्रत्येक विमान के लिए कितना-कितना किराया लिया गया ; और

(घ) उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने भाड़े पर लिये इन विमानों के किराये का भुगतान किया ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Christians in Assam

4631. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5309 on the 29th August, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that the number of christians in Assam has doubled in 1961 as compared to 1951 ;

(b) if so, whether Government would look into the causes owing to which their number is increasing so fast ;

(c) whether Government are aware that some foreign missionaries convert the poor people to Christianity through various allurements ;

(d) if so, the steps being taken by Government in this regard ; and

(e) the population of Hindus and Muslims in Assam, in 1951 and their population in 1961 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) to (d). Under the provisions of article 25 (1) of the Constitution all persons are, subject to public order, morality and health, equally entitled to freedom of conscience and to the right freely to process, practise and propagate religion. The question of Government taking steps to check voluntary conversions does not therefore arise.

(e) According to figures furnished by the Registrar General of Census :

	Hindus	**Muslims**
1951	5,886,063	1,995,936
1961	7,884,921	2,765,509

सरकारी संस्थाओं के कारण विदेशी पर्यटकों को हुई कठिनाइयां

4632. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पर्यटकों को विशेषकर सरकारी संस्थानों तथा कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय हुई कठिनाइयों का कोई अध्ययन किया जाता है ;

(ख) सरकार एक प्रेक्षक दल नियुक्त क्यों नहीं करती तथा इसके प्रतिवेदनों की ओर सम्बन्धित विभागों का ध्यान क्यों नहीं दिलाती ; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि विदेशी पर्यटकों के मन में सार्वजनिक स्थानों की स्थिति तथा वाह्याकृति से तथा विशेषकर रेलों में दी जाने वाली सुविधा से निराशा होती है तथा क्या उनके मंत्रालय ने सुधार करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) सरकार को स्थिति की जानकारी है और कठिनाइयों को दूर करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) इन मामलों में सुधार की आवश्यकताओं को पर्यटन विभाग अनुभव करता है और इन पहलुओं की ओर हमेशा ध्यान दिया जाता है ।

तुलसीकृत रामचरित मानस (रामायण) की चतुर्थशती समारोह

4633. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागरी प्रचारणी सभा ने प्रधान मंत्री से तुलसीदास रचित रामचरित मानस (रामायण) की रचना के 400 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन करने के लिये अगले वर्ष के केन्द्रीय बजट में कम से कम 50 लाख रुपये की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है ।

भारत के संविधान का उल्लंघन

4634. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय संविधान का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में श्री ए० के० गोपालन और श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद द्वारा दिये गये वक्तव्यों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). 24 जुलाई, 1969 को लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । वक्तव्य की एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2439/69]**

Pak. Nationals in Damoh District in Madhya Pradesh

4635. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 282 on 8th August, 1969 and state :

(a) the dates on which the Pakistani Nationals, who are living underground in Damoh district at present got themselves registered in that district ;

(b) the names of those Pakistani Nationals ; and

(c) the number of times they got their visas extended and the date on which they got their visas extended for the last time ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pakistani Nationals in U. P.

4636. **Shri Bharat Singh Ghauhan:**
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Shri Ghand Goyal:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of those Pakistani nationals who entered the various Districts of Uttar Pradesh with valid passports and are at present living stealthily in those Districts even after the expiry of the stipulated period of their stay, according to the information collected by Government; and

(b) the action taken by Government to oust them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pak. Nationals in Indore District of Madhya Pradesh

4637. **Shri Bharat Singh Chauhan:**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2828 on the 8th August, 1969 and state:

(a) the date on which the 19 Pakistani nationals who are at present living underground in District Indore of Madhya Pradesh got themselves registered in this district;

(b) the dates on which the period of the last extension of their visas expired in eaeh case, separately;

(c) the number of times the visas of each of them were extended each time, separately; and

(d) the names of these Pakistani nationals?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Organisation of Rifle Training Camp by Naxalites in Nainital District (U. P.)

4638. **Shri Bharat Singh Chauhan:**
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Shri Chand Goyal:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have ascertained information to the effect that the Naxalites had organised a Rifle-Training Camp in Nainital District in U. P. in Decemher, 1968 and February, 1969;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, whether they would ascertain the said information through their own sources and also from the State Government ; and

(d) the districts in the above State where Naxalites are active on the basis of the facts collected by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (d). Facts are being ascertained from the State Gavernment.

कटोरिया होकर बंका से देवघर तक सड़क का निर्माण

4639. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कटोरिया होकर बंका से देवघर तक सड़क का बड़ा भाग लगभग पांच वर्ष पहले बन कर पूरा हो गया था परन्तु चांदा होकर कटोरिया से देवघर तक सड़क का निर्माण कार्य अभी अधूरा है जबकि बहुत पहले टेंडर स्वीकार कर लिये गये थे और ठेकेदारों ने भी सड़क पर अंशतः काम कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो सड़क के इस भाग को इतने समय तक पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब पूरा हो जाने की आशा है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

बिहार के भागलपुर जिले में कटोरिया से बेल्हर के लिये एक सड़क का निर्माण

4640. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5294 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भागलपुर जिले के बंका उपखण्ड में कटोरिया से बेल्हर तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क को यातायात के लिये खोल दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है तथा उसको शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

बिहार के बंका तथा देवघर में बन रही सड़कें

4641. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सड़कों के नाम क्या हैं तथा उनकी मील-दूरी कितनी है जिसका निर्माण हो रहा है तथा जिनके लिये मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है तथा टेंडर स्वीकार कर लिये गये हैं और जिनमें बिहार में बंका तथा देवघर सब-डिवीजन में कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से कई सड़कों के टेंडर पांच से दस वर्ष पहले स्वीकार किये जा चुके थे लेकिन उनको ठेकेदारों द्वारा पूरा नहीं किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उक्त सड़कों को बिना और विलम्ब किये पूर्ण करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गौहाटी के दंगों के बारे में जांच रिपोर्ट

4642. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जनवरी, 1968 को गोहाटी में हुए दंगों के बारे में जांच आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). गौहाटी दंगे सम्बन्धी जांच आयोग की रिपोर्ट अभी तक असम सरकार के विचाराधीन है ।

I.P.C. Officers on Deputation in Delhi

4643. **Shri Sharda Nand :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of centres and sub-centres of Central Intelligence Bureau in West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh separately ;

(b) the number of I. P. S. Officers working on gazetted posts in these centres and sub-centres separately ; and

(c) whether Government are considering over a proposal for the transfer of those non-gazetted officers, who are on deputation in Delhi or its nearby areas and those who are in Delhi Police to the above centres and sub-centres with a view to strengthening the working of those centres ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). It will not be in the public interest to disclose the information.

(c) Transfer of staff within the Intelligence Bureau from one State to other State are made depending on the exigencies of public service.

आसूचना विभाग के उप-निदेशक द्वारा प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस के बीच हुई बातचीत का रिकार्ड किया जाना

4644. **श्री शारदा नन्द :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसूचना विभाग के उप-निदेशक ने सिंडीकेट तथा प्रधान मंत्री के ग्रुप के संकट के संबंध में बंगलौर सम्मेलन से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को रिकार्ड किया था,

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन नियमों के अन्तर्गत किया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आसूचना विभाग के एक सैक्शन विशेष द्वारा ऊपर लिखित प्रथा को अब भी जारी रखा जा रहा है ;

(घ) क्या विरोधी दलों के नेताओं की टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को भी रिकार्ड किया जाता है ; और

(ङ) टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने की प्रथा को बन्द करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ग) और (घ). जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

Delay in Disbursement of Dress Allowance to Officers of Intelligence Bureau

4645. **Shri Sharda Nand:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5407 on the 29th August, 1969 and state:

(a) the total amount of Dress Allowance for the year 1961-69 pending so far for payment in the Central Intelligence Bureau and the number of persons to whom it has to be paid ;

(b) the number of Officers whose cases for this allowance for the said year are still under consideration ;

(c) the steps proposed to be taken by Government to ensure the disbursement of said allowance to the persons to whom it has not been disbursed ; and

(d) the total amount pending for disbursement and the time by which it is likely to be disbursed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) An approximate amount of Rs. 9600/- is due to be paid to 120 officers.

(b) Cases of 33 officers are still under consideration.

(c) and (d). The total amount pending for disbursement has been indicated at (a) above. This amount will be disbursed shortly.

अहमदाबाद के सांप्रदायिक दंगों में पाकिस्तान का हाथ

4646. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जय प्रकाश नारायण सहित विभिन्न राजनीतिज्ञों द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है कि अहमदाबाद में भडकाने वाली कार्यवाही सर्व प्रथम भारतीय मुसलमानों द्वारा नहीं अपितु बिना वैध पारपत्र तथा बीजा के अहमदाबाद में रहने वाले पाकिस्तानियों द्वारा की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे लोगों के पास से कुछ ट्रांसमीटर आदि पकड़े गये थे ;

(ग) क्या बादशाह खां की यात्रा तथा गांधी शताब्दी समारोह के अवसर को अप्रिय बनाने के लिये पाकिस्तान द्वारा भड़काने की प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के बारे में सरकार को कोई साक्ष्य मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो इस साक्ष्य का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने 11 अक्तूबर, 1969 के "सिटीजन" में प्रकाशित श्री जय प्रकाश नारायण के लेख तथा 31 अक्तूबर, 1969 के "स्टेट्समैन" में उनसे एक भेंट के बारे में एक समाचार देखा है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों में पाकिस्तानी एजेंटों की सहापराधिकता के बारे में सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है ।

सेवा निवृत्त व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति

4648. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया है जो इस समय विभिन्न सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम पर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). सेवा-निवृत्त अधिकारियों की पुर्नियुक्ति हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, असाधारण तथा अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, सेवा निवृत्ति के बाद पुर्नियुक्ति के किसी भी प्रस्ताव पर साधारण-तथा विचार नहीं किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी, उन पदों के लिए जो वैज्ञानिक/तकनीकी न हो, 60 वर्ष की आयु तक तथा वैज्ञानिक/तकनीकी पदों के लिये 62 वर्ष की आयु तक पुर्नियुक्ति हो सकती है। पुर्नियुक्ति स्वीकार करने के लिये प्रमुख महत्व इस बात का है कि यह स्पष्टतः लोक हित में होनी चाहिए। पुर्नियुक्ति के प्रत्येक प्रस्ताव पर काफी उच्च

स्तर पर विचारार्थ विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद, पुनर्नियुक्ति देने सम्बन्धी प्रस्तावों पर गृह मंत्रालय की सहमति भी आवश्यक है। इस प्रकार पुनर्नियुक्ति के प्रत्येक व्यक्तिगत प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व, गौर से देखा जाता है। अत: सरकार के अधीन सेवाओं/पदों पर पुनर्नियुक्त व्यक्तियों के किसी प्रकार के पृथक मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सेवा निवृत्त अधिकारियों की पुननियुक्ति भी उपरोक्त मानदण्डों तथा प्रक्रिया से संचालित होती है, यदि ये पद सरकार की परिधि में आते हों। किन्तु ऐसे किसी उपक्रम के अन्य पदों पर पुर्नियुक्ति उस उपक्रम के तत्सम्बन्धी नियमों से संचालित होगी। तथापि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने अधिकारियों को पुर्नियुक्ति की अनुमति देने के लिए उन्हीं मानदण्डों तथा प्रक्रिया को अपनाएं जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

राज द्रोह अधिनियम

4649. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के अनेक भागों में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन के राजद्रोह अधिनियम (सैडिशन एक्ट) की तरह का कोई कानून बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इस बारे में सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सम्प्रदायों में घृणा अथवा बैर फैलाने के इरादे की गतिविधियों से सम्बन्धित कानून के उपबन्धों को आपराधिक तथा निर्वाचन विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1969 अधिनियमित करके हाल में संशोधित किया गया है। हाल के साम्प्रदायिक दंगों को ध्यान में रखकर सरकार उन संगठनों की गतिविधियों से निपटने के उपायों पर विचार कर रही है जो धर्म या जाति के आधार पर विभिन्न ऐसे धार्मिक अथवा जाति वर्गों में असंगति या बैर, घृणा अथवा दुर्भावना की भावनाएं फैलाते हैं या फैलाने का प्रयास करते हैं।

आदिवासी लोगों की भूमि को आदिवासियों से भिन्न लोगों को हस्तान्तरित करना

4650. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि पिछले तीन वर्षों में बिहार में छोटी नागपुर डिवीजन के सभी जिलों तथा संथाल परगना जिले के अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की कुल कितने एकड़ भूमि भिन्न जातियों के लोगों को अवैध रूप से हस्तान्तरित की गई है ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियमन 1969 को किस प्रकार कार्यान्वित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के सफलतापूर्वक कार्यन्वयन के लिए समुचित उपाय कर रही है तथा इस उद्देश्य से रांची, सिंहभूम तथा संथाल परगना जिलों में विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया है । आदिम जातियों के लोगों को भूमि लौटाने के लिए 166 मुकदमें चलाए गए हैं जिनमें से 11 मुकदमों का निपटान हो चुका है, जिससे 15 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ।

नामरूप में दंगे

4651. **श्री हेम बरुआ :**
श्री वेद व्रत बरुआ :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में नाम रूप नामक कस्बे में हाल में जाती दंगे हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र में पहले से तैनात राज्य पुलिस दल की सहायता के लिए सेना को बुलाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). 4 अक्तूबर, 1969 को एक स्थानीय सांस्कृतिक संगठन द्वारा एक विविध मनोरंजन कार्यक्रम का प्रबन्ध दिली घाट नाम रूप में हिन्दी नाटक को सफलतापूर्वक प्रदर्शन के लिए किया गया । बताया जाता है कि एक प्राईवेट समारोह जिसमें फरटीलाईजर फैक्टरी के कुछ प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया । प्रवेश न देने के कारण दो वर्गों में झड़प हुई । इसके बाद दो नामरूप की मुख्य गलियों में पृथक व्यक्तियों के समूह ने जलूसों का आयोजन किया, नारे इत्यादि लगाए । एक व्यक्ति श्री जवाहर लाल चालिया पर सड़क पर आक्रमण किया गया और उसकी हस्पताल ले जाते हुए जखमों के कारण मृत्यु हो गई । नामरूप नगर के विभिन्न भागों में आक्रमण की कुछ घटनाएं हुई हैं । इन दंगों के भड़कने के बारे में सूचना के प्राप्त होने पर दो मजिस्ट्रेट पुलिस के साथ प्रभावित क्षेत्र में तुरन्त गए । जिसका पुलिस दलों द्वारा गस्त किया जा रहा था । सेना को नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए एक अतिरिक्त पूर्वोपाय के रूप में सावधान रहने के लिए कहा गया है ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जाय । सामान्य दशा स्थापित करने में प्राधिकारियों की मदद के लिए शान्ति समितियां बनाई गईं और समाज विरोधी तत्वों की अनेक गिरफ्तारियां की गईं । 11-10-1969 तक पूर्णतः सामान्य स्थिति स्थापित हो गई । दंगों के दौरान 27 छोटी दुकानें जला दी गईं और

लगभग दो लाख रुपए की कुल क्षति सम्पति को होने का अनुमान है। दंगों के परिणामस्वरूप चार व्यक्ति मारे गए और 77 घायल हुए। 764 व्यक्तियों को कानून के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अब तक गिरफ्तार किया गया है और इन मामलों की अग्रेतर जांच की जा रही है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरान्त नियुक्ति में विलम्ब

4652. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अराजपत्रित द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों के किन वर्गों के पदों/सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है ;

(ख) अभ्यार्थियों के चुने जाने के पश्चात उनकी नियुक्ति की जाने के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित है ;

(ग) गत तीन वर्षों में ऐसे कितने मामले हुए हैं, जिनमें अभ्यार्थियों के चुने जाने के बाद उनकी नियुक्ति दो महीने तक नहीं की गई जिससे उन्हें कठिनाई हुई ;

(घ) इसके क्या कारण हैं और इतने अधिक विलम्ब को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) इस प्रकार से भर्ती किए गए कितने लोगों को दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त हो जाने पर भी स्थायी नहीं किया गया ; और

(च) इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार के विलम्ब को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) निम्नलिखित द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की सेवाओं/पदों में भरती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं के माध्यम से होती है :

1. केन्द्रीय सूचना सेवा का (चतुर्थ ग्रेड) ;
2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ऐसिस्टेंट ग्रेड ;
3. भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य काडर (सहायक) का चतुर्थ वर्ग ;
4. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का चतुर्थ वर्ग (सहायक) ;
5. केन्द्रीय सचिवालय सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा की सीमान्तर्गत न पड़ने वाले केन्द्रीय सरकार के कुछ विभागों-कार्यालयों में सहायकों के पद ;
6. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड II ;
7. रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ग्रेड II) ;

8. भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक उप-काडर का ग्रेड II ;
9. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग न लेने वाले भारत सरकार के कुछ विभागों और कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद और चुनाव आयोग के कार्यालय में ऐसे ही पद ;
10. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक, सेवा का निम्न श्रेणी ग्रेड ;
11. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा का ग्रेड II ;
12. भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड VI ;
13. चुनाव आयोग के कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक के पद ;
14. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में भाग न लेने वाले भारत सरकार के कुछ विभागों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक के पद ;
15. संचार विभाग की समुद्रपार सेवा में सहायक इन्जीनियर (श्रेणी II) ;
16. पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में सहायक तकनीकी अधिकारी (श्रेणी II);
17. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा का सहायक ग्रेड ;
18. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड II ; और
19. सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा का निम्न श्रेणी ग्रेड I

(ख) यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथापि ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जहां नियुक्ति के प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग से सिफारिशें प्राप्त होने के 3-4 महीने के भीतर नहीं भेजे जाते हैं, कड़ी निगरानी रखी जाय। ऐसे मामलों पर निगरानी रखने और बिना विलम्ब के नियुक्ति के प्रस्ताव भेजने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए कार्यविधि भी निर्धारित की गई है।

(ग) उन मामलों की संख्या की कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है जिनमें नियुक्तियां प्रवरण की तिथि से दो महीने के भीतर नहीं की गई थीं। किन्तु उन मामलों की संख्या, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव भेजने में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में विलम्ब हुआ था, इस प्रकार है :

1966-67	127 मामले जिनमें 364 उम्मीदवार अन्तर्ग्रस्त थे।
1967-68	148 मामले जिनमें 329 उम्मीदवार अन्तर्ग्रस्त थे।
1968-69	130 मामले जिनमें 373 उम्मीदवार अन्तर्ग्रस्त थे।

इन आंकड़ों का सम्बन्ध केवल द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी की सेवाओं/पदों में भरती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं से ही नहीं है अपितु संघ लोक सेवा

आयोग द्वारा की गई उन सभी भरतियों से भी सम्बन्ध है जो प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अथवा सभी सेवाओं/पदों में प्रवरण द्वारा जो संघ के क्षेत्र में आते हैं, की गई हो।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, आयोग द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों को नियुक्त करने के पूर्व कुछ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। नियुक्ति के औपचारिक प्रस्तावों को जारी करने से पूर्व तथा उम्मीदवार की वास्तविक नियुक्ति से पहले, उनकी डाक्टरी परीक्षा, चरित्र एवं पूर्व-वृत्त का सत्यापन करना होता है। इन औपचारिकताओं की पूर्ति में समय लगता है और उम्मीदवार की नियुक्ति में कभी कभी इसी कारण से देर हो जाती है। डाक्टरी परीक्षा के समय को कम करने के लिये सभी मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया है कि वे साक्षात्कार के लिये आमंत्रित उम्मीदवारों का, साक्षात्कार की प्रगति के दौरान ही डाक्टरी परीक्षा लिए जाने की सम्भावनाओं पर विचार करें। चरित्र तथा पूर्व-वृत्त के सत्यापन कार्य को शीघ्रतया निपटान करने के लिये सभी सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

(ङ) और (च). परिवीक्षा अवधि के समाप्त हो जाने पर व्यक्तियों का स्थायीकरण कई बातों पर निर्भर होता है जैसे उस पद का स्वरूप जिस पर उसे नियुक्त किया गया था, परिवीक्षाधीन अवधि की संतोषजनक समाप्ति आदि अस्थाई पदों पर भर्ती हुए व्यक्तियों का स्थायीकरण स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। सम्बन्धित मंत्रालय/विभागों से आशा की जाती है कि परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के बाद वे यथा शीघ्र स्थायीकरण के आदेश जारी करें किन्तु वास्तविक स्थायी करण उपरोक्त अनेक बातों पर निर्भर करता है। तथापि परिवीक्षा की निश्चित शर्तों वाले, स्थायी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में स्थायीकरण के वास्तविक आदेशों के जारी करने में होने वाली देरी से उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें परिवीक्षा की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने की तिथि से हर हालत में स्थायी किया जाना है। गृह मंत्रालय के पास उन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है जो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये हैं तथा जिन्हें परिवीक्षा अवधि पूरी हो जाने पर स्थायी नहीं किया गया है।

तेलंगाना क्षेत्र के अंश पर भार्गव समिति का प्रतिवेदन

4653. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **गृह कार्य** मंत्री 21 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 891 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के राजस्व के सामान्य पूल के रूप में प्रयोग किये गये तेलंगाना क्षेत्र के अंश पर भार्गव समिति के प्रतिवेदन पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) क्या समिति की किसी सिफारिश को कार्यन्वित करने के लिये अब तक स्वीकार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). तेलंगाना से सम्बद्ध अतिरेक धन पर भार्गव समिति का प्रतिवेदन इस समय सरकार के विचाराधीन है।

विज्ञान तथा टेक्नोलोजी के सम्बन्ध में यूनेस्को अनुसंधान विचार गोष्ठी

4654. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण एशिया में विज्ञान तथा टैक्नोलोजी में मल्टी डिसीपली-नरी अनुसंधान कार्यों के सम्बन्ध में 18 नवम्बर, 1969 को बंगलौर में एक यूनेस्को विचार गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में कितने देशों ने भाग लिया था ;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक भी विचार गोष्ठी में उपस्थित थे ;

(घ) विचार गोष्ठी भारत के लिए कितनी लाभदायक सिद्ध हुई है ; और

(ङ) विचार गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) सेमिनार में दक्षिण एशियन क्षेत्र के पांच देशों, अर्थात् अफगानिस्तान बर्मा, श्री लंका, भारत तथा नेपाल ने भाग लिया था ।

(ग) सेमिनार संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा आयोजित किया गया था । हांलाकि संयुक्त राष्ट्रों का सेमिनार में प्रतिनिधित्व नहीं था, तो भी संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेन्सियों जैसे खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०), (यूनिडो), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (इलो) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू० एच० ओ०) पर्यवेक्षों के रूप में उपस्थित थीं ।

(घ) इस समय निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि (यूनेस्को) से सेमिनार की अन्तिम रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं की गई है ।

(ङ) सेमिनार का मुख्य उद्देश्य बहु विषयक (मल्टी डिसीपलीनरी) अनुसंधान के जरिए विशेष रूप से विकास के लिए विज्ञान तथा टेक्नालोजी के प्रयोग के बारे में भाग लेने वाले देशों की स्थिति का जायजा लेना, इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग से योजना तैयार करना और दक्षिण एशिया के सदस्य राज्यों में मौजूदा विज्ञान तथा टेक्नोलोजी से बंधी अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को मजबूत करना था ।

बोइंग 727 की खरीद और बोइंग 727 और टी० यू० 154 के प्रयोग में तुलनात्मक मितव्ययता के सम्बन्ध में वार्ता

4655. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेट इंजनों पर अमरीकी दल ने अमरीका से बोइंग 727 खरीदने के बारे में भारत सरकार से वार्ता पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारतीय दल को यह बात समझा दी है कि जे० टी० 8 डी० इन्जन बोइंग 727 विमान, एन० के० 8-2, जिन्हें रूस का नवीनतम वाणिज्यिक विमान—टी० यू० 154 प्रयोग में ला रहा है, से अधिक मितव्ययता वाला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यू० एस० ए० की युनाईटेड एयरक्राफ्ट कम्पनी के प्रतिनिधि नवम्बर, 1969 में स्वत: दिल्ली आये और इण्डियन एयरलाइन्स को बोइंग-727 विमानों में लगे जे० टी० 8 डी० इन्जनों के आर्थिक पक्ष से सम्बन्धित तकनीकी सामग्री प्रस्तुत की ।

(ख) और (ग). फिलहाल एक समिति इण्डियन एयरलाइन्स के लिये विभिन्न प्रकार के विमानों का मूल्यांकन करने में लगी हुई है जो सब पहलुओं को ध्यान में रखेगी । इसकी रिपोर्ट जल्दी ही मिलने की सम्भावना है जिस पर सरकार ध्यानपूर्वक विचार करेगी ।

विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेना

4656. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री जनार्दनन :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के कार्यों में भाग लेने के लिये विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने की विद्यार्थियों की मांग को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थी इस प्रस्ताव से कहां तक सहमत हो गये हैं तथा उन्हें कैसे प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ; और

(ग) क्या अन्य विश्वविद्यालयों ने भी ऐसी ही मांग की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय के प्रशासन में विद्यार्थियों के भाग लेने के प्रश्न पर विचार करने के लिये, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक कार्यकारी-दल नियुक्त किया है, जिसमें विद्यार्थियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं । इस दल को अपनी रिपोर्ट अभी पेश करनी है ।

(ग) यह ऐसा मामला है जिसे विश्वविद्यालयों को तय करना है और इसीलिये उनका इस सम्बन्ध में मांग रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

प्रधान मन्त्री तथा उनके निजी कर्मचारियों और केन्द्रीय मन्त्रियों के निवास स्थान पर व्यय

4657. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1968-69 में अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर में प्रधान मंत्री और पुलिस तथा सेना के गार्डों सहित उनके निजी कर्मचारियों पर तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के निवास स्थानों पर प्रति मास कुल कितना व्यय हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : अगस्त से नवम्बर, 1968 तक के महीनों का तथा 1969 का प्रधान मंत्री से सम्बन्धित व्यय का विवरण, जैसा कि कैबिनेट ग्रांट (मांग संख्या 44) के नाम हैं तथा दूसरा विवरण जिसमें इस अवधि के दौरान प्रधान मंत्री के निजी कर्मचारी वर्ग के सदस्यों के वेतन, यात्रा तथा अन्य भत्तों का व्यय दिखाया गया है, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या ए ल० टी० 2440/69]** अन्य व्योरों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कुतुब मीनार का पुनर्नामकरण

4658. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की तथाकथित कुतुबमीनार राजा विशाल देव द्वारा बनवाये गये मन्दिर-समूह का एक भाग था और वह 'कीर्ति स्तम्भ' के रूप में बनवाया गया था।

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी, जिसने दिल्ली पर केवल कुछ ही वर्ष शासन किया था और अपने शासन काल में सिन्ध और पंजाब से लड़ने में व्यस्त रहा था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसका नाम बदल कर 'विशाल-स्तम्भ' रखने तथा ऐसी कार्यवाही करने का है जिससे यह गलत धारणा दूर हो जाये कि उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) केवल कुछ विद्वानों का यह विचार है। अधिकतर विद्वान इसे मुसलमानों द्वारा निर्माण की गई समझते हैं।

(ख) बहुत से विद्वानों का विचार है कि इसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और उसके दामाद तथा उत्तराधिकारी सुल्तान अल्तमश द्वारा पूरा किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के आस पास स्थित प्राचीन स्मारकों का मस्जिदों में कथित परिवर्तन या उनका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग

4659. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के तेजी से विस्तार के परिणामस्वरूप दिल्ली के आस पास स्थित अनेक प्राचीन स्मारक बस्ती वाले क्षेत्रों में आते जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से अनेक स्मारकों को गुप्त रूप से मस्जिदों में परि-

वर्तित कर दिया गया है अथवा वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षों ने वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये उन्हें अपने अवैध कब्जे में ले लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे स्मारकों का कोई सर्वेक्षण किया गया है और ऐसे पक्षों के अवैध कब्जे को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय मे उपमंत्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जहां तक केन्द्र सरंक्षित स्मारकों का सम्बन्ध है ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संचालित स्कलों का दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरण

4660. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित सभी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका कुछ माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को चला रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन स्कूलों को भी दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरण करने का अपना निर्णय अभी नहीं भेजा है ।

राज्यों में पर्यटन विकास के लिये कार्यक्रम

4661. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में पर्यटन का विकास करने के क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : केन्द्रीय सरकार पर्यटन योजनायें राज्यवार धन विनियतन के आधार पर नहीं अपितु किसी स्थान के पर्यटकों के लिये वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण को दृष्टि में रख कर तैयार और कार्यान्वित करती है । केन्द्रीय योजनायें

राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी योजना के लिये किये गये धन विनियतन के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं। चौथी योजना के दौरान कुल 25 करोड़ का (निजी क्षेत्र को ऋण देने के लिये छः करोड़ की राशि सहित) विनियतन किया गया है। विभिन्न राज्यों में वास्तविक प्रायोजनाओं के लिये विस्तृत ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

अन्तर्देशीय तथा देशीय हवाई अड्डों पर व्यय

4662. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय तथा देशीय हवाई अड्डों पर अब तक कितनी-कितनी भारतीय तथा विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ;

(ख) आगामी 3 वर्षों के लिये इन्हीं शीर्षों के अन्तर्गत कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ग) चौथी योजनावधि के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है ; और

(घ) देशीय हवाई अड्डों के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1966-67, 1967-68 और 1968-69, के लिये मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). अन्तर्देशीय तथा देशीय हवाई अड्डों पर निर्माण कार्यों के लिये इस समय निर्धारित की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)	
	अन्तर्देशीय	**देशीय**
चौथी योजना की अवधि में	40.45	2.07
3 वर्षों (1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के लिये)	26.84	1.17

इसके अतिरिक्त, चौथी योजना में, पिछली योजना से आगे लाये गये निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय के लिये, 3 करोड़ (1969-70 के लिये 150 लाख रुपये, 1970-71 के लिये 120 लाख रुपये तथा 1971-72 के लिये 30 लाख रुपये) की व्यवस्था की गई है।

(घ) नागर विमानन विभाग की चौथी पंचवर्षीय योजना में देशीय हवाई अड्डों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इण्डियन एयरलाइंस ने अपनी योजना में स्टाफ क्वार्टरों के लिये 3.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

Demands of Jailors in Bihar

4663. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bihar Government have been turning down the demands of the Jailors and Assistant Jailors of the State for augmenting their pay scales and giving them gazetted status due to financial difficulties ;

(b) if so, the justification for following such policy ; and

(c) whether Government propose to accede to the said demands of the Jailors and Assistant Jailors in view of the position indicated above ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affrirs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The Government of Bihar have intimated that the question of revision of Scales of pay of Jailors and Assistant Jailors and of giving gazetted status to Jailors in the State is at present under their active consideration.

Media of Instruction in School of Patna—Use of Urdu and Bengali

4664. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Municipal Schools under Patna Municipal Corporation ;

(b) the number of schools separately in which education is provided through the medium of Urdu and Bengali and the number of girls and boys students studying in them separately ;

(c) the number of schools where Urdu and Bengali languages are taught ;

(d) whether it is a fact that step-motherly treatment is accorded to the said languages ; and

(e) if not the reasons for indifference towards these languages ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (e). The required information is being collected from the State Government concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Increase in Posts of Commissioners in Bihar

4665. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar have recently created some more posts of Commissioners ;

(b) if so, the number thereof and the names of persons who have been promoted to the posts of Commissioners ; and

(c) the reasons for increasing the number of said posts and the extent to which Government's monthly expenditure has increased on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) In all seven posts of Commissioners have recently been created to which the following persons have been appointed :—

1. Shri M. K. Mukherjee, Gandak Area Development Commissioner.
2. Shri K. A. Ramasubramanian, Special Officer, Mines Department.
3. Shri V. Balasubramanian, Commissioner, Departmental Proceedings.
4. Shri R. P. Khanna, Commissioner, Commercial Taxes.
5. Shri N. P. Sinha, Secretary, Education Department.
6. Shri V. P. Keshyap, Health Secretary.
7. Financial Commissioner—Vacant.

(c) The post of the Commissioner for Gandak area development was created for effective implementation of intensive agricultural development programme consequent upon inauguration of shadow package programmes in the Dists. of Champaran and Saran. The post of Special Officer, Mines Department of the rank of Commissioner was created to deal effectively with important litigation concerning mines. The post of Special Officer, Departmental proceedings was revived since a large number of departmental proceedings against gazetted officers required speedy disposal. The remaining four posts were created by upgrading existing posts, in view of the increased responsibilities attaching to those posts. In the reorganisation process some other senior posts were also eliminated or merged with other posts. It is reported that the additional financial burden on this account will be neglegible.

आल इंडिया मजलिसे-मुशवरत का सम्मेलन

4666. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 से 4 अक्टूबर, 1969 को दिल्ली में आल इंडिया मजलिसे-मुशवरत का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या सम्मेलन में दंगा पुलिस दल स्थापित करने की मांग की गई थी, जिसमें सभी स्तरों पर 50 प्रतिशत मुसलमान होने चाहिये थे ;

(ग) क्या सम्मेलन में यह भी मांग की गई थी कि प्रधान मंत्री के अधीन केन्द्र में एक दंगा गुप्त सूचना सैल स्थापित किया जाये, जिसमें मुसलमान काफी संख्या में हों ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 3 से 5 अक्तूबर, 1969 तक अखिल भारतीय मजलिसे-मुशवरत का सम्मेलन हुआ था ।

(ख) और (ग). जी हां, श्रीमान्

विधायकों की हत्या

4667. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितने विधायकों की हत्या हुई ;

(ख) उनकी हत्या किये जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) अपराधों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये विधायकों के जीवन की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने, जहां विधान सभाएं हैं, सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष में उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी विधायक की हत्या नहीं हुई है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष में उनके राज्य में ऐसी एक हत्या हुई। इस हत्या के पीछे मजदूर संघ शत्रुता का कारण बताई जाती है।

शेष राज्यों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उनसे प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

4668. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर 1966 में कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बदलने पर रोक लगाई थी क्योंकि संयुक्त पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों की इसमें मिलाये जाने की संभावना थी और परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों का आवंटन हिमाचल प्रदेश को किया जाना था ;

(ख) क्या इस प्रकार की रोक तब तक कायम रहती, जब तक कि आवंटित कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश में विलय पूर्ण न हो जाता ;

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितने मामलों में तथा किस प्रकार इसकी अवहेलना की है और केन्द्रीय सरकार का इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या सेवा की शर्तों को बदलने पर लगी रोक आवंटित कर्मचारियों पर भी लागू होती है और यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस रोक का पालन किया है ; और

(ङ) आवंटित कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित वर्तमान नियम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (घ). फरवरी, 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुदेश भेजे गये थे कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 (4) के उपबन्धों के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि वरिष्ठता सूचियों को अन्तिम रूप दिये जाने तक पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से प्रभावित किसी सरकारी कर्मचारी के पद में कोई अपरिसंहार्य परिवर्तन न किया जाय। इसका अभिप्राय था कि किसी ऐसे पद का स्थायीकरण न किया जाय जो एकीकरण की प्रक्रिया में अन्तर्ग्रस्त हों और यह कि वे प्रोन्नतियां तथा अवनतियां जो आवश्यक प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये की जाएं विशेषतः इस बात को ध्यान में रख कर की जाएं कि ये अन्तिम वरिष्ठता सूची में सम्बन्धित अधिकारियों को मिलने वाले स्थान के अनुसार पुनरीक्षण के अधीन होंगी। ये अनुदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक सेवाओं का एकीकरण नहीं होता और ये अनुदेश आवंटित कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कार्य को चलाने के लिये कुछ तदर्थ प्रोन्नतियां लोक-हित में करनी पड़ी थीं और ऐसी प्रोन्नतियां एकीकरण के बाद पुनरीक्षण के अनुसार होती हैं।

(ङ) आवंटित सरकारी कर्मचारियों को लागू सेवा की शर्तें नियमित करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश आवंटित सरकारी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1968 बनाये हैं। नियमों की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2441/69]**

India's Share in World Commercial Shipping Fleet

4669. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India's share in the total world commercial fleet of 211.66 million G. R. T. is only one per cent ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government have chalked out any long term programme for the expansion of Indian shipping, if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The reason for the percentage being so low is that while in absolute terms India's shipping tonnage has expanded considerably, the total world tonnage has also increased very fast. For instance, in 1959 Indian tonnage, standing at 10.13 lakhs GRT formed 0.6% of the world tonnage which totalled 124.935 million GRT. In a period of 10 years, the Indian tonnage has more than doubled itself and it now stands at 22.52 lakhs GRT but is still only about 1% of the total world tonnage which has gone up to 211.66 million GRT. A faster rate of expansion of Indian tonnage has not been possible due to constraint on resources, particularly foreign exchange.

(c) As in the previous Five Year Plans, shipping also forms part of the country's Fourth Five Year Plan. As against an operative tonnage of 21.43 lakhs GRT at the commencement of the Plan on 1-4-1969, the target fixed for the end of the Plan on 31-3-1974 is an operative tonnage of 35.00 lakhs GRT and another 5 lakhs GRT firmly on order. The present position is that the operative tonnage stands at 22.52 lakhs GRT and about 7.60 lakhs GRT are firmly on order, making a total of about 30.12 lakhs GRT. It is, therefore, confidently hoped that the physical target fixed for the end of the Fourth Plan will be achieved.

Import of Books from Abroad

4670. **Shri Raghuvir Singh Shasti:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian imports books worth about Rs. 3 crores annually from Britain only ;

(b) the value of the books imported by India from each country annually and the main subjects of those books ; and

(c) the action taken by Government in the direction of writing and publication of the books in India with a view to saving foreign exchange spent on the import of books from foreign countries ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) The value of the printed books, including pamphlets, journals, etc. imported in the country was less than Rs. 2 crores in 1967-68 and less than Rs. 2.5 crores in 1968-69.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-2442/69]** Subject-wise break-up is not available.

(c) However developed a country may be, book imports cannot be cut out altogether. In connection with the financial assistance being made available to the State Governments for preparing text books for Indian university students, consequent on the adoption of Indian languages as the media of instruction, it has been suggested to the State Governments that the emphasis should be on original writing. There is also a proposal to prepare and publish certain basic core books in English or in Indian languages. Schemes are also being operated for making available to university students low priced books from U. K., U. S. A. and U. S. S. R. which, incidentally, reduce the expenditure on imports.

शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति

4671. **श्री झा० सुन्दर लाल :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रांलय में हाल में कुछ हिन्दी अनुवादक नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनको हिन्दी से अंग्रेजी में भी अनुवाद कार्य करना पड़ता है जब कि यह काम हिन्दी सहायकों को नहीं करना होता है और ऐसा न करने के बारे में आदेश भी हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं कि वह कर्मचारी तथा अधिकारी जिन्होंने हिन्दी का प्रशिक्षण लिया है, हिन्दी के पत्रों पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, जब तक कि ऐसे पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद उन्हें न मिल जाये ;

(घ) क्या ऐसा इस कारण से है कि उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिन्दी तथा देवनागरी लिपि से नफरत करते हैं तथा इसके कारण उनके मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार को एक फाइल लौटा दी थी क्योंकि वह हिन्दी में थी ; और

(ङ) क्या उनका विचार अपने मंत्रालय से इस हिन्दी विरोधी मनोवृत्ति को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) किया जाने वाला कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि हिन्दी सेल अथवा हिन्दी

अनुवाद एकक में कौन कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। पहले में दोनों प्रकार का कार्य करना अपेक्षित है, दूसरे में मूल रूप से अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करना है।

(ग) ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया है।

(घ) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में कोई हिन्दी विरोधी रवैया नहीं है। भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार की कोई फाइल इस कारण इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा नहीं लौटाई गई थी। फिर भी 1966 में एक मामला हुआ था जिसमें संयुक्त शिक्षा सलाहकार द्वारा एक फाइल अनुवाद के लिये लौटाई गई थी। 1966 के बाद ऐसी कोई मिसाल नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के विमान चालकों की मांगें

4672. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन या एयर इण्डिया के विमान चालकों की कितनी मांगें ऐसी हैं जिन पर सरकार को अभी निर्णय करना है या जो सरकार द्वारा अभी पूरी की जाने वाली हैं ;

(ख) इन विमान चालकों द्वारा की गई हड़तालों से 1968-69 में कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) ऐसी हानियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जहां तक एयर इण्डिया का सम्बन्ध है, भारतीय विमान चालक गिल्ड की व्यक्तिगत मामलों के सम्बन्ध किसी भी मांग पर कार्यवाही करना बाकी नहीं हैं। परन्तु, गिल्ड ने वेतन तथा भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों के सामान्य पुनरीक्षण के लिये दिनांक 20-9-69 का एक ज्ञापन दिया है। कारपोरेशन इसकी जांच कर रही है।

जहां तक इण्डियन एयरलाइन्स का सम्बन्ध है, भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संघ ने अपने वेतन मानों, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों के पुनरीक्षण के लिये 26-2-69 को एक मांग पत्र पेश किया। संघ ने यह भी मांग की है कि कारपोरेशन को, 27-11-1969 को प्रबन्धक-वर्ग तथा संघ के बीच हस्ताक्षर किये गये समझौते में की गई व्यवस्था के अनुसार, "फर्स्ट अफसरों" को उनकी तीन साल की सेवा पूरी होने के बाद 6 महीने के अन्दर-अन्दर कमांड ट्रेनिंग के लिये लेने की व्यवस्था जारी रखनी चाहिये, और यदि कारपोरेशन नियत अवधि के अन्दर-अन्दर ऐसी कमांड ट्रेनिंग की व्यवस्था करने में असमर्थ होवे तो ऐसे "फर्स्ट अफसरों" को कैप्टन के ग्रेड में रख दिया जाना चाहिये। कारपोरेशन इन मांगों की जांच कर रही है।

(ख) वर्ष 1968-69 के दौरान एयर इण्डिया के विमान चालकों की कोई हड़ताल नहीं हुई। 1968-69 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स को उनके विमान चालकों की हड़तालों के कारण 20,000 रुपये की हानि हुई।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स ने अपने विमान चालकों को समझया है कि कारपोरेशन एक राष्ट्रीय उद्यम है और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उसकी सेवायें निर्विघ्न रूप से परिचालित होती रहें।

भारत-नेपाल सीमा पर राष्ट्रविरोधी और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां

4673. **श्री वि० प्र० मंडल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार द्वारा कुछ समय पहिले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि कुछ राजनैतिक दल भारत-नेपाल सीमा पर राष्ट्रविरोधी और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों की तैयारी कर रहे हैं।

(ख) क्या कुछ राजनैतिक दल इस प्रकार की कार्यवाहियों में अब भी लगे हुये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार सरकार राज्य के सीमावर्ती जिलों में उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में समय-समय पर सूचना देती है।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

(ग) कड़ी सतर्कता बरती जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में प्राध्यापकों के वेतन तथा वेतन-क्रमों के सम्बन्ध में विवाद

4674. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के प्राध्यापकों के वेतन तथा वेतन-क्रमों के सम्बन्ध में विवाद काफी समय से चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद कब से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) प्राध्यापकों की मुख्य मांगें क्या हैं, किन मांगों को सरकार स्वीकार करने के लिये तैयार है और किनके सम्बन्ध में कठिनाइयां हैं तथा वे कठिनाइयां क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई अंतिम निर्णय किया है और यदि हां, तो निर्णय क्या है और यदि नहीं, तो निर्णय कब किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां। परिशोधन 1963 से विचाराधीन है।

(ग) प्राध्यापकों की मुख्य मांग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमानों के परिशोधन की थी ।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर कालेज शिक्षकों और प्रिंसिपलों के वेतन-मान परिशोधित करने के लिये आदेश दिये गये हैं । नये वेतनमान 21-12-1967 से लागू हैं । वर्तमान वेतन और संशोधित वेतन-मानों को व्यक्त करने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	पद	वर्तमान वेतन क्रम	पुनरीक्षित वेतनक्रम
1.	प्राध्यापक	रु० 350-1200 + रु० 50.00 का प्रतिमास विशेष वेतन	रु० 700-50-1000/50-1250
2.	प्रोफेसर	(i) रु० 350-1200 (ii) रु० 350-950	रु० 700-40-980/40-1100
3.	लेक्चरर (सीनियर)	रु० 250-750	रु० 400-30-640/40-800
4.	लेक्चरर (जूनियर)	रु० 200-500	रु० 300-25-450/25-600

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

4676. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् कब से कार्य कर रही है ;

(ख) क्या परिषद् ने सरकार की शिक्षा पद्धति में कोई विशेष योगदान दिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) अब तक इस परिषद् की क्या-क्या सिफारिशें कार्यान्वित की गयीं और उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पहली सितम्बर, 1961 ।

(ख) परिषद् ने देश की शिक्षा पद्धति में निम्नलिखित विशेष योगदान दिया है :-

(1) प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों के लिये आदर्श पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन,

(2) पढ़ाई की अनुपूरक सामग्री का प्रकाशन,

(3) स्टैण्डर्ड 1 से 10 तक के लिये संशोधित पाठ्यक्रम का निर्माण,

(4) स्कूल परीक्षाओं को आधुनिक बनाने के लिये प्रश्न पत्र रचिताओं का और परीक्षकों का प्रशिक्षण,

(5) विज्ञान और गणित की पढ़ाई के लिये प्रयोगशाला की आदर्श उपस्करों (किटों) और प्रदर्शन के नए उपकरणों का बनाना ;

(6) फिल्में तथा फिल्म-स्ट्रिपें और चार्ट बनाना ;

(7) विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना का प्रशासन ;

(8) क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में समेकित पाठ्यक्रम के द्वारा हाई स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण ;

(ग) राज्यों ने पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, विज्ञान के उपस्करों (किटों), अनुपूरक पाठ्य-सामग्री और दृश्य-श्रव्य सहायता का या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उपयोग किया है। सभी राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज योजना में भाग ले रहे हैं। स्कूल परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिये 12 राज्यों में मूल्यांकन एकक स्थापित किये जा चुके हैं। कई राज्यों में वाह्य परीक्षा को अनुपूरित करने के लिये आंतरिक मूल्यांकन करने की योजना शुरू की गई है। परिषद् द्वारा निर्मित विज्ञान के नये पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग के लिये एक मार्गदर्शक परियोजना चालू करने के वास्ते अब तक 11 राज्य सहमत हो गये हैं। यह परियोजना 1970 के शैक्षणिक वर्ष से प्रारम्भ होगी और लगभग 2,000 प्राइमरी स्कूलों में लागू होगी। अतः परिषद् का मुख्य संघर्ष स्कूल स्तर पर शिक्षा के स्तर की उन्नति से है। क्षेत्रीय कालेजों में प्रशिक्षण योजना का प्रभाव आने वाले उन वर्षों में अनुभव किया जायेगा जबकि प्रशिक्षित शिक्षकों का पहला दल स्कूलों में कार्य आरम्भ करेगा। परीक्षा पद्धति में सुधार करने और परिणामस्वरूप कक्षा की पढ़ाई की उन्नति पर ध्यान केन्द्रित करने में परिषद् को सफलता मिली है।

एशिया एवं सुदूर पूर्वी देशों सम्बन्धी आर्थिक आयोग की परिवहन तथा संचार समिति की सिफारिश की क्रियान्विति

4677. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया एवं सुदूर पूर्वी देशों सम्बन्धी आर्थिक आयोग की परिवहन तथा संचार समिति ने बन्दरगाहों, तटीय नौवहन आदि के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों की क्रियान्विति के क्षेत्र और संभावना के बारे में विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित होने योग्य पाई गई हैं और कौन-कौन सी सिफारिशें अब तक क्रियान्वित की गई हैं ; और

(घ) कौन-कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित होने योग्य नहीं पाई गईं और इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). इकाफे की परिवहन तथा संचार समिति एक सलाहकार तथा परामर्शदात्री संस्था है जो परिवहन तथा संचार क्षेत्र में एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग की सेवा करती है। यह समिति किसी विशिष्ट देश के बारे में उसकी सहमति के बिना कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं करती है। समिति के 17वें अधिवेशन में जो 3 और 11 फरवरी 1969 के बीच बैंकाक में हुआ, पत्तनों, राजमार्गों और मुख्यमार्ग परिवहन के क्षेत्र में कुछ सिफारिशें की गयी थीं, तटीय पोतपरिवहन के बारे में ऐसी कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं थीं। भारत से सम्बन्धित सिफारिशों के बारे में की गयी कार्यवाही का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2443/69]**

Awarding of Doctorate to Persons Writing High-Class Text-Books

4678. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National School Text-Books Board have recommended to the Universities to award Doctorate (Ph. D.) to a person who writes high class text-books; and

(b) if so, the progress made so far in this regard by each University?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) No specific recommendation to this effect has been made. In the Report of the first meeting of the National Board of School Text-books held on 5th and 6th April, 1969, it has been recommended that a system of granting social recognition and status to persons who have produced outstanding text-books will be of great help. It further goes on to say that in the Soviet Union, for instance, the writing of an outstanding text-book is equated with first-rate piece of research and a doctorate degree is often awarded to writers of outstanding text-books.

(b) Doas not arise.

Expenditure Incurred by Bihar Government on Prime Minister's Tours

4679. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Bihar Government on the tours of the Prime Minister during the mid-term elections ;

(b) the amount out of it which related to security purposes and that which related to other items and the details thereof ;

(c) the reasons for not recovering the amount which was incurred on the items other than security ;

(d) whether Government are taking action to recover the said amount ; and

(e) the amount of the bill which was sent to the All India Congress Committee by Bihar Government and the nature of reply received in this regard on behalf of the Congress ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Development of Kota as a Tourist Centre

4681. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop Kota (Rajasthan) into a tourist centre as it abounds in beautiful dams, scenes, scenery and atomic power ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). In view of limited resources and other priorities, Central Government is not at present in a position to develop Kota as a tourist centre.

Number of Employees in various services and Bureaux in Education Ministry

4682. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Divisions and Bureaux in his Ministry ;

(b) the number of Assistants and Section Officers in each Division and Bureau ; and

(c) the number of persons who have working knowledge of Hindi and of those who are doing their work originally in Hindi, Division-wise and Bureau-wise ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) 14 Divisions

6 Bureaux

(b) and (c). A statement is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-2444/69]**

All India Competition in Hindi Typewriting

4683. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi has been holding All India competition in Hindi typewriting every year since 1960 ;

(b) if so, whether it is also a fact that Shri Chandra Dev Pandey of New Delhi has set up a record of 91 words per minute on Hindi Type writer with old key board (Model No. 18 Standard) ;

(c) if so, whether it is also a fact that in All India Competition it could be possible to tpye at a maximum speed of only 59 words per minute on the machine with new key board ;

(d) if so, whether Government propose to reject the new key board machine and retain old key board machine (Model No. 18 Standard) ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi, which is a Voluntary Organization, have informed us that Shri Chandra Dev Pandey attained a speed of 90.06 words per minute in the All-India Hindi Typewriting Contest held by them in 1967, in which he used a Typewriter with the old key board.

(c) The Parishad have also informed us that the highest speed attained in the contest held in 1967 on the Hindi Typewriter, with a key board approved in 1964 was 61. 04.

(d) and (e). The relatively low speed attained on the key-board approved in 1964 is mainly due to the fact that it has been in use only for a comparatively short time. A further experience of some years would be necessary to get a clear comparative picture of the speeds of the old key-board and the new one. It may, however, be stated that the entire question was examined by the Government recently and a new key-board has been approved in 1969. This is an improvement on the earlier key-boards and is expected to increase the speed.

Key Board of Hindi Typewriter Machine

4684. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that letters coming in use very often have been provided in the second row from the top instead of their being in the second row from the bottom in Hindi Typewriter Machine with new key board ;

(b) if so, whether the letters used very often are half ones and there is every likelihood of their being read wrongly such as 'खाली' is read as 'साली'

(c) whether fullstop (.) and comma (,) have been provided at the corner of the top row and it takes double the time to type them ;

(d) whether it is a fact that stencil is not cut clearly on the Hindi Typewriter Machine with new Key Board ; and

(e) the names and qualifications of the Chairman and Members of the Committee which gave suggestions for the new key board ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir. Letters of frequent use have been kept in the second row from the bottom as well as from the top in the revised key-board announced in January, 1969, so that they can be typed without operating the shift-key. This ensures speed also.

(b) No, Sir. Half letters have been provided in the upper shift, as they are not so frequently used. Letter 'स' is full in the 2nd row from the bottom and the letter 'ह' when made full by adding matra 'ा'gives a clear shape of 'ख'without any confusion with'स'

(c) No, Sir. The full-stop is the third key from the left in the top row and not in the corner. The comma (,) which is in lesser use in comparison with the full-stop, has been kept

in the upper shift of the top row as the sixth key from the left. This is expected to increase speed.

(d) Does not arise, as the Hindi Typewriter machines, based on the latest key-board announced in January, 1969 have not yet come in the market.

(e) The Dev-Nagari Hindi-Marathi typewriters key-board has been finalised after deliberations between the experts, manufacturers and the representatives of the Government of Maharashtra. The names of the Chairman and members of the Committee which recommended the latest key board announced in 1969, are as follows :—

1. Shri S. M. Agarwal,
   Joint Secretary, Ministry of Defence,
   New Delhi. (Chairman)
2. Dr. W. N. Pandit,
   Director of Languages and Deputy Secretary to the Government of Maharashtra. (Member)
3. Shri G. S. Kulshrestha,
   Deputy Director, Directorate General of Supplies and Disposals. (Member)
4. Prof. A. Chandrahasan,
   Director, Central Hindi Directorate,
   New Delhi. (Member-Secretary)

Shortcomings in the Hindi Typewriter Machines

4685. **Shri Shiv Charan Lal**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the following shortcomings are found in the Hindi Typewriter Machines with new key board ;

(i) a confusion is created because the half-letters appear in the upper line in the new key board whereas each such half-letter appears in the lower line in the old key board ; (ii) no provision has been made for 'द्ध' and 'द्व' in the new key board and letter 'द्' is used in place of them ; (iii) difficulty is experienced while typing 'ि' and 'ी' because they appear at two different places in the new key board ; (iv) the type impression of old key boards is very clear whereas the type impression of new key boards is so close that carbon copies are not very clear ; and (v) the very shape of Devnagri script has been changed by this new typewriter ; and

(b) if so, the purpose of introducing this new key-board ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan): (a) (i) No, Sir. This is a question of practice and no confusion should normally arise after the typists have gained sufficient practice on machines with the new key boards.

(ii) No, Sir. Joint letters like 'द्ध' और 'द्व' have been dropped in view of the limited number of keys and to make the typewriter useful also for Marathi. The sign of Halant is used to join two letters.

(iii) No, Sir. Had 'ि' and 'ी' been provided on the same key, one would have been on the upper shift and the other on the lower shift, thus impending the speed.

(iv) Does not arise, as the typewriter with the 1969 key board has not yet come in the market.

(v) No, Sir.

(b) The new key-board has been adopted to ensure better typing speed and the manufacturers have been requested to ensure that there are no mechanical defects in alignment etc.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के दो निदेशकों द्वारा त्याग पत्र

4686. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के दो निदेशकों ने अभी हाल ही में अपने पदों से त्याग पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके त्याग पत्र देने के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या परिषद् द्वारा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). क्षेत्रीय अनुसंधान-प्रयोगशाला, भुवनेश्वर के निदेशक, श्री जी० एस० चौधरी ने व्यक्तिगत कारणों से हाल ही में अपना त्यागपत्र दिया है। मामला विचाराधीन है। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के निदेशक, श्री एच० ए० वी० परपिया ने हाल ही में त्यागपत्र देने की अपनी इच्छा के विषय में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष को लिखा है। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय कार्यालय द्वारा उत्पन्न की गयी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उनका प्रभावपूर्ण रहना कठिन हो गया है। उनके अनुबंध को, जो कि 3 नवम्बर, 1969 को समाप्त हो गया था, बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है; किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इससे पूर्व जुलाई-अगस्त, 1969 में डा० हरि नारायण और डा० जी० एस० सिद्धू ने त्याग पत्र देने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने अपने त्यागपत्रों में कोई कारण नहीं लिखे थे। उनके त्यागपत्र नहीं स्वीकार किये गये थे।

बादशाह खान की जम्मू तथा काश्मीर यात्रा

4687. **श्री समर गुह :**
श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लेबीसाइट फ्रंट तथा शेख अब्दुल्ला के विरोधपूर्ण रवैये के

कारण खान अब्दुल गफ्फार खां ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के दौरे के निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो बादशाह खां के जम्मू तथा काश्मीर के दौरे के इस प्रकार विरोध किये जाने का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या उस राज्य की उनकी सद्भावना यात्रा के लिये नये प्रयत्न किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास यह प्रकट करने की कोई सूचना नहीं है कि खान अब्दुल गफ्फार खां ने उल्लिखित कारण से जम्मू और काश्मीर जाने के अपने कार्यक्रम में परिवर्तन किया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री ने प्रेस वक्तव्य में कहा है कि हम अब भी आशा करते हैं कि वे निकट भविष्य में हमारे यहां आयेंगे ।

अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिये नामनिर्देशित सलाहकार समिति के स्थान पर निर्वाचित परिषद्

4688. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह संबंधी गृह मन्त्री की सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन की कसौटी क्या है ?

(ख) उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जो वर्तमान समिति के सदस्य हैं और उनके प्रतिनिधित्व का क्या आधार है ;

(ग) क्या संघ राज्य अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की वर्तमान जन संख्या को देखते हुए पान्डीचेरी तथा गोवा आदि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के समान ही इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए भी एक निर्वाचित परिषद् बनाई जानी चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक निर्वाचन परिषद् बनाने के लिए कार्यवाही की जायेगी, और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति में, जिसके गृह मंत्री अध्यक्ष हैं, इस समय दस अन्य सदस्य हैं । उनमें तीन पदेन सदस्य, नामतः संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य आयुक्त संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य और पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं । शेष सात गैर-सरकारी सदस्यों को संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के लोगों के प्रमुख सदस्यों के रूप में उनकी स्थिति पर विचार करते हुए, 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए मनोनीत किया गया है ।

(ख) सात गैर-सरकारी सदस्य (गृह मंत्री और तीन पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) जो 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए समिति में मनोनीत किये गये हैं, संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2445/69]**

(ग) और (घ). 1961 की जनगणना के अनुसार अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या केवल 63,548 है। क्षेत्र अभी विकास की प्रक्रिया में है और क्षेत्र के प्रशासन के लिए निर्वाचित निकाय की स्थापना के लिए अभी समय परिपक्व नहीं है। किन्तु पोर्ट ब्लेयर के शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका है और अन्दमान द्वीपसमूह के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, लोक सभा में सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निर्वाचित संसद सदस्य भी हैं।

परा-मनोविज्ञान (पैरा-साइकोलोजी) रिसर्च यूनिट, जयपुर को समाप्त करना

4689. **श्री समर गुह :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर स्थित परा मनो-विज्ञान की अनुसंधान एकक को अकस्मात ही बन्द कर दिया जबकि उसके निदेशक डा० एच० एन० बनर्जी अमरीका के दौरे पर थे ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के अधिकारी इस एकक की सभी किताबों तथा अनुसंधान सामग्री को ले गये तथा उसके सभी सहायकों तथा कर्मचारियों की नौकरियों को मनमानी ढंग से समाप्त कर दिया ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस एकक के अचानक तथा मनमाने ढंग से बन्द किये जाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगेगी ; और

(घ) क्या पुनर्जन्म तथा इससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं जिसमें हिन्दू और बौद्ध दर्शन विचार का महत्वपूर्ण समावेश है और जिन्होंने भारत तथा विश्व के अन्य भागों के लोगों में भी रुचि उत्पन्न की है, के बारे में अनुसंधान कार्य जारी रखने के लिए कार्यवाही की जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक अस्थायी रूप में 1963 में परा-मनो-विज्ञान एकक स्थापित किया था। इस एकक का व्यय इस प्रयोजन के लिये प्राप्त हुए चन्दे, अनुदानों से पूरा किया जाता था। निदेशक को प्रथम बार अस्थायी आधार पर एक वर्ष के लिये नियुक्त किया गया था। अन्य कर्मचारी पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किये गये थे और उनकी नियुक्ति समय-समय पर बढ़ाया गया था। आरम्भ में परोपकारी व्यक्तियों का अंशदान उत्साहवर्द्धक था परन्तु शीघ्र ही यह कम हो गया और पहले दो अथवा तीन वर्षों में वास्तव में प्राप्त हुआ चन्दा इस एकक को चलाने के लिये पर्याप्त नहीं था। विश्वविद्यालय के अनुरोध पर नवम्बर, 1966 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस एकक के व्यय की 50 प्रतिशत सहायता देने के लिये सहमत हो गया था।

अप्रैल, 1968 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस एकक के कार्य संचालन का पुनर्विलोकन करने तथा चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में इस एकक को वित्तीय सहायता देना जारी रखने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की। समिति ने अन्य बातों के अलावा सिफारिश की कि एकक को वर्तमान रूप में जारी रखने से साधनों का अपव्यय होगा तथा भारत और विदेश में शैक्षणिक समाज की सहानुभूति परा-मनोविज्ञान से हट जायेगी। इसमें वैज्ञानिक अनुशासन का इसका दावा भी कमजोर हो जायगा इसलिए समिति ने इस एकक को उसमें वर्तमान रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का समर्थन देने की सिफारिश नहीं की।

आयोग ने समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार की और निर्णय किया कि इस एकक के लिये विश्वविद्यालय को 31 मार्च, 1968 के बाद कोई सहायता नहीं दी जानी चाहिये।

आयोग ने जून, 1969 में उसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय को सूचित किया कि वह शतप्रतिशत के आधार पर इस एकक के कार्य की सहायता नहीं करेगा परन्तु आयोग वर्तमान आधार पर (50 प्रतिशत) पर सहायता जारी रखने पर विचार कर सकता है यदि विश्वविद्यालय इस प्रस्ताव का समर्थन करे। तथापि विश्वविद्यालय ने इस एकक को चलाने में व्यय में हिस्सा बटाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और बताया कि वह चौथी योजना के बाद इसके जारी रहने के बारे में आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकार ने भी इस प्रायोजन के लिये कोई अनुदान नहीं देने का निर्णय किया।

तदनुसार विश्वविद्यालय ने 21 नवम्बर, 1969 से इस एकक को बन्द करने का निर्णय किया। नियमों के अनुसार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और एक महीने के नोटिस के बदले में उन्हें प्रत्येक को एक महीने का वेतन तथा भत्ते देने का निर्णय किया गया है।

विश्वविद्यालय ने मंत्रालय को सूचित किया है कि विश्वविद्यालय ने एकक को जारी रखने अथवा कोई अन्य कार्यवाही करने के प्रश्न पर काफी समय तक विचार किया है और इसे अचानक समाप्त नहीं किया गया है। एकक द्वारा लिये गये कमरों को खाली कर दिया गया है ताकि वे पढ़ाई के लिये अन्य विभागों को दिये जा सकें, जिसके लिये बराबर मांग की जा रही थी। विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया है कि एकक का सामान एक अन्य स्थान पर ले जाया गया है। वह सुरक्षित है।

Misuse of Australian Gift Paper Received by Commission for Scientific and Technical Terminology

4690. **Shri S. M. Joshi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the incident of misuse in respect of Australian gift paper received by the Commission for Scientific and Technical Terminology is being enquired into ;

(b) the quantity of Australian paper gift so far received by the said Commission and the Central Hindi Directorate and the name of the books for which it was used ;

(c) whether the same paper has also been used for the printing of a personal book entitled "Ek Hridya ho Bharatvasi" of the Chief Publication Officer of the said Commission ;

(d) if so, the action proposed to be taken against the officer found guilty of the said bungling ; and

(e) whether Government propose to institute an enquiry in respect of the Australian gift paper and distribution of the publications of the said Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) 20 tons and 421 lbs of paper were received. A list, containing names of the books, in which the above paper was used by Central Hindi Directorate is placed on the Table of the Sabha. **[Placed in Libraay. See No. LT-2446/69].** The names of the books, in which the above paper was used by the Commission for Scientific and Technical Terminology, are being collected.

(c) The Government has no information about it.

(d) and (e). Do not arise.

Criticism of Government by Principal Publications Officer of Scientific and Technical Terminology Commission

4191. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Principal Publications Officer in the Commission for Scientific and Technical Terminology had criticized Government and the present situation prevailing in the country during a ceremony in respect of the release of a book, written and published by him, which was held on the 13th November, 1969 ;

(b) if so, the action proposed to be taken against the officer concerned in this regard ;

(c) whether the said officer had obtained the permission of Government for writing and publishing the said book ; and

(d) if not, the action proposed to be taken by Government against the officer concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Principal publication Officer has denied that he made any such criticism.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The book is a literary piece of work and therefore, no formal permission was necessary.

संत फतह सिंह द्वारा दी गई धमकी

4692. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकाली दल के अध्यक्ष संत फतह सिंह ने यह घोषणा की है कि यदि 26 जनवरी, 1970 तक चंडीगढ़ को पंजाब के साथ नहीं मिलाया गया तो वह 1 फरवरी 1970 को आत्मदाह करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार लोक हित में इस मामले पर निर्णय लेने और यथाशीघ्र इसकी घोषणा करने की स्वयं इच्छुक है और हर हालत में यह संसद के बजट अधिवेशन से पहले इसकी घोषणा कर देगी ।

गोआ के कस्बों तथा तीर्थस्थानों का एक ही नाम से उच्चारण

4693. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के महत्वपूर्ण कस्बों तथा तीर्थस्थानों के नामों का उच्चारण करने में दोहरापन तथा तीहरापन अपनाया जाता है और इससे विदेशी पर्यटक, रेलवे तथा देश में विद्यमान विभिन्न यात्रा अभिकरण भ्रांति में पड़ जाते हैं ; और

(ख) स्वाधीनता प्राप्ति के 8 वर्षों बाद भी सरकार द्वारा नामों में समान उच्चारण न अपनाये जाने तथा "श्री मंगेश" को, जिसे पुर्तगाली भाषा में "मंगेक्सा" तथा शांतदुर्गा आफ काबले को एक्संतदुर्गा आफ क्वेला के रूप में लिखा जाता है, इस प्रकार की भ्रांति को दूर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले गोवा संबंधी पर्यटन प्रचार साहित्य में महत्वपूर्ण नगरों तथा धार्मिक स्थानों के नामों के हिज्जों (स्पेलिंगों) में कोई विभिन्नता नहीं है । यह विभाग पुर्तगाली भाषा में कोई साहित्य प्रकाशित नहीं करता और न ही नामों के पुर्तगाली रूपान्तरों का प्रयोग करता है ।

सिविल सेवा विनियम

4694. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस दृष्टि से कि सेवा निवृत्ति सिविल और सैनिक अधिकारियों ने ऐसी अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें उन्होंने अपनी सरकारी सेवा के दौरान ज्ञात सरकारी भेदों का वर्णन किया, सिविल सेवा विनियमों और राजकीय भेद अधिनियम, 1923 में संशोधन करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) किस नियम या कानून के अन्तर्गत भूतपूर्व महासचिव श्री आर० के० नेहरू जैसे सेवा निवृत्ति सिविल अधिकारी को सेवा निवृत्ति के बाद एक सनसनी खेज और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक को लिखने के लिये सरकारी रिकार्ड को देखने की अनुमति दी गई; और

(ग) क्या सरकारी रिकार्ड को देखने से सम्बन्धित समूचे प्रश्न पर सरकार फिर से विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग). राजकीय भेदों का वर्णन करने वाले व्यक्ति को राजकीय भेद अधिनियम, 1923 के अधीन अभियोजित किया जा सकता है। अधिनियम के उपबन्धों को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये 1967 में संशोधित

किया गया था । राजकीय भेद अधिनियम के उल्लंघन के लिये दोषी पाये गए सेवा निवृत्ति सरकारी कर्मचारियों की पेंशन रोकने या वापिस लेने के योग्य बनाने के लिए सिविल सेवा विनियमों के सम्बद्ध उपबन्धों को भी 1968 में संशोधित किया गया था ।

(ख) श्री आर० के० नेहरू को सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी रिकार्ड को देखने की अनुमति नहीं दी गई थी ।

देश में हिंसा को रोकने के लिये उपाय

4695. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री एस० आर० दामानी *

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदर्शनों आदि के द्वारा हिंसा की हुई घटनाओं, सरकारी तथा गैर-सरकारी सम्पत्ति विनाश तथा अन्य प्रकार की तोड़-फोड़ के बारे में, उन गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतम मामलों में, उन लोगों की सम्पत्ति और जान को क्षति पहुंचती है जो इन प्रदर्शनों के उद्देश्य से असम्बन्धित होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु कोई अखिल भारतीय सम्मेलन अथवा विचार-विमर्श किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सारे देश में तथा राजधानी सहित अन्य नगरों में बढती हुई अव्यवस्था के कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया अथवा किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). देश के विभिन्न भागों में हाल के प्रदर्शनों और दंगों में कानून के अनेकों उल्लंघनों पर सरकार गहरी चिन्ता व्यक्त करती है । संविधान के अन्तर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस तथा न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है । हिंसक प्रदर्शनों को रोकने और हिंसा के किन्हीं अविभावों पर दृढ़ता से कार्यवाही करने के लिये उनके द्वारा आवश्यक प्रशासनिक तथा कानूनी कदम उठाये जाते हैं । मांगी जाने पर केन्द्रीय सरकार भी उचित सहायता प्रदान करती है ।

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) राज्य सरकारें भारत सरकार को कानून व व्यवस्था की स्थिति पर नियतकालिक रिपोर्टें भेजती है, जो हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा की घटना की प्रवृत्तियों का पुनरीक्षण करती है ।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच की यात्रा के विमान किराये में कमी करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था को आवेदन

4696. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया तथा आस्ट्रेलिया की क्वांटास एयरवेज ने दोनों देशों के बीच की यात्रा के विमान भाड़े को कम करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था से अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). केन्स तथा जेनेवा में हुए आई० ए० टी० ए० (अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था) यातायात सम्मेलनों में, एयर इंडिया ने पर्यटन यातायात की अभिवृद्धि करने के लिये आस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड से भारत के लिये नये प्रोत्साही किराये स्थापित करने के लिए एक अस्थायी करार किया था। परन्तु, इस क्षेत्र में कुछ अन्य एयरलाइनों की समस्याओं के कारण, आई० ए० टी० ए० ने इन किरायों को अभी अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया है।

विदेशी पर्यटकों का लूटा जाना

4697. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 अक्तूबर, 1969 को दिल्ली से वाराणसी जाते हुए जिन तीन विदेशी पर्यटकों को लूटा गया था, क्या उनके मामले में कोई जांच की गई है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 4-5 अक्तूबर, 1969 की रात को दिल्ली से वाराणसी को जाते समय रास्ते में फतेहगढ़ जिले में सड़क पर गुरशहायगंज के पूर्व में लगभग 4 मील जी० टी० रोड पर तीन विदेशी और एक बच्चा अपनी कार में सोते हुए पाये गये। पुलिस गश्ती दल ने उन्हें किसी निरीक्षण भवन अथवा पुलिस थाना, गुरशहायगंज को जाने की सलाह दी। विदेशी उस स्थान से चले गये और गुरशहायगंज के पश्चिम में लगभग चार मील एकान्त में सड़क पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की और गाड़ी के अन्दर सो गये बताया जाता है कि जब वे अपनी कार में सो रहे थे, कुछ शरारतियों ने उन पर हमला किया, उन्हें पीटा और लूट लिया। बच्चे को कोई चोट नहीं आई किन्तु अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं। इस सूचना के प्राप्त होने पर विदेशियों को गाड़ी के साथ पुलिस थाने में लाया गया तथा घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए गुरशहायगंज के स्थानीय अस्पताल में भेजा गया।

इस हमले में अन्तर्ग्रस्त तीन व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की तफ्तीश से मालूम हुआ कि इस अपराध को करने में पांच व्यक्तियों ने भाग लिया था। शेष दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार किये गये तीन व्यक्तियों का चालान किया गया है।

आसूचना विभाग का विभाजन

4698. **श्री एस०एन० मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसूचना विभाग का विभाजन कर दिया गया है और अनुसंधान-एवं-विश्लेषण कक्ष नाम से एक नया विभाग बनाया गया है और उसे मंत्रिमंडल-सचिवालय के साथ सम्बद्ध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आसूचना विभाग के वरिष्ठ कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा करके इस कक्ष में तबदील किये गये कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई है ;

(ग) क्या दोनों कक्षों में कर्मचारियों का बंटवारा करने से पहले वरिष्ठ कर्मचारियों को विभाग चुनने का विकल्प नहीं दिया गया था ;

(घ) क्या वरिष्ठ कर्मचारी दोनों विभागों में बराबर-बराबर नहीं बांटे गये थे ; और

(ङ) उन वरिष्ठ कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने तथा उनमें व्याप्त निराशा और जलन को दूर करने के लिये, जिनकी उपेक्षा करके कनिष्ठ कर्मचारियों को अभियान दिया गया है, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). आसूचना सेवाओं की अधिक कार्य-कुशलता के लिए बाह्य आसूचना पक्ष को आंतरिक आसूचना पक्ष से पृथक कर दिया गया है। कर्मचारी वर्ग का दोनों पक्षों के बीच आवंटन उनके द्वारा किये जा रहे कार्य के आधार पर किया गया है। ऐसे आवंटन से उत्पन्न किसी विपक्ति के मामलों पर अलग-अलग विचार किया जाएगा और उन पर सहानुभूति-पूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में विश्व बैंक से बातचीत

4699. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत इस बीच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत वर्तमान राष्ट्रीय राजभागों के कुछ खंडों के विकास के लिये है न कि नये राष्ट्रीय राजभागों को लेने के लिये हैं। बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है।

दिल्ली सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि

4700. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत दो वर्षों की तुलना में 1968-69 में सड़क दुर्घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं। प्रसंगाधीन वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये या किये जाने वाले कदम नीचे बताये गये हैं :

1. **सड़क सुरक्षा शिक्षा**

(1) सड़क सुरक्षा शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों को दी जाती है जिसमें सड़क सुरक्षा पर भाषण, और यातायात नियमों का पालन शामिल है। तत्पश्चात् व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया जाता है।

(2) बच्चों के लिये टेलीविजन प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है।

(3) सड़क सुरक्षा पर पुस्तिका और हास्यलेख बच्चों में वितरित किये जाते हैं और आसपास के गांवों में भी बाटे जाते हैं।

(4) सड़क सुरक्षा पर विभिन्न स्कूलों में चलचित्र दिखाए जाते हैं।

(5) "स्कूल" चेतावनी पटल मोटर वालों के संदर्शन के लिए सड़क पर पड़ने वाले लगभग सभी स्कूलों के निकट लगा दिये गये हैं।

(6) पैदलपारपथ चिन्हित कर दिये गये हैं और सभी मुख्य सड़कों पर रफ्तार पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

(7) इरविन रोड जहां बच्चों को यातायात विनियमों का प्रशिक्षण दिया जाता है पर एक यातायात प्रशिक्षण स्कूल कार्य कर रहा है।

(8) शहर में लगभग 25 सिनेमाओं में हास्य चित्रों के सहित यातायात सुरक्षा पर सिनेमा स्लाइड नियमितरूप से दिखाये जा रहे हैं।

(9) व्यस्त तम समय में प्रतिदिन 6 घंटे के लिये एक चलता फिरता यातायात शिक्षा गाड़ी कार्य करती है जो सड़क प्रयोक्ताओं को स्थान पर ही उनके त्रुटियों को बताकर शिक्षा देती है।

2. **इंजीनियरी सुधार**

(10) यातायात पुलिस की सलाह पर, सड़क पर के चक्कर हटाये जा रहे हैं। सड़क के चौराहे चौड़े किये जा रहे हैं पृथक पैदल पथों और साइकल पथों की व्यवस्था की जा रही है। सड़कों पर चिन्ह लगा दिये गये हैं और बस अड्डा मंडप खोमचे वाले, टैक्सी अड्डा इत्यादि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों यथा संभव हटाए जा रहे हैं। दिल्ली परिवहन उपक्रम के बहुत से बस के अड्डों को नई जगह पर ले जाया जा रहा है।

3. **परावर्तन उपाय**

(11) व्यस्त और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी परिवहन गाड़ियों का परिचालन बिल्कुल बंद कर दिया गया है जबकि कुछ दूसरे सड़कों पर यातायात के अवरोध को हटाने के लिये उनका प्रचलन व्यस्त तम समय में निलम्बित कर दिया ग या है ताकि भीड़भाड़ न हो।

(12) दिल्ली और नई दिल्ली के व्यस्त सड़कों व्यस्ततम समय में धीरे चलने वाले वाहनों के लिये बंद कर दिये गये हैं।

(13) संकुलित सड़कों को "वन वे" के तौर पर और भीड़ भाड़ वाले सड़कों को "न पार्किन्स जौन" के तौर पर घोषित किये गये हैं।

(14) अतिरिक्त कर्मचारियों और परिवहन की स्वीकृति के द्वारा यातायात पुलिस को सुदृढ़ कर दिया गया है। उनके साथ फोटोग्राफिक इकाइयों सहित तीन दुर्घटना जत्थे शामिल हैं जो घातक दुर्घटनाओं और गहरी चोट पहुंचाने वाली दुर्घटनाओं की छानबीन करते हैं।

(15) यातायात नियमों और कानूनों के लागू करने के लिए एक अलग यातायात निरीक्षक को लगाया गया है। उसके अधीन 6 स्थायी प्रवर्तन दस्ते जिनके जिनके साथ चलते फिरते न्यायाधीश होते हैं। उसके निकट सम्पर्क में घटना स्थल अभियोजन और जांच के लिए काम करते हैं।

(16) मोटर गाड़ियों को चलाने वालों के उल्लंघन के मामलों को पकड़ने के लिए 4 चलते फिरते प्रवर्तन दस्ते भी हैं जो विभिन्न रास्तों पर भीड़भाड़ तथा बिना भीड़भाड़ के समय विभिन्न समय पर जीपों में गश्त लगाते हैं।

(17) सड़कों पर पड़ी मोटरगाड़ियों जो यातायात के अवाध परिचालन में बाधा डालते हैं, को अलग करने के लिए एक ब्रेक-डाउन गाड़ी की व्यवस्था की गई है।

(18) पुलिस कर्मचारियों को सड़कों के नियमों और विनियमों में और नये विचारों और यातायात के नवीकरण तथा सम्बन्धित मामलों में शिक्षित किये जाते है। इस प्रयोजन के लिए 2 उप-निरीक्षक और एक हेड कानिस्टेवल रखे गये हैं।

(19) अगस्त, 1969 से पाठशाला सुरक्षा दस्ता शुरु किया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत अपनी पाठशालाओं बाहर पाठशाला लगने से पूर्व और बाद में यातायात का नियंत्रण तथा संचालन के लिए अब तक लगभग 300 लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया है। जो लड़के इस प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं वे सड़क रक्षा शिक्षा को नियमतरूप से अपने पाठशाला के साथियों में फैलाएंगे और पाठशाला में आते-जाते समय सड़क पार करने में सहायता करेंगे।

(20) 1968 में अप्रैल में एक राष्ट्रीय अपराध निवारण सप्ताह बताया गया, नवम्बर में बच्चों के लिए होम गार्ड और सिविल डिफेन्स की प्रदर्शनी की गई जिसमें यातायात पुलिस ने दो स्टाल और एक यातायात उद्यान लगाये और दिसम्बर में अन्य संगठनों की सहायता से यातायात पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया।

दिल्ली और नई दिल्ली में कामचलाऊ स्कूलों की आवश्यकता

4701. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या कितनी है ;

(ख) 3 से 5 वर्ष की आयु के उन बच्चों की संख्या कितनी है जो नर्सरी, किन्डरगार्डन आदि स्कूलों में पढ़ते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि समूची दिल्ली और नई दिल्ली में ऐसे सैकड़ों छोटे और कामचलाऊ स्कूलों की आवश्यकता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ऐसे स्कूलों को बढ़ावा देने से अनेकों बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार मिलेगा ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (**श्री भक्त दर्शन**) (क) से (ङ). शिक्षा प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार की जेलों में कैदी

4702. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार की जेलों में कितने कैदी हैं ;

(ख) उनमें कितने राजनीतिक कैदी हैं और वे किस-किस दल से सम्बन्धित हैं ;

(ग) राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध क्या निश्चित आरोप है ; और

(घ) इस समय राजनीतिक कैदी किस श्रेणी में हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : बिहार सरकार ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) 31397 कैदी।

(ख) राज्य नियमों में राजनैतिक कैदियों के रूप में पृथक वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

विद्यार्थियों के लिये नये खेलों का आरम्भ किया जाना

4703. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतन्त्रता के पश्चात् विद्यार्थियों के लिये कोई नये खेल आरम्भ किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए, देश की शिक्षा संस्थाओं में अब अपने विद्यार्थियों के लिये निम्नलिखित खेल खेलने की व्यवस्था की गई है।

एथलेटिक्स, वेडमिन्टन, वास्केटवाल बाक्सिग, बालबेडमिन्टन, चैस, क्रिकेट, साइकिल पोलो, साइक्लिंग, फुटबाल, लाइडिंग और फ्लाइंग, जिम्नास्टिक्स, हाकी, जूड़ों, कबड्डी, खो-खो, पर्वतारोहण (माडन्देयारिंग) शूटिंग, स्केश, रकट, तैरना, टेबल टेनिस, लान टेनिस; बालीवाल, वजन उठाना, कुश्ती, नौका-विहार और उल्लिखित खेलों के अतिरिक्त देशी खेल।

उत्तरी बिहार में पर्यटन केन्द्रों का विकास

4704. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्यतया उत्तर बिहार में तथा विशेषकर दरभंगा जिले में

ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिये उनका कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है । पर्यटन सुविधायें क्षेत्रीय अथवा जिले-वार आधार पर नहीं, अपितु पर्यटकों के लिये किसी स्थान के वास्तविक अथवा संभावित आकर्षण को दृष्टि में रख कर प्रदान की जाती हैं । बिहार में निम्नलिखित पर्यटन सुविधायें प्रदान की जा चुकी हैं :—

1. बोध-गया में 1956 में बुद्ध जयन्ती के अवसर पर बनाया गया पर्यटक बंगला (प्रथम श्रेणी) ।
2. 'दामोदर वेली कारपोरेशन' क्षेत्र में विश्राम-गृह का निर्माण तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था ।
3. गया, बोध-गया, रांची और राजगीर में पर्यटन ब्यूरों की स्थापना ।
4. राजगीर में पर्यटन शाला ।
5. राजगीर में हवाई रज्जु मार्ग की स्थापना ।

चौथी योजना में बोध-गया, राजगीर और नालन्दा के समेकित विकास को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का पर्यटन रुचि के चुने हुये स्थानों पर और अधिक आवास तथा पर्यटन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

जलस्थल परिवहन व्यवस्था

4705. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में यात्रियों अथवा माल के लिये कोई जलस्थल परिवहन व्यवस्था कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस देश में ऐसी व्यवस्था अपनाने के लिये विचार करने से पहले किस सीमा तक परिवहन का ऐसा तरीका विदेशों में उपयोग किया गया है और उसके लाभों का अध्ययन करना होगा ।

गांधी शताब्दी स्मारिका में श्री जी० डी० बिड़ला की प्रशंसा

4706. **श्री देवेन सेन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शताब्दी स्मारिक (गांधी दर्शन) के पहले लेख में विभिन्न बिड़ला फर्मों द्वारा श्री जी० डी० बिड़ला की प्रशंसा की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त प्रशंसा लेखे में यह कहा गया है कि "गांधी जी की बिड़ला हाउस में मृत्यु होना उनके घनिष्ठ सम्बन्धों का परिचायक है"

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त स्मारिका गांधी जी की स्मृति पर एक धब्बा है और उसका अभिप्राय श्री जी० डी० बिड़ला की प्रशंसा करना है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी स्मारिका को बन्द करने का है जो गांधी जी का अपमान है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) "सिटिजन्स कमेटी" (नागरिक समिति) नामक एक समिति ने, जो गांधी जन्म शताब्दी के लिये राष्ट्रीय समिति अथवा गांधी दर्शन के लिये उसकी उप-समिति से अपराधीन है, प्रचार तथा गांधी दर्शन प्रदर्शनी व सांस्कृतिक में कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर व्यय के लिये धन एकत्र के लिये एक पत्रिका प्रकाशित की है। समिति ने इस पत्रिका में अनेक विज्ञापन प्रकाशित किये हैं, जो उसे कुछ कम्पनियों और फर्मों से प्राप्त हुए थे। एक ऐसा विज्ञापन मैसर्स जियाजीराव कॉटन मिल्स लिमिटेड, मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड, मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड तथा मैसर्स सेच्युरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा "बापू दर्शन—स्टोरी आफ ए लांग एण्ड यूनीक एसोसिएशन" के शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख के रूप में दिया गया है। यह विज्ञापन पत्रिका में पहले विज्ञापन के रूप में छापा गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). लेख के कुछ भागों की भाषा उपयुक्त नहीं है और मालूम हुआ है कि विज्ञापनकर्ता अधिकांश प्रतियों में, जो अभी छपनी हैं, उपयुक्त संशोधन के लिये सहमत हो गये हैं।

संसद् सदस्यों के विदेशों के दौरे

4707. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** .क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968; 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1969 और 1 अप्रैल, 1969 से 30 नवम्बर, 1969 तक की अवधि में कौन-कौन संसद् सदस्य सरकार के निर्देश पर विदेशों के दौरे पर गये और प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक मामले में कितने विदेशी दौरे किये गये :

(ख) प्रत्येक संसद् सदस्य के प्रत्येक दौरे के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी जाये—

(1) किस देश, संस्था या व्यक्ति के निमंत्रण पर सरकार ने यात्रा की व्यवस्था की या अनुमति दी ;

(2) क्या दौरा उद्योग या व्यापार से संबंधित किसी मामले के बारे में था ;

(3) सदस्य को किस विशिष्ट बैठक, सम्मेलन या शिष्टमण्डल में भेजा गया था;

(ग) विमान के किराये, विदेशों में सवारी का किराया, होटल आवास का खर्च और प्रत्येक विदेश यात्रा पर आकस्मिक व्यय को किसने वहन किया और अतिथियों, संसद्, सदस्यों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने उस व्यय में कितना-कितना हिस्सा बंटाया ; और

(घ) प्रत्येक विदेश यात्रा के लिये प्रत्येक सदस्य को कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई और प्रत्येक सदस्य वापसी पर कितने मूल्य का विदेशी माल साथ लाया ?

संसद्-कार्य परिवहन तथा नौवहन और मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ). मांगी गई जानकारी अविलम्ब उपलब्ध नहीं है और इसको इकट्ठा करने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा वह प्राय: इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के बराबर नहीं होगा ।

Holding of Meetings and taking out Processions in the Vicinity of Parliament House on 13th November, 1969

4708. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether holding meetings and taking out processions in the vicinity of Parliament House have been banned ; and

(b) if so, the circumstances under which the supporters of the Prime Minister had come in a procession to the Parliament House on the 13th November, 1969 and had held a meeting there under the Police guard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) An order under section 144 of the Code of Criminal Procedure was promulgated on November 14, 1969, for a period of two months, prohibiting demonstrations, meetings, processions etc. in the vicinity of the Parliament House.

(b) When the procession was taken out on 13th November, no such prohibitory order was in force.

Threat to Prime Minister's Life during her visit to Varanasi

4709. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Jharkhande Rai :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri V. Narasimha Rao :
Shri Muhammad Sharif :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the Press to the effect that a plot was engineered for murdering the Prime Minister on her recent visit to Varanasi ; and

(b) if so, the complete details in this regard and how far this news is authentic ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The Government of Uttar Pradesh have informed as under :

(a) Yes, Sir.

(b) On receipt of information about an alleged plot to assassinate the Prime Minister the matter was investigated by the State Police who found that the allegation was baseless.

Corruption among Senior Officers reported in Central Vigilance Commission's Annual Report

4710. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the Annual Report (1968-69) of the Central Vigilance Commission wherein it has been mentioned that corruption is much prevalent amongst the senior Officers of the Ministries of Defence, Finance, Railways and Post and Telegraph and Foreign Trade and Supply Departments ;

(b) if so, whether Government have considered the causes thereof and have taken remedial measures therefor ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The Annual Report (1968-69) of the Central Vigilance Commission contains statements of cases relating to various Ministries and Departments. The Report does not, however, make any specific mention of the extent of corruption in any particular Department or the degree of corruption among officials of any particular class or category. Government are quite alive to the need for combating corruption among officials. The Vigilance Organisations in the Ministries have been strengthened. A programme of vigilance and anti-corruption work is drawn up each year in respect of selected Central Government Departments and Public Sector Undertakings. In the course of implementation of the programme causes of corruption and **modus operandi** are also gone into by officers of the C. B. I. in consultation with the departmental officers. The Lokpal and Lokayuktas Bill which is presently before the Parliament is yet another measure for combating corruption.

मनीपुर के प्रारम्भिक स्कूलों के गैर मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापक

4711. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री मनीपुर के प्रारम्भिक स्कूलों के गैरमैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित अध्यापकों के समान वेतनमान देने के बारे में 25 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 987 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). मामला अभी तक विचाराधीन है ।

पश्चिमी यूरोप के देशों से पर्यटक

4712. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार पश्चिमी यूरोप के देशों से कितने पर्यटक भारत आये ; और

(ख) कितने मामलों में सरकार को पर्यटकों की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के कारण उन्हें देश से निष्कासित करना पड़ा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	संख्या
1966	48,008
1967	56,513
1968	64,004

(ख) कोई नहीं ।

मनीपुर तथा नागालैण्ड का दर्जा

4713. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 28 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1998 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के मामले में भी केन्द्रीय सहायता का समान तर्क लागू होता है ;

(ख) क्या वित्त के आधार पर ही सरकार मनीपुर की जनता के भाग्य का निर्णय करना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय सहायता में कमी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है जिससे कि मनीपुर को राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाय ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). नागालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962 के अधीन पृथक राज्य के रूप में नागालैण्ड का सृजन इतिहास का विषय है और संसद् के सम्बद्ध वाद विवादों में उन विशेष तर्कों पर प्रकाश डाला जायगा जिनके आधार पर कानून अधिनियमित किया गया था । मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र योजना और योजनेतर व्यय को पूरा करने के लिये काफी केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहा है । ज्यों-ज्यों संघ राज्य क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था में विकास होता है यह बड़े घरेलू साधनों को जुटाने और वित्तीय व्यवहार्यता की दिशा में प्रगति करने की स्थिति में हो जायगा । केन्द्रीय सहायता में कटौती से क्षेत्र की प्रगति में केवल बाधा ही न पड़ेगी अपितु इसकी वित्तीय व्यवहार्यता भी रुक जायेगा । सरकार समझती है कि ऐसा कदम मनीपुर के लोगों के हित में नहीं होगा ।

मनीपुर की क्रान्तिकारी सरकार से सम्बन्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी

4714. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मनीपुर की तथाकथित क्रांतिकारी सरकार" से सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और किन-किन आधारों पर ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ युवकों और विद्यार्थियों को भी संदेह में गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में एक सौ छब्बीस व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

(ग) और (घ). गिरफ्तार व्यक्तियों में 63 विद्यार्थी हैं ।

मनीपुर राज्य के परिवहन उपक्रम का कार्य-अध्ययन

4715. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1966 में किसी समय मनीपुर राज्य परिवहन उपक्रम के कार्य का अध्ययन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य-अध्ययन रिपोर्ट पर मनीपुर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श किया गया था और यदि हां, तो किन मुख्य बातों की सिफारिश की गई थी ;

(ग) उक्त कार्य-अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों के किन अंशों पर कार्य किया गया; और

(घ) उक्त परिवहन के सुधार के लिये मनीपुर की सरकार ने क्या उपाय किये ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना मनीपुर सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा राजा राम मोहन राय के भाषणों तथा रचनाओं से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन

4716. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के माध्यम से नेताजी

सुभाषचन्द्र बोस तथा राजा राम मोहन राय के भाषणों तथा रचनाओं से सम्बन्धित पुस्तकें राष्ट्रीय तथा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का विचार, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और राजा राममोहन राय की जीवनियों को राष्ट्रीय जीवनी क्रम में सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का है। इन जीवनियों में, उनके प्रमुख भाषाणों के अंश भी शामिल होंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Pending Cases Regarding Demotion of Employees of Higher Secondary Schools in Delhi

4717. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some cases in regard to demotion of the employees of Higher Secondary Schools in the capital have been pending in the Directorate of Education for the last 10 years, in spite of appeals being filed in this regard ;

(b) if so, the total number of such cases ;

(c) the number out of these cases pertaining to Physical Training Instructors ; and

(d) the reasons for the delay in the disposal of all the aforesaid cases ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). The requisite information is being collected from Delhi Administration and will be laid on the table of the Sabha as early as possible.

रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषण

4718. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामपुर के स्वर्गीय नवाब के राजवंशीय अथवा कुलागत आभूषणों को, जो स्टेट बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली के बाल्ट में रखे थे, उनकी मृत्यु के बाद बदला गया, बेचा गया या उन्हें तोड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों या स्टेट बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) ऐसी कार्रवाई के लिए कोई अवसर नहीं आया है।

रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषणों को धन कर से छूट

4719. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) (14) के अन्तर्गत रामपुर के स्वर्गीय नवाब की तथाकथित राजवंशीय अथवा कुलागत आभूषणों पर छूट गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श से इस आधार पर दी गई थी कि उस मंत्रालय ने राजवंशीय अथवा कुलागत आभूषणों की सूची को धन कर अधिनियम, 1957 लागू होने से पूर्व मान्यता दे दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस मंत्रालय ने इस राजवंशीय अथवा कुलागत आभूषणों को मान्यता देने के लिये कभी कोई पत्र अथवा आदेश जारी किया गया था ;

(ग) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने रामपुर के वर्तमान नवाब को यह परामर्श दिया था कि वह रामपुर स्वर्गीय नवाब की तथाकथित राजवंशीय अथवा कुलागत आभूषणों की मान्यता के लिये वित्त मंत्रालय को लिखें ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्तमान रामपुर के नवाब से एक याचिका प्राप्त होने पर प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड आवश्यक जांच के पश्चात संतुष्ट था कि आभूषणों की सात वस्तुओं को धनकर अधिनियम के आरम्भ होने के पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा राजवंशीय आभूषणों के रूप में मान्यता दे दी गयी थी ।

(ख) जब कि स्वर्गीय नवाब को कोई पत्र नहीं भेजा गया था किन्तु वर्तमान नवाब को एक पत्र भेजा गया जब उन्होंने 1966 में पुष्टी के लिये कहा गया था ।

(ग) और (घ). रामपुर के वर्तमान नवाब को धन कर अधिनियम के उपबन्धों के उपबन्धों के अधीन आवेदन करने की सलाह दी गई यदि वे उस अधिनियम के अन्तर्गत इन आभूषणों पर कोई छूट करवाने का इरादा करते हैं ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के एक अधिकारी की सेवायें समाप्त करना

4720. **श्री मधु लिमये** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डिया एयर लाइन्स कारपोरेशन के एक अधिकारी श्री ओ० पी० कपूर, जिनकी पहले नाइजीरिया में प्रतिनियुक्त की गई थी, को पदोन्नति करने का निर्णय करते समय इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन प्रशासन के सामने उनकी गतिविधियों से सम्बन्धित रिकार्ड थे;

(ख) इस पदोन्नति के लिये उत्तरादायी अधिकारी/अधिकारियों के नाम क्या थे ;

(ग) क्या ऐसे अधिकारी/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, जिन्होंने नाइजीरिया आयोग द्वारा श्री ओ० पी० कपूर के विरुद्ध दी गई प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद भी उन्हें पदोन्नत किया था ;

(घ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या श्री ओ० पी० कपूर की सेवाओं को समाप्त करने वाले पत्र में उनकी सेवाओं को समाप्त करने का कोई कारण बताया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) और (ख). मार्च, 1967 में जब श्री ओ० पी० कपूर को पदोन्नति देने का निर्णय किया गया था उस समय इन्डियन एयरलाइन्स के पास उनके विरुद्ध कोई सूचना नहीं थी । पदोन्नति के लिये श्री कपूर का चयन कारपोरेशन के 'रिक्रूटमेंट बोर्ड' द्वारा किया गया था और उसके चेयरमैन ने उनकी नियुक्ति का अनुमोदन किया था ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) श्री कपूर की सेवायें कारपोरेशन के सेवा नियमों के नियम 13 के अन्तर्गत, जिसके अनुसार किसी कर्मचारी की सेवायें दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष की ओर से बिना कोई कारण बताये 30 दिन की सूचना अथवा उसके बदले मूल वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं, समाप्त की गयीं ।

भारत की यात्रा पर आने वाले पश्चिमी जर्मनी के पर्यटक

4721. **श्री क० लकप्पा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष पश्चिमी जर्मनी के कितने पर्यटकों ने भारत की यात्रा की ;

(ख) उनमें से कितने मामलों में सरकार को पर्यटकों को उनके विध्वंसक कार्यकलापों के कारण देश से बाहर निकालना पड़ा ; और

(ग) ऐसे पर्यटकों पर रोक लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क)

वर्ष	संख्या
1966	7,677
1967	8,101
1968	9,862

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Charges against Bhagwan Das Trust, New Delhi

4722. **Shri Kedar Paswan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1992 on the 28th November, 1969 and state :

(a) whether he has also received letter dated the 13th July, 1967 from one Shri D. R. Nim, 145-B, Amar Colony, New Delhi-24 in which he had made a mention of the corrupt practices prevailing in Dr. Bhagwan Das Memorial Trust. All India Eye-Relief Society and Model Eye Hospital, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi ;

(b) whether the said complaint was referred to the Police Superintendent, Crime and Railway's. Tis Hazari, Delhi for investigation ;

(c) whether it is a fact that he has donated Rs. 2,500 to the said Dr. Bhagwan Das Memorial Celebration Committee ; and

(d) if so, whether copies of the said letter and the enquiry report in the matter will be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The complaint contained charges of misappropriation and irregularities allegedly committed by the Director, All India Blind Relief Society and Chairman Bhagwan Das Memorial Trust. The letter was referred to the Delhi Police for inquiry. On investigation it was found that no cognizable offence was committed.

Delhi Police have no information regarding such donation made to the said Dr. Bhagwan Das Memorial Celebration Committee.

नई दिल्ली में हुई पंचांग सम्बन्धी विचार गोष्ठी

4724. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 तथा 20 नवम्बर, 1968 को विज्ञान भवन में हुई पंचांग सम्बन्धी विचार-गोष्ठी के कार्यवाही वृतांत तथा वहां पर पारित किये गये संकल्पों की प्रतियां सरकार को प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) क्या पारित किये गये सभी सातों संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही कर ली गई है ;

(ग) प्रत्येक संकल्प की क्रियान्वित में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(घ) यदि सभी संकल्पों को क्रियान्वित करने का विचार नहीं है, तो किन संकल्पों को क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ङ) अन्य संकल्पों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ). इस बात की जांच की जा रही है कि सेमीनार में पारित किये गये संकल्पों को किस प्रकार और किस अंश तक कार्यान्वित किया जा सकता है ।

Committee to look into Complaints of National Botanical Gardens, Lucknow

4725. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a Committee had been appointed in 1968-69 under the Chairmanship of Father S. Santapu to look into the complaints against the National Botanic Gardens, (Lucknow) ;

(b) if so, whether the said Committee has presented its report to Government ; and

(c) if so, the observations made by the said Committee in regard to the alleged charges and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir. The Committee had the following terms of reference :

(i) to review the work of the Gardens from the time of the last Reviewing Committee or from its inception ;

(ii) to study and make recommendations on what should be the scope of work of the National Botanic Gardens ; and

(iii) to look into difficulties, if any, faced by the staff of the National Botanic Gardens.

(b) and (c). The Committee has since submitted its report which is under consideration of the authorities of the Council of Scientific and Industrial Research.

नीदरलैंड से एफ-28 फैलोशिप ट्विनजैट एयरलाइनर के खरीदने का प्रस्ताव

4726. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड से एफ-28 फैलोशिप ट्विनजैट एयरलाइनर खरीदने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश के लिये कर्मचारियों का नियतन

4727. **श्री अदिचन :**

श्री निहाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सचिवालय के 7 प्रतिशत लिपिक, उनके मंत्रिमण्डल

द्वारा अक्तूबर, 1966 में नियुक्त शंकर समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासन के लिए नियत कर दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने लिपिक हिमाचल प्रदेश सरकार को आवंटित किए गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जो लिपिक हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे गये उन्हें कनिष्ठ लिपिक माना गया जबकि उनकी नियुक्ति पंजाब सरकार के 1955 के विनिश्चय के अनुसार लिपिक के रूप में की गई थी ; और

(घ) यदि (ग) भाग का उत्तर हां में है तो उस समानीकरण का क्या कारण है जबकि उनका पंजाब सरकार के अधीन वेतन-मान 100-240 रु० था और उनको हिमाचल सरकार ने 110-180 रु० का वेतनमान दिया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कुल मिलाकर 65 क्लर्कों का आवंटन हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय को किया गया था ।

(ग) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 82 के खण्ड (4) के उपबन्धों के अधीन भारत सरकार द्वारा गठित एक सलाहकार समिति की सिफारिश पर संयुक्त पंजाब राज्य के भेजे गये लिपिकों को हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय के कनिष्ठ लिपिकों के बराबर रखा गया है ।

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रमाणित किया है कि पंजाब सरकार के अधीन लिपिकों का वेतनमान 1-11-1966 को 60-175 रु० था न कि 100-240 रु० । हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कनिष्ठ लिपिकों का वेतनमान 110-180 रु० है । पंजाब से भेजे गये लिपिकों का हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कनिष्ठ लिपिकों के साथ समानीकरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अभिलक्षण के अनुसार है ।

Bombs Recovered in Ahmedabad

4728. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some incidents of bomb explosion occurred during and after the communal riots in Ahmedabad and some live bombs were also recovered ;

(b) whether it is also a fact that the recovered live bombs bore the marking of some foreign ordnance factory ;

(c) if so, the steps taken by Government to check such activities in future ; and

(d) the name of the country the marking of whose ordnance factory was there on the said bombs ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (d). Facts are being ascertained from the State Government.

(c) In the cases registered in respect of the incidents 52 persons were reported by the State Government to have been arrested. The cases are under investigation.

जनवरी से नवम्बर 1969 तक इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों में विलम्ब होना और उनका रद्द किया जाना

4729. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से नवम्बर, 1969 तक इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की कितनी उड़ानों में विलम्ब हुई और कितनी उड़ानें रद्द की गई ; और

(ख) बार-बार उड़ानों में विलम्ब होने एवं उनको रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ;

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जनवरी से नवम्बर, 1969 तक की अवधि के दौरान उड़ानों (टेक-आफ) की कुल संख्या 82,094 थी, जिनमें से निम्नलिखित कारणों से 11,765 उड़ानें विलम्ब (30 मिनट से अधिक) से की गयी, और 1,733 उड़ानें रद्द की गयी :-

	विलम्बित	रद्द की गयी
1. इंजीनियरिंग	1,408	75
2. यातायात एवं खान-पान व्यवस्था (केटरिंग)	411	22
3. परिचालन	221	26
4. परिवहन	69	—
5. मौसम	1,065	535
6. परिणामी	8,294	597
7. विविध	231	427
8. विमान यातायात नियंत्रण	66	51
	11,765	1,733

न्यूजीलैंड की कोरसो संस्था द्वारा भेजे गये राहत के सामान के वितरण में देरी

4730. **श्री समर गुह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूजीलैंड की कोरसो संस्था द्वारा "कन्टाई फ्लड रिलीफ कमेटी" के अध्यक्ष को भेजा गया राहत सम्बन्धी सामान 1969 के जनवरी मास में कलकत्ता पत्तन प्राधिकार को मिल गया था ;

(ख) क्या 1969 के अक्तूबर मास में राहत सम्बन्धी सामान पश्चिमी बंगाल सरकार को दे दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो "कन्टाई फ्लड रिलीफ कमेटी" के अध्यक्ष को उस सामान को सुपुर्द करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को उस राहत सामान को देने में इस प्रकार की देरी क्यों की गई ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). न्यूजीलैंड की "कोरसो" संस्था द्वारा कन्टाई फ्लड रिलीफ कमेटी के अध्यक्ष को भेजा गया राहत सम्बन्धी सामान 15 मार्च, 1969 को कलकत्ता पत्तन पर पहुंचा। सामान लेने के कागजात निकासी एजेन्टों ने 27 सितम्बर 1969 को पत्तन अधिकारियों को दिये और सामान पार्टी को उसी दिन दे दिया।

(ग) सामान पर किराया प्रभार की छूट के लिये निकासी एजेन्टों से पत्तन आयुक्तों को 22 जुलाई, 1969 को एक आवेदन में सामान की समय पर निकासी न करने के कारण शिपिंग कागजों का देर से मिलना बताया। सामान का बिना किराये की सुपुर्दगी के आदेश पत्तन अधिकारियों ने 17 सितम्बर, 1969 को जारी किये।

कलकत्ता में ध्वनि तथा प्रकाश केन्द्र (सोन-एत-लुमेयर)

4731. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सभा में दिये गये वचन के अनुसार कलकत्ता तथा देश के अन्य भागों में 'प्रकाश तथा ध्वनि' केन्द्र खोलने के लिये कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, में 'ध्वनि-और-प्रकाश' प्रदर्शन प्रायोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, और शालीमार गार्डन, श्रीनगर, में भी एक ऐसी प्रायोजना का अनुमोदन कर दिया गया है। सरकार मीनाक्षी मन्दिर, मदुराई, में भी 'ध्वनि-और-प्रकाश' प्रदर्शन के आयोजन के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। धन की कमी के कारण फिलहाल कलकत्ता में इस प्रकार के प्रदर्शन के आयोजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्कूलों और कालिजों में योग का प्रचार

4732. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था द्वारा हाल में किये गये अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि योग एक विज्ञान है

तथा उसमें कुछ शारीरिक तथा मानसिक रोगों का प्रभावपूर्ण ढंग से उपचार करने की कार्यक्षमता है ;

(ख) सरकार ने गत पांच वर्षों में पश्चिमी पद्धति पर आधारित शारीरिक प्रशिक्षण की तुलना में योगपद्धति के अनुसंधान तथा प्रचार पर वर्षवार कितना व्यय किया है ; और

(ग) क्या सरकार का भारतीय संस्कृति के इस मुख्य अंग को जनप्रिय बनाने के विचार से देश में योग संस्थान स्थापित करने तथा स्कूलों तथा कालेजों में योग प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को व्यायाम प्रशिक्षकों के रूप में नियुक्त करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सहायता से अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित किए गए अनुसंधान कार्य से पता चला है कि योग के अभ्यास से कुछ शारीरिक कार्यों को प्रभावित करना संभव है । योग के अभ्यास से विभिन्न बीमारियों को कहां तक दूर किया जा सकता है, इस संबंध में इस संस्थान में कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है ।

(ख) 'शारीरिक शिक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा किया गया खर्च 10.12 करोड़ रुपये है । इस राशि में, योग सहित शारीरिक शिक्षा में भारतीय और पश्चिमी दोनों पद्धतियों का प्रशिक्षण शामिल है । शारीरिक शिक्षा की विभिन्न शाखाओं पर हुए खर्च के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार ने उन कुछ अखिल भारतीय संस्थाओं को 8.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है जो योग के प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रचार में लगी हुई हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । किन्तु, शारीरिक शिक्षा की प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए तैयार किए गए संशोधित पाठ्यविवरण में योग शिक्षण भी शामिल है ।

दिल्ली के शिक्षकों के वेतनमान

4733. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर, परिषद् के शिक्षक सदस्यों ने हाल ही में सरकार को एक ज्ञापन दिया था जिसमें दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण की, जिसकी दिल्ली प्रशासन ने सिफारिश की थी, मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनके वेतनमान समीपवर्ती राज्यों के शिक्षकों के वेतनमानों से कम है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख वर्गों, अर्थात् प्राथमिक अध्यापकों, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों और उत्तर स्नातक

अध्यापकों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है ।

(ग) अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करने के बारे में दिल्ली प्रशासन की सिफारिश पर, पहले ही जबकि 21-12-1967 से वेतनमान संशोधित किये गये थे, विचार कर लिया गया था । फिलहाल और संशोधन करने का कोई विचार नहीं है ।

विवरण

शिक्षकों की श्रेणी	दिल्ली	पंजाब	हरियाणा	उत्तर प्रदेश
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
1. प्राथमिक शिक्षक	118-270 (मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए)	125-300	125-250	80-180 गैर-सरकारी सहायता प्राप्त जे० टी० सी०
	126-270 (हायर सेकेन्ड्री उत्तीर्ण के लिये)			100-180 जे० टी० सी०
				80-125 एच० टी० सी० सरकारी स्कूल
				70-85 स्थानीय निकाय
2. प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	175-350	220-500	220-400	150-350 सरकारी स्कूल
	190-425			138-350 गैर-सरकारी स्कूल
3. स्नातकोत्तर शिक्षक	275-550	250-550 (तृतीय श्रेणी के एम० ए०)	250-550 (तृतीय श्रेणी के एम० ए०)	250-550 सरकारी स्कूल
		300-600 (प्रथम और द्वितीय श्रेणी के एम० ए०)	300-600 (प्रथम और द्वितीय श्रेणी के एम० ए०)	215-550 गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल

तकनीकी शिक्षा प्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिये उच्च स्तरीय समिति

4734. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान तकनीकी शिक्षा प्रणाली का पूर्ण रूप से पुनर्विलोकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के निदेशक पद क्या होंगे और उसके सदस्य कौन-कौन होंगे ; और

(ग) सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां। तकनीशियों की उद्योग ने आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए समिति पालीटेकनीक शिक्षा के समूचे प्रश्न की जांच करेगी और इसके पुनर्गठन और अगले दस वर्षों में इसके अधिक विकास के लिए रूप रेखा तैयार करेगी। समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत रूस, जर्मनी तथा जापान से समिति को सलाह देने तथा मदद करने के लिए विशेषज्ञ बुलाये जाएं।

(ग) आशा है कि अपने कार्य को पूरा करने के लिए समिति लगभग छः महीने लेगी और 1970 के अन्त तक रिपोर्ट प्राप्त हो सकेगी।

साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार

4735. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 21 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 953 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गृह-सचिव ने 22 अप्रैल, 1969 को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को लिखे गये पत्र के साथ-साथ अन्य राज्य सरकारों को भी पत्र लिखे थे ;

(ख) यदि हां, तो उन अन्य राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को भेजे गये पत्रों और उनसे प्राप्त उत्तरों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासनिक सुधार आयोग पर व्यय

4736. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री अदिचन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 1 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1854 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारियों के वेतनों, सदस्यों को यात्रा भत्तों के भुगतान आदि सहित प्रशासनिक सुधार आयोग पर अब तक कुल तथा इन शीर्षकों के अन्तर्गत अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(ख) आयोग ने कितने प्रतिवेदन दिये हैं और उनमें कुल कितनी सिफारिशें की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) (i) सदस्य

श्री वी० शंकर को मानदेय	11,961 रुपये
*दैनिक और यात्रा भत्ते	1,81,105 रुपये
(ii) कर्मचारी वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग का वेतन और भत्ते (दैनिक और यात्रा भत्तों के अतिरिक्त)	37,33,483 रुपये
कर्मचारी वर्ग, अध्ययन दलों के सदस्यों आदि के दैनिक तथा यात्रा भत्ते	9,35,557 रुपये
(iii) अन्य परिव्यय	14,51,463 रुपये
31-10-69 तक कुल व्यय	63,13,575 रुपये

*श्री शंकर को छोड़कर अन्य सदस्यों को उन दिनों के लिये दैनिक भत्ते दिये जाते हैं जिनमें वे अपने मूल निवास स्थानों के बाहर आयोग के कार्य में लगे होते हैं।

(ख) आयोग ने अब तक 414 सिफारिशों की 14 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

अप्रैल, 1969 में बंगाल बन्द के कारण हानि

4737. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 904 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 अप्रैल, 1969 को बंगाल बन्द के कारण केन्द्रीय सरकार को हुई वित्तीय हानि का अब तक हिसाब लगा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि का मुख्य ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). विभिन्न केन्द्रीय विभागों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार को बंगाल बंद के दौरान सम्पत्ति को हुई क्षति के कारण कोई हानि नहीं उठानी पड़ी। कृषि विभाग, सहकारिता विभाग तथा आंतरिक व्यापार विभाग से सूचना अभी आनी है।

राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों का समाप्त किया जाना

4738. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री जय सिंह : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री देवेन सेन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 905 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व रियासतों के शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या अन्तर सत्रावधि में भूतपूर्व शासकों से इस बारे में कोई भेंट की गई थी ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस समस्या को हल करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). भारतीय राज्यों के भूतपूर्व शासकों के राज्याधिदेय और विशेषाधिकार समाप्त करने के विषय पर पहले ही कुछ प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। फिर भी शासकों के साथ बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि संभव हुआ तो यह प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक समाप्त हो जायगी और इसके बाद शीघ्र विनिश्चयों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

महाराष्ट्र-मैसूर राज्यों में सीमा-विवाद के कारण मरने वाले व्यक्ति

4739. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 918 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा मैसूर, राज्यों में सीमा-विवाद के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्र कर ली गई है और संसदीय-कार्य विभाग को सदन के सभा-पटल पर रखे जाने के लिए भेज दी गई है। इस विवाद पर जनता के आन्दोलन के कारण दोनों राज्यों में मृतक व्यक्तियों की संख्या 64 है।

दक्षिण भारत में संसद् का सत्र

4740. **श्री जय सिंह :**

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **संसद् कार्य** मंत्री 25 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दक्षिण भारत में संसद् का एक सत्र आयोजित करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस बारे में कोई निर्णय कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). सरकार ने दक्षिण में संसद् का अधिवेशन करने के विषय में संसद् सदस्यों की समिति के निर्णय को "वर्तमान परिस्थितियों और हालत में त्रिवेन्द्रम अथवा बंगलौर में थोड़ा सा समायोजन का प्रतिवर्ष संसद् का एक अधिवेशन करना व्यवहार्य नहीं है", स्वीकार कर लिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हैदराबाद के लिये मन्जूर किये गये कोल गैस संयंत्र का तैयार न होना

4741. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद के लिये वर्ष 1962 में मंजूर किया गया कोल गैस संयंत्र, जिस पर काफी व्यय हो चुका है, अभी तक अपूर्ण पड़ा है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पूरा होने पर इस संयंत्र से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में काफी सहायता मिलेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 21 लाख रुपये से हैदराबाद में निर्माण किराए जाने के लिये एक कोल गैस संयंत्र के लिये 1962 में मूलरूप से मंजूरी दी गई थी। संयंत्र की मौजूदा अनुमानित पूंजीगत लागत 107 लाख रुपए हैं जिसमें से 35.12 लाख रुपए पहले ही खर्च किये जा चुके हैं और 37.88 लाख फ्रांस-ऋण के अन्तर्गत वचनवद्ध हैं। इस संयत्र का अभी निर्माण नहीं किया गया है ।

(ख) यदि इस संयंत्र का निर्माण हो गया और यह काम करने लगा, तो इससे इस क्षेत्र में सिंगेरनी के तथा अन्य कोयले से गैस तैयार करने के लिये परिचालन सम्बन्धी आधार-सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। विदेशी मुद्रा बचाने का प्रश्न केवल तभी पैदा हो सकता है जबकि व्यावसायिक संयंत्रों का स्थापना किया जाएगा ।

केरल में मार्क्सवादियों द्वारा हिंसात्मक उपद्रव

4742. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्क्सवादी केरल में हिंसात्मक उपद्रव करने के उद्देश्य से शस्त्रास्त्र एकत्रित कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे विद्यार्थियों को उकसा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

मद्रास पत्तन पर तेल उतारने का घाट

4743. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मद्रास पत्तन पर तेल उतारने के घाट के निर्माण कार्य में विलम्ब होने के कारण मद्रास तेल शोधन शाला की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस घाट के निर्माण कार्य की पूर्णता की तिथि दो बार बदली जा चुकी है और अब यह काम अप्रैल, / मई, 1970 तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) का उत्तर हां, है, तो क्या सरकार ऐसा आश्वासन दे सकती है कि तेल उतारने के घाट का निर्माण कार्य वास्तव में अप्रैल/मई, 1970 तक पूरा हो जाएगा ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कार्य के कुछ मद जो अभी करने शेष हैं के पूरे हो जाने पर तेल घाट के अप्रैल/मई, 1970 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है।

विदेशों में किये जा रहे पर्यटन सम्बन्धी प्रचार में दक्षिण भारत में स्थित पर्यटन केन्द्रों का उल्लेख करना

4744. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 नवम्बर, 1969 के 'हिन्दू' में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि ईरान एयरलाइन्स के भारत स्थित जनरल मैनेजर

श्री एस० वजीरी ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि सरकार द्वारा विदेशों में किये जा रहे पर्यटन सम्बन्धी प्रचार में दक्षिण भारत स्थित पर्यटन केन्द्रों का उचित रूप से प्रचार नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार, इस बात के लिये कि सरकार द्वारा विदेशों में किये जा रहे पर्यटन संबंधी प्रचार में दक्षिण भारत स्थित पर्यटन केन्द्रों का उचित रूप से उल्लेख किया जाये ताकि देश के लिये अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पर्यटन विभाग के प्रचार साहित्य में तथा पर्यटन की अभिवृद्धि के लिये विदेशों में किये जा रहे प्रयत्नों में दक्षिण भारत के स्थानों सहित पर्यटन रुचि के सभी स्थान शामिल किये जाते हैं पर्यटन साहित्य के प्रकार तथा सीमा क्षेत्र में सुधार करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

P. M's Visit to Manali

4745. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1820 on the 28th November, 1969 and state :

(a) whether the Prime Minister paid a visit to Manali on Government business or to recoup health ;

(b) the names of the Public Relations Officers of her Ministry and other officers from Delhi who accompanied her ;

(c) the total time for which the Prime Minister stayed there ; and

(d) the expenditure incurred by Government of India on the said tour in respect of travelling allowance, transport expenses and daily allowance of the Prime Minister herself and the staff who accompanied her or went there afterwards in connection with the said tour ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Prime Minister's visit to Manali was part of the normal process of her tours to different parts of the country in the course of which she meets Governmental leaders and other people. Although the visit to Manali provided an occasion for some much-needed rest to the Prime Minister, she continued to perform her official duties there.

(b) No Public Relations Officer belonging either to her Secretariat or any other Ministry of the Government of India accompanied the Prime Minister. A statement showing the names of officials who accompanied the Prime Minister from Delhi is enclosed.

(c) The Prime Minister reached Manali on the 28th May, 1969 and left on the morning of Ist June, 1969.

(d) The Prime Minister did not draw any TA/DA, since her journey was undertaken, as usual, in an Air Force Plane. The question of any fare or payment did not arise either in her case or in the case of the officers who travelled in the plane.

The total TA/DA drawn by officials of the Prime Minister's Secretariat, who accompanied her, comes to Rs. 29.40 P. The daily allowance and incidental charges drawn by an officer of the Ministry of Home Affairs, who accompanied the Prime Minister, amount to Rs. 48.30 P. No travelling allowance was claimed by this officer as he travelled in the Air Force plane with the Prime Minister.

Statement

1. Shri T. V. Rajeshwar, Minister of Home Affairs.
2. Dr. K. P. Mathur, Physician.
3. Shri M. C. Gupta, Additional Private Secretary.
4. Shri B. L. Joshi, Security Officer.
5. Shri Kali Prasad, Attendant.
6. Shri Vinod Bihari Barua, Attendant.

Apart from the Chief Minister, Himachal, Dr. Y. S. Parmar, the following officers of the Himachal Pradesh Administration also travelled with the Prime Minister from Delhi :—

1. Shri Surendra Singh (Cameraman, Himachal Pradesh).
2. Shri Bhatnagar (P. A. to Chief Minister, Himachal Pradesh).

समाज तथा राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों का नजरबन्द किया जाना

4746. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के अन्त में निवारक निरोध अधिनियम के समाप्त हो जाने पर, इस अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य रूप से नजर बन्द किए गए समाज तथा राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों के साथ निपटने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : निवारक निरोध अधिनियम के समाप्त होने पर होने वाली समस्याओं का पुनरीक्षण करने के और आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दे दी है। निवारक निरोध अधिनियम जैसे विशेष कानून के अभाव में, जब कभी आवश्यक होगा, भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक तथा निर्वाचन कानून संशोधन अधिनियम, 1969, गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1961, राजकीय भेद अधिनियम इत्यादि जैसे साधारण कानूनों के अधीन कार्यवाही आरम्भ करनी पड़ेगी ।

धनबाद के पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट पर जाति वाद बरतने का आरोप

4748. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय का ध्यान 6 नवम्बर, 1969 के "इण्डियन नेशन" में जारी किये गये भारतीय क्रांति दल के बिहार के विधान मण्डल दल के सचिव के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि धनबाद के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जाति का विचार रखते हुये कार्य करते हैं ; और

(ख) क्या उनका मन्त्रालय धनबाद पुलिस की 'इन्टक' के साथ कथित सांठ-गांठ के बारे में, विशेष रूप से मधुबन और थन्नीडीह कोयला खान के बारे में, उक्त वक्तव्य में लगाये गये आरोपों की जांच करेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकार के ध्यान में प्रेस रिपोर्ट लाई गई है ।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

हिप्पी लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध

4749. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकी समाचार-पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हिप्पी लड़कियां अनैतिक प्रयोजनों के लिये भारत जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो देश में उनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) इस समय देश में ऐसी कितनी लड़कियां हैं, तथा उन्हें देश में प्रवेश के लिये अनुमति देने की क्या प्रक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई समाचार सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के भारत में आने इत्यादि के बारे में कोई अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । वे अधिकतर विदेशों में स्थिति भारतीय मिशनों से प्राप्त पर्यटक वीसों पर भारत में आते हैं ।

पश्चिम एशिया के पत्तनों को इस्पात का निर्यात

4750. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन निगम द्वारा इस्पात के निर्यातकों को पर्याप्त स्थान न दिये जाने के कारण पश्चिमी एशिया के पत्तनों को इस्पात के निर्यात पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात सम्बन्धी इस संकट को दूर करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख). केवल शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कम्पनी पोतपरिवहन कम्पनी नहीं है जो भारत से पश्चिम एशियाई पत्तनों को इस्पात सहित विभिन्न प्रकार के माल भेजने में लगी है। इस क्षेत्र में और भी दूसरी जहाजी कम्पनियां चल रही हैं।

इस्पात भेजने वाले व्यापारियों को बम्बई से जहाजों में स्थान प्राप्त करने में किसी प्रकार की बड़ी कठिनाई का अनुभव नहीं हो रहा है। वास्तव में जहाजी पड़ाव की कमी के कारण जहाजों को पर्याप्त मात्रा में लदान नहीं मिल रहा है। जहां तक कलकत्ता से पश्चिम एशियाई पत्तनों को जहाज द्वारा इस्पात भेजने का प्रश्न है। शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया प्रति माह 4,000 टन भार वाले एक जहाज की जगह देता रहा है। जिसकी क्षमता प्रति वार में औसतन 2,000 टन भार इस्पात उठाने की है। शेष जगह दूसरे सामान्य माल के लिये उपयोग में लाई जा रही है।

इस्पात निर्यात करने में सहायता देने के लिये कारपोरेशन ने 8000 टन भार वाले एक जहाज को भी दूसरे मार्ग पर ले गये हैं और एक महीने में 2000 टन इस्पात ले जाने और निर्यात करने की क्षमता रखता है और उसके पश्चात कलकत्ता से 5500/6000 टन भार लोहा प्रत्येक दूसरे महीने ले जाने की है।

विभिन्न भारतीय कम्पनियां सक्रिय सम्मेलनों, एक कलकत्ता और पूर्वीकिनारे से और दूसरा बम्बई और पश्चिमी किनारे से, का आयोजन करने वाली है। आशा की जाती है कि इन सम्मेलनों के सक्रियरूप से चलने से इस्पात ले जाने की समस्या शीघ्रता से और सन्तोषजनक तौर पर हल हो जायेगी।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हिन्द महासागर में विदेशी नौसेनाओं के कथित भारी जमाव से उत्पन्न चिन्ता जनक स्थिति

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : Mr. Speaker, Sir, with your permission I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent Public importance and request him to make a statement thereon :

"The alarming situation arising out of the reported heavy concentration of foreign naval forces in Indian Ocean".

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : हिन्द महासागर क्षेत्र में विदेशी नौसेनाओं के जहाजों की विद्यमानता में वृद्धि होने से सरकार को चिन्ता है। सरकार अनेक बार इस सभा में यह मत व्यक्ति कर चुकी है कि हम इस क्षेत्र को तनाव तथा परमाणु शस्त्रों से मुक्त रखना चाहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार सभी राष्ट्रों को खुले समुद्र का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता है।

Shri Yashwant Singh Kushwah : May I know the names of the countries which are trying to set up naval basis and refueling stations in the Indian Ocean as also the names of the Islands proposed to be purchased or occupied by Britain, U. S. A. or any other country? May I also know the steps taken to strengthen the Indian Navy with a view to fill the vacuum?

Shri L. N. Mishra : We do not feel that there is or likely to be a vacuum. Mostly the ships belonging to Soviet Union and U. S. A. have been seen in the Indian Ocean during the last one and a half years. There is no question of sale of any Island or part thereof or of granting of any facilities to any foreign power in the matter.

Shri Yashwant Singh Kushwah : What has been the reaction of various countries to India's proposal to make it a nuclear-free zone? Has this issue been raised in the U. N. O.?

Shri L. N. Mishra : Such a resolution has already been passed at the U. N. Our Prime Minister and the Prime Minister of Mauritius have stated in their joint communique that we do not want any nuclear tension or any other tension to develop in the Indian Ocean which may endanger the peace in the region.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : सरकार ने यह पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है कि क्या अन्य शान्तिप्रिय देश हिन्द महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिये एक संधि करना चाहते हैं? यदि सरकार का ऐसा विचार नहीं है, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि हिन्द महासागर अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्रों का अखाड़ा और अतिक्रमण का क्षेत्र न बन जाए?

श्री ल० ना० मिश्र : हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि परमाणु तनाव बढ़ने न पाये। अन्य देशों के नाम तो मैं नहीं बता सकता परन्तु हम विभिन्न देशों के साथ इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे जनमत तैयार करें ताकि ये बड़ी शक्तियां हमारी भावनाओं को समझ सकें।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने बताया है कि हिन्द महासागर में परमाणु तनाव नहीं बढ़ा है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु तनाव विद्यमान है।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं यह नहीं कहता कि तनाव है अथवा नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि यह क्षेत्र परमाणु तनाव से मुक्त रहना चाहिये। समान विचारों वाले देशों से राजनयिक स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर हम बातचीत कर रहे हैं। हम इस बारे में जनमत तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : May I know whether Government, in consultation with other Asian countries tell these big powers to put a stop to their activities in the Indian Ocean, which will otherwise be treated as unfriendly act? May I also know whether you are going to arrive at a defence understanding with these countries for joint patrolling of the area? I further want to know whether Government are aware that Soviet Union has set up a naval base at Wadoor, an island in Pakistan near Karachi and that Russia is also giving help to the Pakistan navy; if so, what action is being taken by Government in this matter?

Shri L. N. Mishra : Let me repeat what I have stated earlier that we do not want to increase tension in the Indian Ocean by entering into military pacts with any country and we want to keep it as a nuclear free zone. According to international practice, all countries have

freedom to use the high seas. We have taken up the matter with our friendly neighbouring countries to pursuade the big powers not to do such acts which may increase tension in the area. There appears to be no substance in the reported setting up of a naval base near Karachi with the Soviet assistance.

As regards patrolling we will like to have our own patrolling arrangement instead of a joint patrolling arrangement. We have strengthened our Navy considerably but it requires millions of rupees and it can not be done overnight. It will take sometime for us to become powerful.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Has the attention of the Hon. Minister been drawn to the statement of the Soviet Defence Minister made on 14th March last at Karachi and building of a strong Pak Navy is a pre condition to maintenance of peace in the Indian Ocean ? There are reports about some facilities being given by Pakistan on its sea coasts to Russia reciprocating the supply of naval and other equipment to it by the Soviet Union. Is the Hon. Minister aware of certain facilities being given to the Soviet Union by Mauritius ? Is he aware that three Soviet warships made a friendly visit to Port Luis of Mauritius as reported in the 'Belgrade Journal' of 20th May in the article under the heading 'New Balance in the Indian Ocean' ? What do all these things indicate ? Did the Prime Minister discuss this matter with the President and the Foreign Minister of Indonesia during her visit to India in July last and did she discuss the matter with Mauritius Premier on these lines ?

Shri L. N. Mishra : As regards the Prime Minister, the Hon. Member must have seen the statement laid on the Table by her. The Prime Minister of India and Mauritius have stated in their joint communique that the big powers should not enter the Indian Ocean and increase tension thereby.

I am not in possession of details in respect of the facilities granted by Mauritius to the Soviet Union but Mauritius has granted some facilities to other powers also such as Great Britain at the nearby islands and it is a matter of concern.

Shri Raghuvir Singh Shastri : He has not told anything about the statement of the Soviet Minister on 14th March and supply of Soviet naval equipment to Pakistan.

Shri L. N. Mishra : We have said earlier also in this House that we do not approve of the supply of Soviet arms and equipment to Pakistan. We have objected to it and said that it would endanger peace in the area which would not be in the interest of world peace.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अलाभकारी ब्रांच लाइनों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : मैं अलाभकारी ब्रांच लाइनों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०- 2425/69]**

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : मैं पोरबन्दर में गोलीकाण्ड के बारे में अपनी ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में इस समय कुछ नहीं कह सकता।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Speaker, Sir, the workers of Tata Factory at Jamshedpur are on strike for the last one month. The Advisor, who has gone there, is acting against the agreement reached with Shri Nanda and the Labour Minister Jagjivan Ram with your permission. I want to lay on the table the telegram received by me from the Action Committee.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह कार्य सूची में सम्मिलित नहीं है।

विमान निगम अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विमान निगम अधिनियम, 1953, की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) एयर इंडिया का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) इण्डियन एयरलाइन्स का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2426/69]

(2) विमान निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) एयर इण्डिया के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे तथा उनपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे तथा उनपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2427/69]

(3) रेलवे सुरक्षा आयोग के वर्ष 1967-68 के कार्य के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2428/69]

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : डा० कर्ण सिंह ने रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन बहुत विलम्ब से प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत किये जाने चाहिएं। 1967-68 वर्ष को मार्च, 1968 में समाप्त हो गया था। उन्होंने इस विलम्ब के लिये क्षमा याचना तक नहीं की है। वे स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने यह प्रतिवेदन इतने महीनों के बाद क्यों सभा पटल पर रखा है।

डा० कर्ण सिंह : यह इतना पुराना तो नहीं है। फिर भी मैं विलम्ब के लिये खेद प्रकट करता हूं।

नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के संचालन के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री के० रघुरामैया की ओर से नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के संचालन के सम्बन्ध

में वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2429/69]**

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) बारहवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2714 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दसवां संशोधन विनियम जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2715 में प्रकाशित हुये थे।

(3) जी० एस० आर० 2716, जो दिनांक 6 दिसम्बर 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिनमें दिनांक 23 दिसम्बर, 1968, की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2027 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(4) जी० एस० आर० 2717, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 23 दिसम्बर, 1968, की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2026 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(5) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) पंद्रहवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2718 में प्रकाशित हुये थे।

(6) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954, में 1969, का सत्रहवां संशोधन, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2719 में प्रकाशित हुआ था।

(7) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) सोलहवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2720 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2430/69]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही के सारांश

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई पचपनवी से सत्तावनवी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"कि 17 दिसम्बर, 1969 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसरण में संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 लोक-सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 1969 को पास किये गए रूप में, बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया गया है ।"

भारत की आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक

CONTINGENCY FUND OF INDIA (AMENDMENT) BILL

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I oppose the contingency Fund of India (Amendment) Bill, 1969. This has been brought to further amend the original Act of 1950, under article 267 (1) of the Constitution this Fund is placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purpose of meeting unforeseen expenditure. Now the amount is being sought to be raised from Rs. 15 crores to Rs. 20 crores on the plea that the annual budget has exceeded and the amount has to be met out of this Fund.

My contention is that we should not raise the amount. we can adopt other measures to meet this expenditure. We can apply measures to check evasion of taxes and reduce our expenditure on conspicuous consumption and if necessary, we can resort to deficit financing.

With these words I oppose this Bill at the Introduction Stage.

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य यह प्रश्न उठा रहे हैं कि यह राशि बढ़ायी जा सकती है या नहीं, उन्होंने कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं उठायी है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी तथा विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) ORDINANCE—Contd. AND FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री प्र० चं० सेठी द्वारा 18 दिसम्बर, 1969 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह सन्तोष की बात है कि कई वर्षों के बाद पहली बार विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी स्थिति सन्तोषजनक है । परन्तु हमारे निर्यात में कमी आ गई है और मूल्यों में वृद्धि, हमारे बढ़ते हुए आन्तरिक बाजार तथा विदेशों में मूल्यों में कमी के कारण हमारे निर्यात का भविष्य सन्देह जनक है । इस सम्बन्ध में हमारी निर्यात स्थिति इस्पात जैसे कच्चे माल की कमी के कारण जिसका हमारे निर्यातों के लिये प्राप्त क्रयादेशों पर प्रभाव पड़ेगा, और भी जटिल हो जाती है । इसके अलावा विदेशी मुद्रा विनियमों में खुद कई त्रुटियां हैं जिनकी प्राक्कलन समिति तथा प्रशासनिक सुधार आयोग ने आलोचना की है ।

एक वर्ष हुआ जब बम्बई में भी नानूमल पून्जाजी शाह 14 सह अपराधियों के साथ 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के घुटाले में गिरफ्तार किया गया था लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इसी प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लाखों तथा करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा का घुटाला पकड़ा गया है । इससे ऐसा जाहिर होता है कि हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी व्यवस्था तथा यंत्र सन्तोषजनक नहीं है और दूसरी बात हमारे कर्मचारी पर्याप्त रूप से सतर्क नहीं हैं । विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों में कई त्रुटियां हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रवर्तन शाखा इस मामले में जागरुक नहीं रही है ।

इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने टिप्पण में इन त्रुटियों को दूर करने के लिये सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त करने पर जोर दिया है किन्तु सरकार ने यह कह कर इसे स्वीकार नहीं किया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है। समिति ने दूसरी बात यह कही है कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना आवश्यक है जबकि इस समय उसमें ढील बरती जाती है।

प्राक्कलन समिति ने एक सिफारिश यह भी की थी कि विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के अपराधियों के बारे में प्रचार किया जाना चाहिये ताकि जनता को मालूम हो जाय कि वे कौन लोग हैं, सरकार ने उत्तर दिया था कि वह इस बारे में नियम बनायेगी किन्तु कई वर्ष बीत जाने पर भी आज तक वे नियम नहीं बने। इससे यही सिद्ध होता है कि सरकार इस मामले में उदासीन रही है जिससे विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन होता रहा है।

विदेशी मुद्रा की कमी का एक कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ऐसी बहुत सी वस्तु सूचियां बनाते हैं जो आवश्यक तथा अविलम्बनीय नहीं होतीं और जिन पर बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। पिछले बजट में केवल सेना की वस्तु सूचियों के लिये 700 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा रखी गई थी। सरकार ऐसी अनावश्यक वस्तु सूचियों पर रोक लगा सकती है। दूसरा कारण यह है कि हमारे मूल्य विश्व मूल्य की तुलना में दुगुने से ज्यादा हैं जिस कारण हम निर्यातों में होड़ नहीं कर सकते।

जहां तक मुद्रा स्फीति का सम्बन्ध है, हम इससे छुटकारा नहीं पा सके हैं और अब हम उससे अभ्यस्त हो गये हैं। मुद्रा स्फीति ही तस्करी का मूल कारण है और हमारा देश तस्कर-व्यापारियों के लिये सर्वोत्तम स्थान है जहां उन्होंने तस्करी में इतना अधिक विनियोजन किया है कि उनके मोटर-बोट चलते हैं और बम्बई और कुवेत और दुबोई के बीच नियमित बेतार कनेक्शन हैं। लेकिन कड़े उपायों के बावजूद तस्करी पूरे जोर-शोर से चलती है और विदेशी मुद्रा का घुटाला होता है।

विदेशों में भारतीय लोग काफी धन कमा रहे हैं, परन्तु वे उसे सीधे भारत नहीं भेजना चाहते क्योंकि तस्कर व्यापारी तथा अन्य देशों में विदेशी मुद्रा व्यापारी उन्हें हमारी सरकार की अपेक्षा दुगुना विनिमय मूल्य दे देते हैं। हमारे बैंक इस राशि को अन्य लोगों से एकत्रित करने में पर्याप्त रूप से सहयोग नहीं दे रहे हैं। इन सबकी जड़ एक बात है कि हमारा देश सोने के लिये बहुत लालायित है और बाहरी मुल्क हमारी चांदी के भूखे हैं। इसलिये मैंने पिछली बार सुझाव दिया था कि हमें एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिये जिससे हम सरकारी आधार पर चांदी के बदले सोना प्राप्त कर सकें ताकि तस्करी के लिये विदेशों में हमारी सोने की मांग कम हो सके। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं जैसा कि उन्होंने वचन दिया था कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं।

अन्त में एक प्रश्न यह है कि हम अपने उत्पादों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। सरकार नियंत्रण तथा कर लगाकर देश में उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा रही है। हमारे पास श्रम, कच्चा माल तथा अप्रयुक्त क्षमता सब कुछ उपलब्ध हैं। आवश्यकता केवल पूंजी विनियोजन की है और यदि हम विनियोजन करें, तो हम अपने निर्यातों से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं और हमें उसकी कोई कमी नहीं रहेगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है अतः मुझे इसका समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

आज बीजकों में मूल्य या माल कम दिखाना आम बात हो गई है, पटसन उद्योग में लगे सभी लोग ऐसा कर रहे हैं और वे अपनी विदेशी मुद्रा विदेशी बैंकों, विशेषकर स्विट्जरलैंड के बैंकों में सुरक्षित रख रहे हैं जहां खाते संख्याओं से खोले जाते हैं और वे नाम नहीं बताते। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि विदेशों में विशेषतः स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों द्वारा जमा की गई राशि का रिजर्व बैंक की मदद से पता लगाने अथवा उसे जब्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो क्या उसमें कोई कामयाबी हासिल हुई है।

इस निदेशालय में कर्मचारियों की संख्या वही है जो वर्ष 1963 अथवा 1964 में थी जब विदेशी मुद्रा विनिमय के उल्लंघन के मामले 50 प्रतिशत बढ़ गये हैं। इसके अलावा वहां के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा पदोन्नति के अवसर कम हैं, मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

यह बड़े खेद की बात है कि वरिष्ठ पदाधिकारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी हाल में डाक व तार निदेशालय को टोक्यों से विमान डाक द्वारा भेजे गये एक थैले से सोना तथा 16 घड़ियां निकली थीं जो डाक व तार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजे गये थे। आश्चर्य की बात है कि उस सीमा शुल्क निरीक्षक के विरुद्ध डाक व तार विभाग ने शिकायत की है। इस मामले में, ऐसा बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी जो डाक व तार निदेशालय में प्रतिनियुक्ति पर है, अन्तर्ग्रस्त है। हम चाहते हैं इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये और मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस मामले का उल्लेख करें।

हिन्द मोटर आदि बिड़ला संगठनों पर जब छापा पड़ा, तो उन्हें पहले ही पता लग गया था कि छापा पड़ने वाला है। प्रश्न यह है कि उन्हें यह बात किसने बतायी ? इस छापे का क्या परिणाम निकला और क्या उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है ? उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

जैसा कि विधेयक का उद्देश्य त्रुटियों को दूर करने का है, मैं जानना चाहता हूं कि बीजकों में कम मूल्य या कम माल दिखाने के कितने मामलों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया है। क्या ऐसा केवल पटसन अथवा चाय उद्योग में ही है ? क्या यह सच नहीं है कि कुछ लोग सिर्फ निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिये कुछ वस्तुओं का नाम लिख कर अन्य चीजें भेज रहे हैं ? इस सम्बन्ध में निदेशालय ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। उन्हें ऐसे मामलों में धमकियां दी गई थीं और घूस का प्रलोभन भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जान का जोखिम उठाकर भी अपना कर्तव्य निभाया है और इन प्रलोभनों से दूर रहे हैं। सरकार को इन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पदोन्नति, स्थायीकरण वेतन-वृद्धि आदि के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ऐसे और अधिक मामलों का पता लग सके।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : व्यापारी लोग बहुत चतुर होते हैं और अपने लाभ के लिये बीजकों में कम राशि दिखाना उनके लिये मामूली बात है इसलिये, वित्त मंत्रालय को निर्यात व्यापार में और अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है।

अधिनियम तथा विनियमों में अनेक त्रुटियां होने के कारण हमारी बहुत सी प्राचीन मूर्तियों तथा कला की वस्तुओं का नियमित तथा व्यवस्थित रूप से निर्यात किया जाता है। राजस्थान से बहुत सी मूल्यवान मूर्तियां उड़ गई हैं। इसी प्रकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मन्दिरों तथा अन्य स्थानों से प्राचीन कला की वस्तुएं तथा मूर्तियां आदि गुम हो रही हैं जो बंबई अथवा दिल्ली या आगरा अथवा जयपुर के बाजारों में पाई जाती हैं। इसका पता लगाया जा सकता है। इन्हें बहुत-से विदेशियों द्वारा लाया जा रहा है। इन त्रुटियों के कारण 100 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तु को देशसे बाहर ले जाया जा सकता है। परन्तु यह बताने वाला कौन है कि यह वस्तु हजार वर्ष अथवा सौ वर्ष पुरानी है। केवल तस्करी से लाये गये सोने के कारण हमें 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है। पश्चिमी घाट में कच्छ से लेकर गोवा तक सारे क्षेत्र में सोने की भारी मात्रा में तस्करी होती है क्योंकि भारत फारस की खाड़ी के बीच तेज मोटर बोट देसी या नौकाएं नियमित रूप से चलती रहती हैं और वहां सोना यहां की अपेक्षा आधी कीमत पर मिलता है। इस प्रकार हमें विदेशी मुद्रा की निरन्तर हानि होती है।

तस्करी तथा बीजकों में कम मूल्य अथवा कम माल दिखाये जाने के सम्बन्ध में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार ने यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। पश्चिम घाट में सोने की तस्करी रोकने के लिये सरकार के पास बहुत आधुनिक मोटर-बोट होने चाहिये जिनकी चाल 70 से 100 मील तक प्रति घण्टा हो ताकि अरब ढोओं का जो 50 से 60 मील तक प्रति घण्टा चलते हैं पीछा किया जा सके और उन्हें अपने समुद्री इलाके में पकड़ा जा सके।

तस्कर व्यापारियों के लिये कड़े दण्ड का उपबन्ध किया जाना चाहिये, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० एम० कृष्ण (मांडया) : ऐसे बहुत कम अवसर होते हैं जब हम सरकारी विधेयक का स्वागत कर सकते हैं यह एक ऐसा विधेयक है । इस देश में विदेशी मुद्रा का बहुत महत्व है । अतः व्यापारी लोग इसे विदेशों में जमा करने का प्रयत्न करेंगे ।

व्यापारियों के एक वर्ग के समक्ष भाषण करते हुये श्री जे० आर० डी० टाटा ने कहा है कि व्यापारियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये और अपनी साख बढ़ानी चाहिये ।

हम आशा करते हैं कि सरकार निर्यात-आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिये एक विधेयक लायेगी और विदेशी मुद्रा के घोटाले को समाप्त करेगी ।

विदेशी मुद्रा के मामले में गड़बड़ी करने वालों में बड़े-बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है । इस संशोधन का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लिखित त्रुटियों को समाप्त करना है । हमें विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन को समाप्त करना होगा ।

आज की घटनाओं को देखते हुये इस व्यापार का राष्ट्रीयकरण और भी अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गया है । सरकार को इस ओर ध्यान देकर निर्यात की बहुमूल्य वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये । मैसूर की कई फर्में निर्यात व्यापार से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर रही हैं । ऐसी फर्मों को सरकार को अपने अधीन ले लेना चाहिये । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन की वस्तुओं के निर्यात को तो सरकार को तुरन्त अपने अधीन कर लेना चाहिये । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : विदेशी मुद्रा का संतुलन बनाये रखने के लिये सदैव सतर्क रहना बहुत आवश्यक है । हम प्रायः विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन के बारे में सुनते रहते हैं । इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है । यदि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करें तो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है ।

विदेशी मुद्रा के बारे में कम राशि के और अधिक राशि की बीजक बनाने की कुप्रथा को रोकना अति आवश्यक है । वर्ड एण्ड कम्पनी का उदाहरण हमारे समक्ष है । उसमें सरकार को करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई थी । इस प्रकार आयात और निर्यात के मामले में सरकार को धोखे में रख कर विदेशी मुद्रा की चोरी की जाती है । इस कुप्रथा को रोकने में रिजर्व बैंक बहुत कुछ कर सकता है । हमें ऐसे नियम बनाने चाहिये कि विदेशी फर्मों को अपने लाभ का 50 प्रतिशत भाग भारत में ही लगाना पड़े । इससे देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी ।

तस्करी को रोकने के हमारे तरीके बहुत पुराने और दोषपूर्ण हैं । हमें उनका नवीकरण करना चाहिये । इससे तस्करी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा । हम प्रायः समाचार-पत्रों में यह पढ़ते हैं कि इतने लाख की घड़ियां पकड़ी गयीं । वास्तव में इस प्रकार बहुत कम घड़ियां और अन्य तस्करी की वस्तुएं पकड़ी जाती हैं । हमें अपने सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिये ।

निर्यात की जाने वाली चाय पर उत्पादन शुल्क अन्य वस्तुओं की भांति वापिस किया जाना चाहिये । इससे चाय के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी ।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जिन माननीय सदस्यों ने इस विधयक सम्बन्धी चर्चा में भाग लिया है, उनके प्रति मैं बहुत आभारी हूं । यह एक साधारण विधेयक है । यह उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के फलस्वरूप लाया गया है । इसके लिये सरकार को अध्यादेश जारी करना पड़ा मुझे आशा है सभा इसे पारित कर देगी । अब सीमा-शुल्क अधिकारियों को निर्यात किये जाने वाले उस माल को रोकने का अधिकार होगा, जो घोषणा-पत्रों में की गई घोषणा के अनुसार नहीं होगा ।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने बहुत व्यापक प्रश्न उठाये हैं । सीमाशुल्क के मामलों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मामलों से जोड़ दिया गया है । तस्करी कम अथवा अधिक राशि के बीजक बनाने के कारण होती है । तस्करी को रोकने के लिये गत सत्र में सीमा-शुल्क अधिनियम और अधिक कड़ा बनाने के लिये उसका संशोधन किया गया था । उसका बहुत प्रभाव हुआ है । अब चांदी को बाहर भेजने का लालच कम होता जा रहा है । मैं मानता हूं कि स्थिति में अभी भी सुधार करने की गुंजाइश है । तस्करी को रोकने के लिये बहुत अधिक उपाय करने की आवश्यकता है । इस बारे में हम व्यापक विधान पर विचार कर रहे हैं । इस पर विशेषज्ञों की राय ली जायेगी । इस चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी हम पूरे ध्यान से विचार करेंगे ।

तस्करी को रोकने के लिये सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है । तटों पर निगरानी रखने के लिये ब्रिटेन से कुछ छोटे विमान खरीदे जा रहे हैं । हमें कुछ जहाज भी खरीदने होंगे । इस प्रकार के उपाय करने पर स्थिति काफी सुधार होने की आशा है । हम बड़े नगरों में गुप्तचर विभाग के कार्यालय भी खोलने जा रहे हैं । हमें उन अन्य देशों में भी अपने अधिकारी रखने होंगे, जहां से तस्करी का माल आता है । इस दिशा में कार्यवाही करनी होगी ।

एक सुझाव यह भी दिया गया है कि हमें और गाड़ियां रखनी चाहिये और अच्छे संचार सेट रखने चाहिये । भारत-नेपाल और भारत-पाकिस्तान सीमा पर इनकी विशेष व्यवस्था की जा रही है ।

अनधिकृत आयातित माल की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है । उसका माल जब्त कर लिया जाता है । इन उपायों के किये जाने के बाद आयातित माल की बिक्री काफी कम हो गई है । इस वर्ष में जब्त किये गये माल की मात्रा गत वर्षों में पकड़े गये माल की अपेक्षा बहुत अधिक है । फिर भी मैं मानता हूं कि इस दिशा में अभी बहुत सुधार करने की

गुंजाइश है। यह निर्णय किया गया हैं कि आयकर अपवंचकों के नाम प्रकाशित करने के भांति, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी घोटाले करने वालों के नाम भी प्रकाशित किये जायें। नैनमल पूनजाजी शाह के केस में उच्चतम न्यायालय तक पैरवी की जा रही है और दोषी व्यक्ति अभी भी हिरासत में है और उनकी जमानत नहीं हुई है।

श्री कंवरलाल गुप्त का यह आरोप गलत है, कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस फर्म से धन लिया है। वैसे मैं अन्य मामलों के ब्योरे में नहीं जाना चाहता।

महेश योगी सम्बन्धी जांच में यह पाया गया है कि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना उनके विदेशों में 4 खाते हैं। 20-9-1969 को उन्हें पांच कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं। इस प्रकार मामले न्याय निर्णय के अधीन हैं। (**व्यवधान**) विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन करने वाली फर्मों के यहां छापे मारे गये हैं और दोषी पाये गये व्यक्तियों और फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

एक बात यह कही गई है कि इस विधेयक में विदेशी मुद्रा बिनियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस विधेयक के उद्देश्य बहुत सीमित हैं। इसके पारित हो जाने पर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधान विदेशी मुद्रा के प्रश्न पर भी लागू होगी। इसके अतिरिक्त माल को जब्त करने की भी व्यवस्था की जा रही है। जुर्माने की भी व्यवस्था की जा रही है।

श्री बनर्जी ने जापान से पार्सल आने की बात की है। हमने जांच-पड़ताल की है। वहां से सोना, आभूषण गहने और घड़ियां नहीं आई हैं। इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण सूचना अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। उस पर यदि चर्चा हुई तो मैं सभी तथ्य रखूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी जानकारी है कि इसमें डाक तथा तार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का हाथ है। हमें पता चला है कि डाक तथा तार अधिकारियों ने सीमा-शुल्क विभाग को धमकी दी है। यह एक गम्भीर विषय है। हमें इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिये। समाचार-पत्रों में छपा है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कुछ पैकेट पकड़े थे। उनमें सिगरेट,सोना और 16 घड़िया पकड़ी गई थीं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह बाद में सभा के समक्ष तथ्य रखेंगे। यह ठीक नहीं है। जो भी जानकारी उनके पास है वह सभा को दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस विधेयक के लिये तैयार हो कर नहीं आये हैं। इस समय इस मामले के बारे में उनके पास तथ्य नहीं हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि एक विधेयक पर चर्चा के दौरान एक विशेष विषय पर कोई सदस्य कोई मामला उठाता है। मैंने यह प्रश्न उठाया है और

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर अध्यक्ष विचार कर रहे हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मंत्री महोदय के विचार जानने के लिये, वह अवश्य उनको भेजा गया होगा।

यदि मंत्री महोदय को जानकारी है तो वह बता दें अन्यथा वह पूर्व सूचना के लिये कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में मंत्री महोदय ने यही बताया है। एक ध्यान दिलाने वाली सूचना विचाराधीन हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे संदेह इस बात का है कि कहीं यह मामला वैसे ही समाप्त न कर दिया जाये। 16 पैकेट अब भी पड़े हैं। कुछ पैकेट दे दिये गये हैं। कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं वे इस मामले को छिपाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय तथ्यों को स्पष्ट करें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैंने कहा है कि एक ध्यानाकर्षण सूचना अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। यदि उसे स्वीकार कर लिया गया तो मैं सभा के समक्ष सभी सम्बन्धित तथ्य रख दूंगा। जहां तक घड़ियों, सोने, सिगरेटों आदि के पकड़े जाने के सम्बन्ध में सामान्य सूचना का सम्बन्ध हैं, हमने पता लगाया है और औपचारिक रूप सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई वस्तु बरामद नहीं की गई। उपयुक्त सूचना मिलने पर मैं निश्चय ही उन पार्सलों के बारे में सभी तथ्य सभा के समक्ष रख दूंगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : क्या सरकार इस मामले में निश्चित रूप से कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : निश्चय ही जब कोई माननीय सदस्य सरकार को किसी मामले की सूचना देते हैं तो अवश्य कार्यवाही की जाती है यह कहना अनुचित है कि सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना मिल रही है। मेरी जानकारी के अनुसार किसी प्रकार की कोई सूचना किसी को नहीं दी जाती।

यह कहा गया है कि देश के सभी निर्यात एवं आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने से मूल्य से अधिक या कम मूल्य के बीजक बनाने आदि के सभी दोष दूर हो जायेंगे। परन्तु यदि सरकारी उपक्रमों द्वारा आयात निर्यात का सारा व्यापार किया जायेगा तो ये दोष कैसे दूर होंगे। साम्यवादी तथा समाजवादी देशों के सम्बन्ध में भी, जहां व्यापार के सरकार का पूरा नियंत्रण है, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वहां तस्कर व्यापार नहीं होता। मैं अभी इस विषय के गुणदोष पर विचार नहीं कर रहा हूं : सभा को इस सम्बन्ध में सरकार के इरादों और नीति का पता है। जब सभा इस विषय पर विचार करेगी तो सरकार अपनी राय व्यक्त करेगी।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मूल्य से कम या अधिक राशि के बीजक बनाने के बारे में उनका क्या विचार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक सतर्क है और चौकसी रखता हैं क्या 75 प्रतिशत मामले पंजीकृत किये गये हैं। इन मामलों की जांच करना प्रवर्तन निदेशालय का काम है। सीमा शुल्क अधिकारी इन कार्यों का निरीक्षण करते हैं। स्विटजरलैंड के बैंक अपने नियमों के अनुसार कोई जानकारी नहीं देते।

श्री स० मो० बनर्जी : अमरीका सरकार ने स्विटजरलैंड के बैंकों को इस बात पर विवश कर दिया है कि वे उन व्यक्तियों के नाम बताये जिनके खाते उनके पास है। विदेशी मुद्रा निदेशालय से सम्बन्धित कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और उनकी कोई पदोन्नति नहीं की जाती।

श्री प्र० चं० सेठी : वे व्यक्तिगत खाते के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। यदि श्री बनर्जी का खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया में हो तो स्टेट बैंक इस बारे में कुछ नहीं बतायेगा। यही स्थिति वहां है। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाये।

सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क अधिकारियों के बीच वरिष्ठता तथा पदोन्नति का विवाद बहुत पुराना है और उस पर सरकार विचार कर रही है। आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्रनिर्णय हो जायेगा। इस मामले को संघ लोक सेवा आयोग को भी भेजा गया था।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The Hon. Minister should assure the House that the manner in which the ordinance has been issued will not be repeated in future. It was against the democratic traditions to issue the ordinance only three days before the meeting of the House.

It may be pointed out that steps taken to check the wastage of foreign exchange are not very effective. The scientific means adopted by the smugglers surpass them. It will be very difficult to control smuggling in this manner. Smuggled goods are readily available in the market everywhere. The employees employed in Embassies try to collect maximum imported goods so that they may bring them back. There should be some restraint on them. A ceiling should be fixed that an employee cannot bring imported goods worth more than Rs. 1,000/- Such a restriction would be helpful in reducing the corruption.

I want that Government should frame rules in order to check over-invoicing and under-invoicing immediately. I want to know the number of persons penalised on this account. I think no one has been committed so far.

I would like to point out that restrictions imposed on foreign travel and foreign study should be relaxed. These restrictions practically debar the students from getting education in foreign countries. The Government should exercise their control on the people travelling in the name of treatment. I would suggest that a high powered commission should be appointed to go into the working of foreign exchange control. The finding of the said commission should be incorporated in this Bill to make it comprehensive.

The severe punishment should be provided in the Bill. In order to minimise the craze for foreign goods public opinion should be mobilised. We should ourselves set an example before we ask others to follow us.

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : अध्यादेश जारी करने में विलम्ब के लिये मैंने पहले ही खेद प्रकट कर दिया है । परन्तु यह आश्वासन दिया जा सकता है सत्र आरम्भ होने से पूर्व कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जायेगा क्योंकि यह बात अध्यादेश के स्वरूप पर निर्भर करती है। जहां तक नियम बनाने का सम्बन्ध है वे बन चुके हैं और अब उसका हिन्दी में अनुवाद करने के उन्हें राज भाषा आयोग को भेजा गया है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं अपने संकल्प को वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां ।

सभा की अनुमति से संकल्प वापिस लिया गया ।

The resolution was by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : कोई संशोधन न होने के कारण मैं सभी खण्ड सभा में मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 4, 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2,3,4,1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 2, 3, 4, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अनुदानों की मांगें अनुपूरक (रेलवे)

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS)

वर्ष 1969-70 के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मागें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
2	विविध व्यय	1,000
15	चालू लाइन निर्माण पूंजी-मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और विकास विधि	2,000
	जोड़	3,000

रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	1	श्री यशपाल सिंह	विकास नगर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण कार्य में धीमी प्रगति ।	100 रुपये
2	2	श्री वेणी शंकर शर्मा	पूर्व रेलवे की भागलपुर—मन्दार हिल ब्रांच लाइन का सन्थाल परगनों से होते हुये आगे विस्तार करने में विफलता ।	100 रुपये
2	4	श्री ओंकारलाल बेरवा	सरकार द्वारा रेलवे लाइनों का समय पर निर्माण न करना ।	100 रुपये
2	5	श्री ओंकारलाल बेरवा	लखेरी और कोटा के बीच दोहरी लाइन का निर्माण न करना ।	100 रुपये
2	6	श्री ओंकारलाल बेरवा	शामगढ़ और कोटा के बीच दोहरी लाइन का निर्माण न करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
15	16	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	मध्य रेलवे में छोटी लाइन के इंजनों की मरम्मत की व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
15	17	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	मध्य रेलवे में ग्वालियर-भिंड छोटी लाइन पर पर्याप्त संख्या में डिब्बों की व्यवस्था न करना ।	100 रुपये
2	24	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	नरकटियागंज से मुजफ्फर-पुर और समस्तीपुर तक दोहरी लाइन का निर्माण करने में सरकार की विफलता ।	100 रुपये
2	25	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	पूर्वोत्तर रेलवे पर छपरा और मोतीहारी के बीच सीधी रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण करने में सरकार की विफलता ।	100 रुपये
2	26	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	पूर्वोत्तर रेलवे पर बरास्ता मुजफ्फरपुर बाराबंकी से समस्तीपुर तक बड़ी लाइन का निर्माण करने में सरकार की विफलता ।	100 रुपये
2	27	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	पूर्वोत्तर रेलवे पर बरास्ता मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर से नरकटियागंज तक बड़ी लाइन का निर्माण करने में सरकार की विफलता ।	100 रुपये
2	28	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	पूर्वोत्तर रेलवे पर छपरा—मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन को दोहरी बनाने में सरकार की विफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	29	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	पूर्वोत्तर रेलवे पर हाजीपुर से भैंसालोटन तक बरास्ता लालगंज, साहिबगंज, केसरिया और गोविन्दगंज नई रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण करने में सरकार की विफलता।	100 रुपये
2	30	श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	पूर्वोत्तर रेलवे पर महेशी स्टेशन से सीतामढ़ी तक सीधी रेलवे लाइन बनाने के लिये सर्वेक्षण करने में सरकार की विफलता।	100 रुपये
2	33	श्री समरेन्द्र कुन्दू	कटक-प्रदीप रेलवे लाइन के निर्माण-कार्य को नियत समय में पूरा करने और निर्माण के कार्यक्रम का पुनर्निधारण करने में सरकार की विफलता तथा इसे पूरा करने की निश्चित तिथि की घोषणा करने में असफलता।	100 रुपये
2	34	श्री समरेन्द्र कुन्दू	तलचेर-बिमलगढ़ रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा करने में विफलता।	100 रुपये
2	35	श्री समरेन्द्र कुन्दू	तलचेर-बिमलगढ़ रेलवे लाइन के निर्माण की घोषणा करने में विफलता।	100 रुपये
2	36	श्री समरेन्द्र कुन्दू	रूपसा-बारीपाद छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाने में तथा इसे रायरंगपुर और जमशेदपुर के साथ मिलाने में विफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	40	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	गुना-माक्सी रेलवे लाइन के निर्माण में शिथिलता ।	100 रुपये
2	47	श्री वेणी शंकर शर्मा	कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे के कार्य में तेजी लाने में असफलता ।	100 रुपये
2	48	श्री वेणी शंकर शर्मा	कलकत्ता में भूमिगत रेलवे बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	52	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	कटक और परादीप के बीच रेलवे लाइन के निर्माण में विलम्ब ।	100 रुपये
2	53	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	मार्च, 1971 से पूर्व कटक-परादीप रेलवे लाइन को पूरा करना ।	100 रुपये

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : पश्चिम रेलवे में बयाना और मथुरा के बीच दोहरी लाइन बनाने के लिये इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण हेतु अक्तूबर, 1969 में भारत की आकस्मिक निधि में से प्राप्त की गई अग्रिम राशि की, जब संसद् का सत्र नहीं था, पूरा करने के लिये अनुपूरक मांग प्रस्तुत की गई है ।

दूसरे डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी में डीजल इंजनों के लिये और इन्टैगरल कांच फैक्ट्री पेशबूर में सवारी डिब्बे बनाने के लिये अतिरिक्त पुर्जे बनाने की क्षमता बढ़ाने हेतु एक-एक हजार रुपये की सांकेतिक व्यवस्था करने हेतु अनुपूरक मांग संख्या 15 प्रस्तुत की गई है ।

यह सांकेतिक व्यवस्था लोक लेखा समिति की इस सिफारिश को ध्यान में रखकर की जा रही है कि आरम्भ में सांकेतिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए और बाद में, यदि आवश्यक हो तो वर्ष के अन्त में अग्रेतर अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की जा सकती है जब वास्तविक आवश्यकताओं का ठीक-ठीक पता चल जायेगा ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : अलाभकारी शाखा लाइनों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया है । मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिए कि वह इस पर विचार करेंगे और आगामी फरवरी में प्रस्तुत किये जाने वाले बजट में लाइनों को बदलने के लिये व्यवस्था करेंगे ।

यह कहा गया है कि रेलवे के खर्च में कमी हुई है । इस मास की 14 तारीख दक्षिण एक्सप्रैस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी । इस दुर्घटना में कुछ डिब्बों में आग लग गई थी । उस समय

गार्ड के पास कोई टेलीफोन नहीं था, आग बुझाने का कोई सामान न था, जिसके फलस्वरूप रेलवे डाक सेवा के 100 थैले, 70 पार्सल आदि जल गये। मैंने उसी गाड़ी में एक सैलून में यात्रा कर रहे रेलवे के एक अधिकारी को आग बुझाने में सहायता करने के लिये कहा क्योंकि वह तकनीकी अधिकारी थे परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया था। मुझे पता चला है कि बम्बई में मैरिन लाइन स्टेशन पर तीन करोड़ रुपये की लागत पर एक इमारत बनाने के लिये विचार कर रही हैं, मुझे पता चला है कि इस इमारत का उपयोग रेलवे कार्यालयों के लिये नहीं बल्कि उसे गैर-सरकारी लोगों को रिहाइश के लिये किराये पर दिया जायेगा। यह कार्य खण्डेलवाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को दिया गया है जिससे वे पगड़ी आदि लेकर अनुचित लाभ प्राप्त कर सके। मुझे पता चला है कि रेलवे विभाग इसी प्रकार के अन्य कार्य भी कर रहा है।

मध्य रेलवे ने कर्मचारियों को वर्दियां सप्लाई करने का जो निर्णय किया है वह वाणिज्यिक कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिए।

Shri Himatsingka (Godda) : I support the supplementary demands for grants. Santhal Pargana is a big district but it is being ignored by Railways. This question has been discussed many a time but nothing significant has been done so far. The inhabitants of this district have to face lot of difficulties. Bhagalpur–Mandarhill line should be extended **via** Godda or Dumka and may be linked with Santhia or Devghar as it may be convenient and practical.

It has been observed that trains are often late. The late arrival of trains should be checked. In III Class compartments there has been a lot of over crowding. Something should be done to improve this situation and more attention should be paid towards unhygienic conditions of bathrooms of trains. It may also be pointed out that steps taken to check ticketless travelling are not adequate. It is one of the reasons of losses suffered by Railways. It has heen observed that incidences of pilferages are on the high side and with the result that Government have to pay heavy damages. Railway Ministry should pay necessary attention towards these things.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : Railways have not been earning profit in proportion to the investment made in this sector. Railway Board do not pay heed to the suggestions made in this House. There is great discontentment among the staff working in Railways because they are not provided with necessary facilities. The staff should be given necessary amenities and at the same time they may be asked to do their work efficiently. An enquiry should be held to know the amount of bungling in this greatest public undertaking. It has often been observed that trains run late. Complaints made in this respect have been proved ineffective. Government have not taken any action on the Report of Parliamentary Committee on R. P. F. I want that necessary action should be taken on that Report.

Railway doctors should be given the same facilities which are provided to the doctors of C. G. H. S.

श्री जि०मो०बिस्वास (बांकुरा) : रेलवे के बारे में उन्हीं शिकायतों को बार-बार दोहराया जाता है, परन्तु दुर्भाग्य से रेलवे मंत्रालय उन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करता। इस सभा के सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जिस राशि की अब मांग की

जा रही है उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है । इनकी योजना ठीक ढंग से नहीं बनाई गई है । अनुदानों की मांगों में बड़ौदा स्थित स्टाफ ट्रेनिंग कालेज का उल्लेख है । वहां जो डिग्रियां दी जाती है उनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता ।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

मेरा यह अनुभव है कि यदि टिकट लेने के बाद किसी कारण यात्रा न की जा सके और इस बात की सूचना भी रेलवे विभाग को दे दी जाये तो उस राशि को लौटाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जाती । उपर्युक्त कालेज में इन अधिकारियों को इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

रेलवे मंत्रालय ने इस आधार पर अपने बड़े अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिये थे कि रेलवे के खर्च में कमी हुई है और रेलवे विभाग ने कुछ प्रगति की है । इस प्रगति का श्रेय किसको है ? राजधानी एक्सप्रेस की जब कार खराब हो गई जिसमें बिजली पैदा होती है तो उसे कोई भी इंजीनियर ठीक नहीं कर सका था और अन्त में एक फिटर ने उसे ठीक किया था । उसी के प्रयत्न से वह गाड़ी चल सकी थी परन्तु इसका श्रेय बड़े अधिकारियों को मिला । उस गरीब फिटर को तो श्री जी० डी० खण्डेलवाल द्वारा केवल 100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया है ।

उस फिटर के कार्य की पूर्व रेलवे के मुख्य प्रबन्धक ने भी प्रशंसा की थी । रेलवे मंत्री महोदय को माननीय सदस्यों के सुझावों को कार्यान्वित करने की चेष्टा करनी चाहिये । आसाम के माननीय सदस्य श्री धीरेश्वर कलिता ने बार-बार मांगें की थी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल के निर्माण द्वारा जोगीघोपा को रेल द्वारा पंचरत्न से जोड़ दिया जाये । इस बारे में प्रधान मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि सर्वेक्षण किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में सर्वेक्षण किया जा रहा है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ।

आप राजधानी एक्सप्रेस, वातानुकूलित एक्सप्रेस और दिल्ली मेल चला रहे हैं । आप हावड़ा और दिल्ली स्टेशनों के बीच चलने वाली गाड़ियों के तृतीय श्रेणी के दो टायर और तीन टायर वाले डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की दयनीय दशा देखें । राजधानी एक्सप्रेस चलाने की अपेक्षा आप दिल्ली से हावड़ा तक तृतीय श्रेणी की विशेष स्लीपर गाड़ियां चलाएं । ऐसी गाड़ी प्रतिदिन चलाई जानी चाहिए ।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Though we give our suggestions in respect of Railways every now and then but the Railway Board does not pay any heed to it .

I have been raising the question of Bhagalpur Manderhill branch line even since I was elected to this House, but nothing has so far been done in the matter. The Government show so much of sympathy for the backward areas and the Tribal people but when the time for its action comes it is always found abstaining. We have recently enhanced the time limit for providing reservation of seats in the legislatures for Seheduled Castes, Scheduled Tribes and aboriginal races. But mere provision for reservation of seats for them does not provide an end in itself to their problems. The people living south of Santhal Pargana and Bhagalpur are very backward. Economically they cannot make progress until the Bhagalpur-Manderhill branch line is constructed linking Madhupur.

In this connection Government express financial difficulty. The Hon. Minister has stated that the Railways are suffering a loss of Rs. 25 crores a year due to ticketless travelling. If the Railway Administration acts efficiently to check this ticketless travelling it can construct 4-5 such railway lines.

This Government claims Government to be a socialistic. But in actual practice it spends lakhs of rupees on the purchase of jambo jets, and run Rajdhani Express and air conditioned trains and on the other hand do not make ample provision for crores of people who travel by trains.

The Rajdhani express saves a few hours but how many people benefit by that. It would be beneficial for the people at large if more third class two-tier, three tier special trains are introduced. Does the non-provision of even sitting accommodation in railways represent our progress.

We spend crores of rupees on big officers but the Railway Board does not have any money for the benefit of common people.

Sahibganj is at a distance of 30 kilometer from Katihar and it is surprising enough that it takes seven hours to complete this journey and as a result thereof thousand of travellers suffer every day. I suggest that a railway bridge be constructed as the Rajinder bridge near Mokameh is not enough.

In the last session half an hour discussion was held on the traffic problems of Calcutta. Shri Sumer Guha raised that question a day before yesterday. Recently a cartoon was published in Amrit Bazar Patrika indicating that a clerk writes every day while going to office that no body is responsible for his death. Many accidents take place there every day which take the lives of so many persons. The trams in Calcutta do not have foot boards of even an inch. The only remedy to end this State of affairs is to construct the circular railway in Calcutta immediately, as was assured by the Hon. Minister. But as yet some estimates are being worked out for that scheme. Please make arrangement for underground Railway in Calcutta.

Howrah Barauni passenger train, which was introduced for the benefit of officers of Barauni oil Refinery, goes upto Barauni. But in the interest of common passengers it is very essential that the train be extended upto Samastipur.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : I suggest that a Central cell be created from the Central Bureau of Investigations and also we should improve the condition of Baroda College.

We should arrange refresher courses for our Technical Staff.

I would like the Hon. Minister should not give us any assurance unless it is intended to be actually fulfilled.

The Hon. Minister just now expressed his views together with view of the committee in respect of the lines running in losses. Please do include your extension and conversion programmes in the budget from 1970-71.

I agree that the weaknesses are the necessary concomitant of over stopping. But I cannot agree that all these persons are useless.

The Government has not constructed Bilaspur—Mandla line which was surveyed long ago and even the work of earth filling had been completed. Please ensure its early completion. Bustar may please be linked with Durg by a railway line. The lines between Bilaspur and Khansara and Khetri to Anupur were to be doubled. But the job has not been completed.

As it would increase the speed of the trains, please complete that job urgently. Utkal express takes five hours to reach Mathura. With these words I support the supplementary demands.

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : For the last many years I have been raising the question of improvement of Railways system of North Bihar. Shri Poonacha, the then Railway Minister had assured the House for conversion into broad gauge line between Samastipur to Narkatiaganj–via–Darbhanga. The proposal had the sanction of planning commissions. But Dr. Ram Subhag Singh had ordered for an enquiry into the matter which is going on for the last six months. I feel that this line would benefit not only the people of Bihar but also those of whole of North India.

The Deputy Minister should know that Chinese people make incursion on our area and it would be beneficial if a broad gauge line is provided between Samastipur–Darbhanga–Narkatiaganj.

सभापति महोदय : हम केवल अनुपूरक मांगों की चर्चा कर रहे हैं :

Shri N. P. Yadav : An express train should be introduced between Narkatiaganj and Pahlejaghat as the Passenger train takes very much time.

An express train has been introdueed from Motihari **via** Muzzafarpur. But the demands of North Bihar may also be looked into. Sitamarhi Railway station should have an over bridge.

सभापति महोदय : यह रेलवे पर सामान्य बहस नहीं है इसलिये माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

Shri N. P. Yadav : There should be an office to attend to the complaints of M. Ps and their complaints should be directly received by the Railway Minister.

In the canteen at Pahlejaghat steamer dalda is used in stead of butter. The officers do not give any heed to the complaints in this regard. Satisfactory food is not served in the canteen at Muzzafferpur. This should be lookd into.

***श्री किरुतिनन** (शिवगंज) : रेलवे मंत्री बार-बार बदल रहे हैं परन्तु रेलवे प्रशासन चलता रहता है । भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों का मंत्री तथा प्रशासन द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए ।

तमिल नाडु की बहुत-सी मांगें मानी नहीं जा सकी । सर्वेक्षण के लिये कुछ धन तो रखा गया है परन्तु वह पर्याप्त नहीं । तिरुनेलवेली को कन्या कुमारी से रेल द्वारा जोड़ने की मांग रेलवे प्रशासन से कई वर्षों से की जा रही है । नगरकोइल के चुनाव के समय सर्वेक्षण का आदेश दिया गया । परन्तु उक्त आदेश पर कार्रवाई नहीं की गई । क्या मंत्री महोदय उस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेंगे ।

तूतीकोरिन पत्तन का तीव्र गति से विकास हो रहा है । इस परियोजना को लाभदायक

---

* तमिल भाषा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर ।

*Summarised Translated Version based on English Translation of Original Speech in Tamil.

बनाने के लिये परिवहन तथा रेलवे मंत्रालयों में पूर्णरूपेण सहयोग होना चाहिये । तूतीकोरिन में एक ही रेलवे लाइन है। उसे त्रिवेंद्रम से बरास्ता कन्या कुमारी जोड़ा जाना चाहिये तथा तूतीकोरिन से रामनाथपुरम तक भी रेल मार्ग बनना चाहिये ।

तनजोर जिले में अरंतागी तक एक रेलवे लाइन है। परन्तु मधुकलधुर पिरुवाडनी क्षेत्र में कोई लाइनें नहीं हैं। अरंतागी को थांडी से जोड़ा जाना चाहिए और उसे मानामदुरै तक बढ़ाया जाना चाहिये जिसे तूतीकोरिन से जोड़ा जाना चाहिए ।

श्री सहगल ने वाणिज्यिक लिपिकों को घटाने की बात कही थी। मेरा सुझाव है कि इस प्रस्ताव को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस समय रेलवे बोर्ड आय बढ़ाने के कई उपाय कर रहा है।

दक्षिण रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के फायर मैनों ने दो वर्ष पूर्व अपने कार्य की शर्तों में सुधार के लिये संघर्ष किया था और इसीलिये उनमें से कई व्यक्तियों को सेवा से निलम्बित किया गया। उनके पुनः सेवा में लिये जाने के लिये भूतपूर्व रेलवे राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था। खेद है कि न तो उनकी सेवा की शर्तों में सुधार हुआ है और न ही निलम्बित कर्मचारियों को सेवा में फिर से लिया गया। उपमंत्री महोदय इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए ।

मदुरै में अभी हाल ही में कुछ चालकों की पदोन्नति की गई है। कुछ ऐसे व्यक्तियों की भी पदोन्नति की गई जो इसके लिये योग्य नहीं थे और जिन्होंने कुछ भारी भूलें भी की थीं। परिणामस्वरूप वरिष्ठ चालकों को हानि हुई। मैं चाहता हूं कि सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ न्याय किया जाये ।

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृषनगर) : कृषनगर और स्वरूपगंज घाट लाइन का कई बार सर्वेक्षण किया गया और यह कई वर्षों से विचाराधीन हैं । बताया गया है कि वहां की लाइट रेलवे लाभदायक नहीं है परन्तु कहा गया है कि यदि लाइन बड़ी कर दी जाये तो वह लाभदायक बन जायेगी। नदी के पार नामद्वीप है। वहां लाखों लोग तीर्थयात्रा के लिये जाते हैं। अतएव मुझे आशा है कि बड़ी लाइन बन जाने के पश्चात् यह लाभदायक सिद्ध होगी ।

डीजल इंजन और डिब्बे बनाने के लिये अधिक धन की मांग की गई है जिसका हम समर्थन करते हैं। जब भी हम नामद्वीप और कलकत्ता के मध्य रेल चलाने की बात करते हैं हमें बताया जाता है कि डीजल इंजन उपलब्ध होने पर उसे चालू किया जायेगा ।

रेलवे कर्मचारियों में कुछ मिस्त्री और कुछ पर्यवेक्षक भी हैं। मिस्त्री अपने कार्य में काफी दक्ष हैं और उन्हें पर्यवेक्षण कार्य के लिये लिया जाना चाहिये। उन्होंने अपना मामला राज्य मंत्री के सम्मुख रखा था। कृपया इस बारे में ध्यान दें ।

वापसी टिकट पुनः जारी किये जाने चाहिये । तीसरी श्रेणी के यात्रियों को उनके डिब्बों के निकट थालियों में भोजन देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। यदि आप उन्हें हाबड़ा से दिल्ली सोने का स्थान नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें खाना तो दीजिए।

खाना डालडा में पकाया जाता है । परन्तु मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति अधिक पैसे दे सकते हैं उनके लिये घी में बने खाने का प्रबन्ध किया जाये ।

श्री नाथ पाई (राजापुर)

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे), 1969-70 के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
2	54	श्री नाथ पाई	बम्बई से मंगलौर तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिये धनराशि का न दिया जाना ।	100 रुपये

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : I suggest that more time may be given to Shri Nath Pai.

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : No S. S. P. spokesman has spoken.

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad) : No B. K. D spokesman has spoken.

सभापति महोदय : कई अन्य दलों का वक्ता भी नहीं बोले : कुछ सदस्यों ने कल आने में कठिनाई व्यक्त की अतएव उन्हें आज समय दिया गया ।

Shri Kameshwar Singh : Have we to speak tomorrow ? Please extend time for it.

सभापति महोदय : कल आपको पर्याप्त समय मिल पाएगा ।

Shri Yashpal Singh : Dehradun is an important border district and it is being ignored to the extent that recently a goods train rammed into the room of the Station Master and caused colossal loss. Fifty percent of Jawans come from that hill area. The scheme of Dehradun–Vikas Nagar, Dehradun–Chuhurpur lines has been hanging fire for the last 12 years, but the work has not yet commenced, although it was promised much earlier. Please commence that work and finalise it within one year.

Narrow gauge has no utility these days. In this sputnik age it takes 10 hours to cover the distance of 105 miles between Saharanpur and Shadra. I, therefore, request that broad gauge lines may be constructed in place of narrow gauge. Government should nationalise the private light railways operating at Shamli, Jalalabad etc. and establish broad gauge lines there. There are no manned level crossings. There are 18 thousand unmanned level crossings.

The narrow gauge line between Gwalior and Bhind should be replaced by broad gauge line.

T. T. Es. may please be treated as running staff and given facilities for direct approach to the authorities for the redressal of their grievances.

The present system of overtime allowance should be done away with. The drivers who bring the train late are given special T. A., whereas they should be fined and entries to that effect recorded in their character rolls. As in the case of Japan, we should frame laws for fast running of trains.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति प्रस्ताव
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छप्पनवां प्रतिवेदन

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बहरामपुर) : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 56वें प्रतिवेदन से, जो 10 दिसम्बर, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 56वें प्रतिवेदन से, जो 10 दिसम्बर, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये :"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन (संशोधन) विधेयक
(धारा 13 और 27 के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना)
DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL
(Substitution of Sections 13 and 27)

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भेषज तथा सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 256 का संशोधन)

(Amendment of Article 256)

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 1 आदि का संशोधन)

(Amendment of Preamble and Article 1 etc.)

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (उन्नाव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Ths Motion was adopted

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1969
INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 1969

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री स० कुन्दू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

———

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—Contd.

(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)
(Amendment of Article 75 and 164)

सभापति महोदय : अब हम श्री कंवर लाल गुप्त के संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे ।

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य सीधे निर्वाचन द्वारा चुने जायें । ऐसी प्रथा केवल हमारे देश में ही नहीं है अपितु अन्य प्रजातांत्रिक देशों में भी है कि मन्त्रिमण्डल के निर्माण के समय ऐसे सदस्यों को मंत्रिमण्डल में लिया जाता है, जो कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं ।

इंग्लैंड में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था हो कि मंत्री के लिये अपनी नियुक्ति के समय संसद-सदस्य होना आवश्यक हो और न ही इसकी कोई ऐसी सीमा निर्धारित की गई है कि वह उस समय सीमा से अन्य सदस्य बन जाये । वहां परम्परा यह है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्रिमण्डल में शामिल किया जाता है तो हाउस आफ कामन्स के कुछ सदस्यों को स्थान रिक्त करने के लिये कहा जाता है ताकि उप-चुनाव में उसका निर्वाचन हो सके अथवा उसे हाउस आफ लार्ड्स में स्थान दिया जाता है ।

इसी प्रकार आस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 64 में यह कहा गया है कि मंत्री को तीन महीने के अन्दर सिनेटर हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव का सदस्य बन जाना चाहिए अन्यथा उसे पदमुक्त होना पड़ेगा । इसी प्रकार की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भी है ।

श्री लंका के आर्डर-इन-कौंसिल की धारा 49 (2) में यह कहा गया है कि यदि मंत्री चार महीने के भीतर दोनों चैम्बरों में से किसी एक का सदस्य नहीं बन जाता है तो उसे मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। बर्मा के संविधान में भी हमारी भांति व्यवस्था है।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए
Shri Prakash Vir Shastri in the Chair]

हमारे संविधान में कहा गया है कि यदि कोई सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आना चाहिए।

अतएव सरकार का गठन करते समय यदि दल के बाहर से किसी योग्य व्यक्ति को सरकार में लिया जाय तो हो सकता है कि वह चुनाव न लड़ना चाहता हो अथवा वह इस स्थिति में न हो कि चुनाव लड़े, तो ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 75 के अनुसार 6 महीने के भीतर राज्य सभा में स्थान दे दिये जाने की व्यवस्था है।

यहां यह बता देना अपेक्षित होगा कि दल बदलू सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की थी कि यदि कोई लोक सभा अथवा विधान सभा का सदस्य न हो तो उसे प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री का पद नहीं दिया जा सकता। यह निर्णय किया गया था कि इस बारे में शीघ्र विधेयक लाया जायेगा। विधेयक में इस बात का उल्लेख होगा कि प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री को 6 महीने के अन्दर लोक सभा अथवा विधान सभा का सदस्य बन जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे पदत्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार श्री गुप्ता ने प्रधान मंत्री अथवा मुख्य मंत्री के बारे में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार कर लिया गया है।

जैसा कि मैंने कहा है कि यदि किसी योग्य व्यक्ति को, जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ है, मंत्रिमंडल में शामिल करना आवश्यक हो जाये तो उसके मार्ग में कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

जहां तक केन्द्र अथवा राज्यों में मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का प्रश्न है, सरकार को गठित करते समय ऐसी कठिनाइयां आ सकती हैं जिनको यदि माननीय सदस्य का सुझाव मान लिया जाय, जिन्हें हल करना सम्भव न हो सके।

अतएव मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए इसे वापिस ले लें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : It is good that the Hon. Minister has accepted this point in spirit that Chief Ministers or Prime Minister should be member of the Lower House.

The Hon. Minister has stated that there are conventions in the Parliaments of Australia, Africa and in some other countries that a person who is member of either House can become Prime Minister or Minister. But the pupose of my Bill was that only Member of Lower House could become the Minister. Our democracy is different from others. The roots of democracy in England are deep. In one state of our country a person was given Chief Ministership for few days only because the other person had to be nominated in his place. In our country the

Prime Minister spends lakhs of rupees for election purposes and this money is taken from Government exchequer. Such things never happen in other democratic countries.

The Hon. Minister says that an expert may be needed for portfolio and he cannot contest election. I want to know the number of experts who are not the member of Lower House and have been given Ministership.

My purpose of bringing this bill is to prevent backdoor entry in the Government. Only that person should be given ministership who is well aware of the sentiments and feelings of the people. But to-day that person is given ministership who is favourite of a Chief Minister or the Prime Minister. Now a days only buttering counts. I have made a provision in my Bill for only elected person to become a Minister. Taking into consideration the past experience for the last twenty years, it is necessary to give ministership only to the Member of Lower House.

It is good that all the sections of the House have supported my Bill. It has been said on behalf of the Government that they accept the spirit of the Bill in the case of Prime Minister or the Chief Minister. But why should it not be accepted for other ministers ? It is in the interest of the people to have Ministers from the Lower House. After all, in a democracy, the Prime Minister alone can not take any decision. It is the joint responsibility of the cabinet.

I appreciate that the Hon. Minister has accepted its spirit so I beg leave of the House to withdraw my Bill.

Mr. Speaker: Has the Hon. Minister leave from the House to withdraw the Bill ?

Some Hon. Members: Yes, Sir.

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया
The Bill by leave was withdrawn

उच्चतम न्यायालय के अपीलीय (आपराधिक) क्षेत्राधिकार का विस्तार विधेयक

ENLARGEMENT OF THE APPELLATE (CRIMINAL) JURISDICTION OF THE SUPREME COURT

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आपराधिक मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

मेरा विधेयक उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के बारे में है । इस विधेयक प्रवर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जो सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष पहुंची कि इस विधेयक में निहित मूलभूत सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और इस विधेयक को सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । सरकारी पक्ष से प्रस्तुत किये गये संशोधनों से लगता है कि वे विधेयक को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार न करके इसको संशोधित रूप में स्वीकार करना चाहते हैं । परन्तु मेरा इससे विरोध है क्योंकि इस प्रकार किसी नागरिक के स्वतन्त्रता के अधिकार को संशोधनों द्वारा सीमित कर दिया जायेगा ।

मैं इस विधेयक को तीन बातों पर विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। पहला इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ? दूसरा, क्या यह उद्देश्य वांछनीय और साम्य है और तीसरा इस उद्देश्य के वांछनीय होते हुए भी हम क्यों नहीं नागरिक को उसका अधिकार दे रहे हैं ?

इस सभा में सभी सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नागरिक का स्वतन्त्रता का अधिकार अति महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का यही आधार है। उसके अधिकारों को नियन्त्रित या सीमित नहीं किया जा सकता।

यदि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है तो उसका स्वतन्त्रता का अधिकार यह मांग करती है कि उस पर निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की जाये। यदि ऐसा नहीं होता तो स्पष्टः ही उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं की जा सकती। वर्तमान कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं वर्तमान कानून की कतिपय व्यवस्थाओं की ओर आप लोगों का ध्यान दिलाऊंगा। वर्तमान कानून के अन्तर्गत यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को दण्ड देता है तो उसे कतिपय मामलों में अपील करने का अधिकार दिया जाता है। केवल मामूली दण्ड देने की स्थिति में ऐसा अधिकार नहीं मिलता। परन्तु जहां तक रिहाई के मामले का सम्बन्ध है, विदेशी शासन के समय इसके विरुद्ध बहुत कम अपीलें दायर की जाती थीं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों को बदला और राज्य तथा व्यक्ति को रिहाई के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया। परन्तु हमने उस दोषी व्यक्ति के लिये क्या किया जिसके विरुद्ध अपीलीय न्यायालय ने रिहाई के पूर्व आदेश को रद्द करके पुनः दोष सिद्ध किया है। हमने उस व्यक्ति को दोषसिद्ध के विरुद्ध अपील करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। अतः स्पष्ट ही राज्य और शिकायत-कर्ता के प्रति उदारता का रुख अपनाया गया है, इस विधेयक का उद्देश्य इस विषमता को दूर करना है।

हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि उच्च न्यायालय मृत्यु दण्ड दे देता है तो सम्बन्धित व्यक्ति को अपील करने का अधिकार दिया जाता है। परन्तु उन मामलों पर, जहां उच्चन्यायालय अपील की सुनवाई के बाद कोई और सजा सुना देता है, उच्चतम न्यायालय में अपील करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वह व्यक्ति केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 और 136 की उपधाराओं के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है जो कि उसके लिये इतनी सहायक नहीं होती है।

अनुच्छेद 134 और 136 के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्ति को कोई संरक्षण नहीं मिलता क्योंकि इन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रस्तुत सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। मैं इसको बढ़ा-चढ़ा नहीं कह रहा हूं। यदि 100 अपील दायर की जाती हैं तो उसमें से केवल 5 को ही अनुमति मिलती है और शेष को उच्च न्यायालय खारिज कर देता है। इस प्रकार नागरिक के अधिकार को सीमित कर दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय इंग्लैंड के प्रिवी कौंसिल की परम्परा को अपनाता है जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि हमारे यहां आपराधिक अपील नहीं की जा सकती है। अतएव यह ऐसी

अपीलों को अस्वीकार कर देता है। उसका कहना है कि उच्चतम न्यायालय का कार्य केवल कानूनी पहलू को लेकर कार्य करना है और वस्तुतथ्यों के प्रति वह उदासीन है। मेरे लिये यह बात स्वीकार करना कठिन है कि उच्चतम न्यायालय का कार्य कानून को ही लागू करना है और इसका न्याय देने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसके अलावा इंग्लैंड की यह परम्परा दो बातों पर आधारित है जोकि वहां के आपराधिक न्याय निर्णय में विद्यमान है और जो हमारे यहां नहीं है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम जूरी तथ्यों की छानबीन करते हैं, वहां पिअर यह जांच करते हैं कि क्या आपके विरुद्ध मामले का साक्ष्य सही है या नहीं। परन्तु हमारे यहां तो न्यायाधीश केवल कुछ अधिनियमों की व्याख्याओं पर ही अपने निष्कर्ष निकाल लेता है। मेरे विचार में आपराधिक मामलों में नागरिक की मुख्य शिकायत यह रहती है कि जांच करने वाली एजेन्सी द्वारा साक्ष्य को झूठ-मूठ गढ़ लिया जाता है। यहां के न्यायाधीश जनता से बिल्कुल अलग ही रहते हैं। वे उनकी कठिनाइयों को समझ नहीं पाते।

इंग्लैंड में रिहाई के आदेश के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके होते हुए भी हमने प्रिवी कौंसिल द्वारा आपराधिक मामलों के लिए निर्धारित सिद्धान्तों का अन्धाधुंध अनुकरण किया है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि विधेयक में प्रस्तुत मांग उचित है। स्पष्टः ही जब एक व्यक्ति को सजा दी जाती है तो यह भी हो सकता है कि न्यायालय गल्ती कर सकता है अतएव इसके पुष्टीकरण के लिए प्रत्येक देश में अपील करने के अधिकार की व्यवस्था है। जब उच्च न्यायालय दण्ड के आदेश को पुष्ट कर देता है तब ही उस व्यक्ति के विरुद्ध दोष सही सिद्ध माना जाता है। उन मामलों में, जहां कि अपराधी निचले न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाता है परन्तु उच्चन्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है, उसको अपील करने के अधिकार से वंचित किया जाता है। इस प्रकार आपने देश के नागरिकों को स्वतन्त्रता के मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया है। सिद्धान्ततः उसको उच्चतम न्यायालय में निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होना चाहिए।

इस देश में उच्चन्यायालय के केवल दो न्यायाधीश फैसला देते हैं। ये दो न्यायाधीश निचले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का पुनर्विलोकन करते हैं और साक्ष्य को मूल्यांकन करने की इनकी कतिपय पद्धतियां होती हैं। यहां न्यायालय किसी गवाह के समूचे कथन पर विश्वास न करके एक बात पर विश्वास कर सकता है। इस प्रकार की पद्धति इस देश में है। मुझे संदेह है कि क्या इस प्रकार हम नागरिक की स्वतन्त्रता को कायम रख रहे हैं। यहां जांच करने वाली एजेन्सी की कार्य पद्धति देखकर ऐसा लगता है कि हम नागरिक की स्वतन्त्रता को खतरे में डाल रहे हैं। यदि कोई गवाह किसी बात पर झूठ बोल रहा है तो हम उस पर विश्वास न करके अन्य बातों पर विश्वास कर लेते हैं। यदि साक्ष्य के मूल्यांकन करने का यही तरीका है तो दोषी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

मैंने प्रवर समिति को प्रस्तुत सभी प्रतिवेदनों और राय का विश्लेषण किया है। उसमें पहला आक्षेप यह है कि अभियुक्त को अपील करने का अधिकार देकर उच्च न्यायालय का मान कम हो जायेगा। यह एक आश्चर्य की बात है कि नागरिक के मूलभूत अधिकारों के महत्व को गौण करके उच्च न्यायालय का मान बढ़ाया गया है। हम इस प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये इस देश के नागरिकों के अधिकारों का बलिदान नहीं कर सकते हैं।

दूसरा आक्षेप यह है कि इससे उच्चतम न्यायालय का कार्य बढ़ जायेगा, यह एक अद्भुत तर्क है। यदि आप किसी नागरिक को उसकी सम्पति की रक्षा करने के लिये उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार दे सकते हैं। तो ऐसा अधिकार उस व्यक्ति को क्यों नहीं दिया जाता जिसको 10 या 20 वर्ष का कारावास मिला हो, हमने अपना संविधान बहुत त्रुटिपूर्ण मूल्यों पर आधारित बनाया है। यदि हम किसी अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं दे सकते हैं तो हम उसके हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं।

लगभग सभी बार एसोसिएशनों ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है कि इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाना चाहिए। अनेक ने यह भी कहा है कि इसको विस्तृत किया जाना चाहिए। कुछ न्यायाधीश यह कहते हैं कि यथावत् स्थिति रखी जानी चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 134 और 136 किसी अपराधी व्यक्ति की हितों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त हैं।

इन आठ वर्षों में, जिसके आंकड़े सरकार ने प्रवर समिति को दिये थे, 51 ऐसे मामले हुए हैं जिनमें 10 वर्ष या इससे अधिक की सजा दी गई है और रिहाई के आदेश को अस्वीकृत कर दिया गया। क्या सरकार इस संख्या के आधार पर कहती है कि इससे उच्चतम न्यायालय का काम बढ़ जायेगा? सरकार को चाहिए कि वह जनता की भावनाओं को समझे न कि केवल प्रशासन सम्बन्धी बातों को ही देखे। वास्तव में जनता के हितों के लिये प्रशासन सम्बन्धी इन कठिनाइयों को हल किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

Mr. Chairman: The Motion moved:

"That the Bill to enlarge the appellate Jurisdiction of the Supreme Court in regard to criminal matters, as reported by select committee, be taken into consideration".

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा इसको कुछ बातों के सम्बन्ध में सविस्तार बोलना चाहता हूं।

पहला, इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्ति और राज्य के बीच विद्यमान भेदभाव को दूर करना है दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को रिहा कर देती है तो राज्य उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वह परन्तु व्यक्ति उच्च न्यायालय से सजा मिलाने पर फिर अपील नहीं कर सकता है। यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को आजन्म या इससे कम अवधि का कारावास का दण्ड मिलना है तो उसे अपने बचाव के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है।

कोई व्यक्ति 20,000 रुपये या इससे अधिक मूल्य की सम्पति के मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है परन्तु आजन्म या इससे कम अवधि का कारावास पाने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। इस प्रकार की बात हमारे संविधान के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। हमारा संविधान प्रजातांत्रिक है और यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

यह एक आश्चर्य की बात है कि उच्चतम न्यायालय तथ्यों की जांच नहीं करता। मैं श्री मुल्ला के इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं कि यह सम्भव हो सकता है कि उच्च न्यायालय में जो बात अस्वीकार कर दी गई है उसे उच्चतम न्यायालय स्वीकार कर सकता है तथा इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है और यह आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय भी तथ्यों की छानबीन करे। जब उच्चतम न्यायालय संवैधानिक तथा कानूनी मामलों की जांच कर सकता है तो वह ऐसा वस्तु तथ्यों के साथ भी कर सकता है।

यह तर्क दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के पास अपील सुनने के लिये समय नहीं है और उनका काम बढ़ जायेगा। ऐसा कहना बुद्धि को अपील नहीं करता। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यदि ऐसे मामलों की संख्या नगण्य भी है तो भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि यह नागरिक के मूलभूत अधिकारों से सम्बन्धित है।

Shri Himmat Singka (Godda): After listening to the arguments of Shri Mulla, I now support the Bill. If the High Court can entertain the appeal of the complaint and the State, why the same facility is given to the accused?

If we take into consideration the figures for the last eight years then we will, find that the number of appeals is not more than fifty or fifty one. This will not add to the work of the Supreme Court.

So I support the Bill introduced by Shri Mulla.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): I support the Bill for two reasons. Firstly we should know the difference of appeals between the law of property and the punishment given under criminal suits. The difference is based on money which is totally against the spirit of the socialism. This system should be ended. Instead of bringing amendment the Hon. Minister should congratulate Shri Mulla.

We have come to know that the Death Penalty is being abolished in England and the Hon. Minister does not want to give right of appeal in the Supreme Court. This is the system prevailing in our democratic country. I will ask Shri Mulla to slacken the conditions and every one should be given the right of appeal.

Secondly, the cases of criminal suits are just like gambling. The accused can be released or given punishment. Who knows he may be released in the Supreme Court and lead a useful life for the society. Generally evidences are fabricated in criminal cases. So I will say that it is injustice to deny the accused the right of appeal.

The Hon. Minister should make use the experience of Shri Mulla. He should not be afraid of the officials. The facts and reality should be taken into consideration along with the rules etc. I will ask Shri Mulla not to lay any proviso. The right of appeal also should be given to a person who has been awarded ten year's imprisonment. This argument is baseless that the court has much work.

With these words I support the Bill.

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : यह प्रसन्नता की बात है कि इस विधेयक का समर्थन सर्वसम्मति से हुआ है । भारत में हम आपराधिक कानून का आधार पूर्वानुमानों तथा परम्पराओं और इंग्लैण्ड के कानून को बनाते हैं, भारत में यह सिद्धांत बनाया गया है कि सैकड़ों अपराधी कानून की पकड़ से बच सकते हैं परन्तु किसी भी निरपराध व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये ।

मामले के बचाव पक्ष में कोई भी कमजोरी आने से मुकदमे का पक्ष मजबूत नहीं माना जाना चाहिये । अतः इस बात को देखते हुए मैं विधेयक का समर्थन करना चाहूंगा ।

मुझे आशा हैं कि परिचालित किये गये संशोधनों की इन तर्कों को सुनकर वापिस ले लिया जायेगा । भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 और 136 नागरिक की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त नहीं है, अनुच्छेद 133 के अनुसार 20,000 रुपये तक मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता है परन्तु एक व्यक्ति, जिसे आजन्म अथवा 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि का कारावास मिलता है, उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है, क्या व्यक्ति का मूल्य 20,000 रु० से कम हैं ? हमें श्री मुल्ला का तर्क स्वीकार कर विधेयक को पारित करना चाहिये ।

यह कहा जाता है कि इससे उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी । मैं कहना चाहूंगा कि किसी नागरिक का अधिकार और स्वतंत्रता उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा से अधिक हैं । दूसरा, यह कहना कि इससे उच्चतम न्यायालय का काम बढ़ सकता है परन्तु यह तर्क वजन दार नहीं है ।

तमिल में एक कहावत है जिसके अनुसार मनुष्य का जन्म लेना सरल नहीं है । यह एक अमूल्य जीवन होता है और किसी को उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार को न देकर उसके जीवन में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।

अतः यह आवश्यक है कि इस विधेयक को सभा की अनुमति से पारित कर दिया जाये । मेरा प्रस्तावक की ओर से मंत्री महोदयों से यह अनुरोध है कि संशोधनों को वापिस ले लिया जाये ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : यह कहा गया है कि अपील का अधिकार देने से उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा कम हो जायेगी, परन्तु उच्च न्यायालय तो इसके पक्ष में है । यह तो उच्चतम न्यायालय ही ऐसा कह रहा है अतएव इसमें कोई वजन नहीं है ।

[**श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए**
Shri M. B. Rana in the Chair]

विधि मंत्री महोदय की आपत्ति यह है कि इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ऐसा न्यायालय बन जायेगा जहां दूसरी बार अपील की जाने की व्यवस्था हो जायेगी । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि जब न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा कर देता है तो उसका अपील करने का प्रश्न नहीं उठता, परन्तु जब उच्च न्यायालय उसके रिहा के आदेश को रद्द करके दस वर्ष का कारावास दे देता है तो उच्चतम न्यायालय में उसकी पहली अपील हुई, दूसरी अपील नहीं हो सकती ।

यदि हम इसे दूसरी अपील भी मान लें तो इसमें क्या हानि है। पहले अंग्रेजों के शासन काल में जिलाधीशों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की व्यवस्था थी, परन्तु अब यह तर्क नहीं रहा। यदि मृत्यु दंड तथा आजन्म कारावास के मामले में सरकार अपील करने के अधिकार को स्वीकार करती है तो यही बात अन्य मामलों में भी स्वीकार क्यों नहीं करती ? दस वर्ष का कारावास कम नहीं होता है।

कारावास का जीवन बहुत कठोर होता है। अपराधी को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार मिलना ही चाहिये, यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपील कर सके। अतएव मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ाने वाले श्री मुल्ला के विधेयक का समर्थन करता हूं। इस मामले पर सैद्धान्तिक या बौद्धिक दृष्टिकोण से विचार न कर वकीलों या न्यायाधीशों के दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिये।

इस समय यदि कोई मामला 20,000 रुपये की धनराशि का है तो उस मामले में उच्चतम न्यायालय को अपील की जा सकती है। लेकिन एक ऐसे आपराधिक मामले में, जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास या दस वर्ष का कारावास दिया गया हो, उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

विधि मंत्री की यह धारणा गलत है कि उच्चतम न्यायालय को दूसरी अपील की जायेगी। यह बात अपील करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। यह मूलभूत बात है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

यदि कोई अभियुक्त सत्र-न्यायालय द्वारा बरी कर दिया जाता है तो सम्बद्ध राज्य द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। यदि उच्च न्यायालय बरी के आदेश को बदल देती है और उक्त व्यक्ति को दोषी घोषित करती है तो क्या उस स्थिति में अभियुक्त को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होगा ? अतः निर्णय अभियुक्त के विरुद्ध हो तो अभियुक्त को उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

हमें इस मामले के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये।

आपराधिक न्यायशास्त्र का यह स्वीकृत सिद्धान्त कि संबंधित व्यक्ति को अपील करने का कम से कम एक बार अवश्य अधिकार किया जाना चाहिये। इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता।

अपराध भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ अपराध भारतीय दण्ड प्रक्रिया या विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत आते हैं। पहले मामले में निम्न न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। कुछ हत्या या इसी प्रकार के गम्भीर मामले होते हैं। इन मामलों में सर्वप्रथम सत्र न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मुकदमा आरम्भ होने के बाद उच्चतम

न्यायालय में अपील की जा सकती है। सरकार उच्च न्यायालय के बाद अपील करने की व्यवस्था समाप्त कर रही है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि उच्चतम न्यायालय में बहुत बड़ी संख्या में मुकदमें विचाराधीन पड़े हैं लेकिन इसके अपील करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 138 (2) में कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की व्यवस्था है। हम ऐसा पहले भी करते आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया है और कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया है।

विधि मंत्री ने इस सिद्धांत से सहमति प्रकट की है कि आजीवन कारावास के मामले में अभियुक्त को अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। यदि हमें जनता के लिये न्याय की व्यवस्था करना है तो इस विधेयक को स्वीकार करना आवश्यक है और मैं विधि मंत्री से निवेदन करूंगा की वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मैं श्री मुल्ला को बधाई देता हूं। 20,000 रुपये से अधिक धनराशि के दीवानी मुकदमें में उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति है और इसे दूसरी अपील की संज्ञा नहीं दी जाती। वास्तव में यह दूसरी अपील से ज्यादा है। सरकार का आजीवन कारावास के मामले में दूसरी अपील की अनुमति न देने के क्या कारण हैं? जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र देती है कि उक्त मामलों में अपील की जा सकती है तो क्या यह दूसरी अपील का मामला नहीं है? जब उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अपील की अनुमति दी जाती है तो क्या यह दूसरी अनुमति का मामला नहीं है?

श्री मुल्ला के विधेयक के अनुसार दस वर्ष से अधिक कारावास दिये जाने के मामले में और मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा बरी के निर्णय को बदलने के मामले में अपील करने का अधिकार है। मेरे विचार से ऐसे मामले में भी, जहां निचले न्यायालय से मुकदमा वापिस लेने पर उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को मौत की सजा या आजीवन कारावास देने का निर्णय दिया हो, अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

यह समयानुकूल विधेयक है। इससे उन अभियुक्तों को बहुत राहत मिलेगी जो इस अधिकार के लिये घोर परिश्रम कर रहे थे। यदि अभियुक्तों को यह राहत दे दी गई तो उच्चतम न्यायालय तथ्य और कानून की जांच कर सकेगा और अभियुक्तों को आवश्यक राहत मिल सकेगी।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): We are in support of second appeal to Supreme Court. It is very strange that a second appeal can be made in the case of property, but a second appeal cannot be made in case of life imprisonment. When capital punishment is being abolished, it will be a great injustice not to allow second appeal in such matters. Injustice in society is the root cause of all evils. If we embark upon a socialist society and

remove economic disparities prevailing in our society, there will hardly be any need to take recourse to this enactment.

The spirit behind this Bill is laudable. Therefore, I support this Bill whole heartedly.

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : न्यायिक प्रशासन में सुधार करने के लिये विधि आयोग कार्य कर रहा है। वर्ष 1958 में 14 वां प्रतिवेदन प्रकाशित होने से पूर्व, आयोग ने उच्च न्यायालय के अपील के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया था। लेकिन इस सम्बन्ध में किसी संगठन या व्यक्ति विशेष ने आयोग के सम्मुख कोई भी साक्ष्य नहीं रखे जिनके आधार पर आयोग उच्च-न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के बारे में अपनी राय दे सकता।

सर्च्वोच न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के बारे में विधि आयोग ने पुनः विचार किया था और इसने अपने 41 वें प्रतिवेदन में यह विचार प्रकट किया था कि ऐसे मामले में, जहां उच्च न्यायालय ने बरी के आदेश को उलट कर 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास का दण्ड दिया हो, अपील के अधिकार का बढ़ाना उचित नहीं होगा।

यदि इस विधेयक को लागू कर दिया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 64 आपराधिक अपील दर्ज की जाएंगी। वर्ष 1960 से 1968 के बीच केवल 8 अपीलें दर्ज की गईं। यदि दस वर्ष से अधिक कारावास के मामले में अपील करने की अनुमति दे दी जायेगी तो सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों की भरमार हो जायेगी।

श्री मुल्ला द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सभा का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है। इस लिये मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता और इस विधेयक को इसके मूल रूप में स्वीकार करता हूं।

श्री आ० ना० मुल्ला (लखनऊ) : जम्मू और कश्मीर को विधयक के अन्तर्गत लाने से साधारण विधेयक संवैधानिक विधेयक में बदल जाता है और उसको पारित करने के लिये भारी बहुमत और भिन्न प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता होती है। विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार को बढ़ाना उचित नहीं होगा।

माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़े मेरे आंकड़ों से भिन्न हैं।

यदि अपील के मामलों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी तो इससे सर्वोच्च-न्यायालय के कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अपील के मामलों की संख्या में वृद्धि होती है तो इससे बहुत कठिनाई होगी और इसका अर्थ होगा कि इतने अधिक बरी के मामलों में हमारे उच्च-न्यायालय में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

मेरे विचार में सरकार के लिये अपीलों की संख्या को कम रखना उचित होगा ताकि उच्चन्यायालय की प्रतिभा बनाई रखी जा सके।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपराधिक मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

सभापति महोदय : क्योंकि सरकार की ओर से कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अत: मैं खण्डों को सभा में मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ा गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री आ० ना० मुल्ला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधयक को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 32 और 226 का संशोधन)

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सरकार को भी इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये । संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत करने के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं है । किसी उचित मामले में न्यायालय ऐसी याचिकाओं को भी स्वीकार कर सकती है जो निर्धारित समय के भी पश्चात प्रस्तुत की गई हों, संविधान निर्माताओं ने बुद्धिमत्तापूर्ण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय

में उक्त दो अनुच्छेदों के अन्तर्गत अपील करने की सीमा नहीं रखी है। जब संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 32 या 226 में किसी व्यक्ति को किसी समय न्यायालय में जाने के अधिकार है तो न्यायालय द्वारा समय की सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में दिये गये इन अधिकारों में हस्तक्षेप करने से खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये हमारे आधारभूत अधिकार हैं। यदि संसद का यह विश्वास है कि संविधान में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिये और इसमें समय सीमा जोड़ी जानी चाहिये, तो वह ऐसा कर सकती है लेकिन उच्चतम न्यायालय के लिये यह उचित नहीं है कि वह विभिन्न मामलों में अपना स्वविवेक प्रयोग करके धीरे-धीरे समय सीमा को इसमें जोड़ दे। संविधान में समय सीमा की कोई व्यवस्था नहीं है अतः मुख्य न्यायाधिपति ने यह सुझाव दिया था कि न्यायालय प्रत्येक मामले के अनुसार समय सीमा सम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन करें। ऐसा करने का दायित्व संसद पर है, न्यायालयों पर नहीं। मुझे आशा है सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी और इस विधेयक का समर्थन करेगी।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : श्रीमान्, मैंने प्रस्तावक महोदय, श्री तेन्नेटि विश्वनाथम का भाषण सुना है। मैं उनके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और विचारों की सराहना करता हूं। किन्तु जो संशोधन वह संविधान में करना चाहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान के वर्तमान उपबन्धों में सीमा निर्धारित नहीं की गई है। क्या हमें न्यायाधीशों के स्वविवेक को सीमित कर देना चाहिये ? यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 और 226 के अन्तर्गत मामले को दो या तीन वर्ष बाद उच्चतम न्यायालय में उठाना चाहता है तो क्या उसे अनुमति दे दी जाय ? प्रश्न तो यह है कि क्या याचिका देने वाले को उच्चतम न्यायालय में जाने की अनुमति किसी भी समय दे दी जाय। श्री विश्वनाथम के अनुसार न्यायाधीशों को स्वविवेकानुसार कार्य करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। श्री तेन्नेटि और उनके विचारों का समर्थन करने वाले क्या यह बतलायेंगे कि न्यायाधीशों के स्वविवेक के कारण कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है। यदि ऐसे मामलों की संख्या अधिक होगी तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करूंगा कि न्यायाधीशों से स्वविवेकानुसार निर्णय करने की शक्ति को छीन लिया जाये। यदि प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो याचिका दायर करने वाले को यह शक्ति प्राप्त हो जायेगी कि वह जब चाहे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। श्री बनर्जी आदि यही चाहते हैं कि लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो जाय कि लोग जब चाहें, अनुच्छेद 32 और 226 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में जायें। यह सच है कि संविधान इस बारे में चुप है कि समय कितना दिया जाये। संविधान के अनुसार नागरिक के लिये मार्ग खुला रहता है। किन्तु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वविवेक प्राप्त है। श्री बनर्जी के जनता के तथाकथित न्यायालयों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि मूल अधिकारों से सम्बन्धित याचिका पर किसी भी समय विचार कर लिया जाये। मुझे संदेह है कि उन न्यायालयों में भी लोगों का 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी याचिका दायर करने की अनुमति होगी। अतः मेरी दृष्टि से यह संशोधन व्यर्थ है, इस लिये मैं विधेयक से सहमत नहीं हूं।

श्री जी० विश्वनाथन (वंडीवाश) : श्री विश्वनाथम द्वारा लाये गये विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिये । श्री रा० ढो० भण्डारे ने इसका विरोध किया और विधेयक को अनावश्यक बताया । उन्होंने यह तर्क भी दिया कि संविधान समय-सीमा के बारे में चुप है । इस बात से ही संविधान निर्माताओं के आशय का पता चलता है कि वे लोगों को याचिका दायर करने के लिए कई वर्ष का समय देना चाहते थे । निचले न्यायालय में अपील करने के लिये 30 दिन की सीमा और बड़े न्यायालय में अपील करने के लिये 90 दिन की सीमा निर्धारित की गई है । किन्तु उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है । भारत में अनुच्छेद 32 और 226 पर सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था आधारित है । इनमें लोगों को न्याय प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है । न्यायाधीश इस सुविधा को अपने स्वविवेक से आवेदन को रद्द करते हुए न छीनें ।मैं श्री भण्डारे की इस बात से सहमत हूं कि समय-सीमा कई वर्ष नहीं होनी चाहिये । यदि आप चाहते हैं कि लोगों को उनके अधिकार मिले रहें, तो सरकार को इस विधेयक के सिद्धान्त को मान लेना चाहिये और अपनी ओर से उस आशय का एक विधेयक लाना चाहिए । उसमें ऐसी व्यवस्था भी हो जिससे बन्दी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश जैसी याचिका को लोग शीघ्र ही दायर कर सकें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री तेन्नेटि विश्वनाथम के विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरा विचार है कि याचिका देने वाले का अधिकार केवल इस कारण से न छीन लिया जाये कि उसने ऐसा करने में देर की है । कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ अनिवार्यताएं पूरा न होने के कारण सरकारी कर्मचारी याचिका दायर नहीं कर पाते हैं । इसका एक उदाहरण तो यह है कि प्रति रक्षा संस्थानों में काम करने वाले लगभग 3 लाख कर्मचारी अनुच्छेद311 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं कर सके थे । कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में तुरंत अपील कैसे दायर कर सकता है ? मैं स्वयं इसी बात का शिकार हुआ था जब कि 1955 में मुझे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया था, क्योंकि मैंने याचिका 3 महीने बाद दायर की थी । इस प्रकार मुझे अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाला लाभ नहीं मिला था । अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वविवेक प्रयोग में लाने का अधिकार दे दिया गया है । कभी-कभी न्यायाधीश जान-बूझकर निर्णय देने में विलम्ब करते हैं । जैसे बैंकिंग अध्यादेश की वैधता के बारे में निर्णय देने में विलम्ब किया जा रहा है ।

मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि सभा में एक संशोधन लाया जा रहा है जिसके अनुसार अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत याचिका न केवल घटना क्षेत्र में स्थित उच्च न्यायालय में बल्कि किसी भी उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है । मैं चाहता हूं कि किसी भी हालत में विलम्ब के कारण अस्वीकृत या विधि द्वारा निर्धारित सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए । उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को न्याय से केवल इस आधार पर वंचित न किया जाये कि उसने याचिका देर से दायर की है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : श्री बनर्जी ने जो कहा, उस पर मुझे खेद है । इस सम्बन्ध में मेरा यह अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में चर्चा करते समय राजनीति को बीच में न घसीटा जाये । जहां तक प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध है, मैं उसके प्रस्तावक की सराहना करता हूं कि उन्होंने याचिकायें दायर करते समय अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का पूर्वानुमान किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन पूरा करें । अब हमें आधे घण्टे की चर्चा लेनी है ।

---

* * बैनेट कौलमैन एण्ड कम्पनी का प्रबन्ध

**MANAGEMENT OF BANNETT COLEMAN & CO.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Deputy Speaker, Sir today I am raising a half-an-hour discussion on M/s. Bennett Coleman and Company. This case goes to prove as to how the supporters of socialism influence the capitalists. M/s Bennett Coleman and Company is the biggest Company in the country, which is running about 17 news papers in India. This company has incurred the wrath of Government at two particular occasions and as a result this Company law was modified. In accordance with the first amendment in the law of this Company a provision was made for appointment of an Inspector to enquire into the accounts of Bannett Coleman and Company. This provision was made to give protection not only to shareholders but to look after public interest too. Mr. S. P. Chopra was appointed for the purpose. He brought to light some cases of misappropriation involving crores of rupees. Here I am very sorry to point out that Government have so far taken no action in that matter. In this case Government should have gone to courts and filed a criminal case against Shri Shanti Prasad Jain, the owner of Bennett Coleman and Company. Should Government have done it, Shri Jain might have been imprisoned and declared disqualified to be the Director of any firm. On these grounds there has been an agreement between the Government and Shanti Prasad Jain. Though I have no specific figures, yet I am of the firm opinion that Government extracted about one crore rupees from Shri Shanti Prasad Jain in various ways. An emergency meeting of the cabinet was called on the night of the day on which the votes cast in the Presidential election were being counted. In that meeting an agreement with Shanti Prasad Jain was entered into. The agreement was : A Board of Directors consisting of 5 representatives of Shanti Prasad Jain will be appointed. Next day the sitting of the court took place. But the copy of this agreement was not placed before the court. May I know the reasons for it ? I would like to know whether Shri F. A. Ahmad would place the proceedings of the cabinet relating to that decision on the Table of the House. The fact about the conclusion of this agreement was denied by the Government lawyer in the courts.

What does it mean ? I conclude from it that Government by entering into such secret agreements with the owners of newspapers went to utilize them for their own ends. Such agreement has badly affected the impartial and fearless journalists working in newspapers. Their condition is deplorable these days. Instead of the decision referred to above, Government should have taken the decision either to appoint a trust free from Government influence to

---

* * आधे घण्टे की चर्चा ।

**Half-an-Hour Discussion.

manage the affairs of this company or to appoint a trust entrusted with the work of formulating policies for the said company. But the Government did nothing like this.

In the end, may I know whether it is a fact that this case has been pending for the last 6 years and the case was not filed in the court against Shanti Prasad Jain because of the collusion of top officers of Ministry of law ; the total amount the Government have extracted from him during this period and the measures being taken to save the freedom of the newspapers belonging to this company likely to be affected by the said secret agreement of Government with Shri Shanti Prasad Jain ?

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : यह मामला संसद् के समक्ष कई बार उठाया जा चुका है। हम भी यह अनुभव करते हैं कि श्री शान्ति प्रसाद जैन और उनकी कम्पनी को सरकार ने विशिष्ट प्रकार से संरक्षण दे रखा है। तथा इस बात की पुष्टि करने के लिए बहुत से प्रमाण उपलब्ध हैं। समवाय विधि प्रशासन के अन्तर्गत इस कम्पनी की जांच की गई थी और कम्पनी द्वारा किये गये गोलमाल का पता चला था। क्या उक्त कम्पनी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है ? इस बात से भी आश्चर्य होता है कि जिस समय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन था उसी समय सरकार ने कम्पनी से समझौते की बात की। हमें यह भी पता लगा है कि इन्दिरा-समर्थक कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में साहू जैन का निजी विमान कई बार प्रयोग में लाया गया था। क्या यह बहुत गम्भीर अनियमितता नहीं है ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir may I know the ten instances of the restrictive trade practices in accordance with the Monopoly and Restrictive Trade practices Bill which has been passed recently, followed by M/s Bannett Coleman and Company ; the total financial help given by Government to this Government ; and whether Government intend to nationalise the newspapers run by this Company to ensure freedom of the press ?

Shri Rabi Ray (Puri) : I extend my thanks to Shri Shastri who has raised this matter in the House. A number of questions about Sahu Jain have already been asked in the House. It has become apparent that there is some kind of collusion between Indira Gandhi, the "Sarkari Seth", and S. P. Jain, the "Vyapari Seth", which will undoubtedly wreck the economy of the country. May I know whether it is a fact that Shri Ashok Jain, son of Shri S. P. Jain is the Chairman of the Board of Directors of this Company, and whether the Working Journalists or the employees of Bannett Coleman and Company have been represented on the new Board ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : Sir, Shri Shastri has rightly said that the report submitted by Shri Chopra revealed serious irregularities on the part of the company. But he is not correct in saying that the Government have so far taken no action on that report. On Shri Chopra's report we have taken several steps. In 1964 a request was made to the C. B. I. by the Ministry to investigate the case on the lines the investigations are made in criminal cases. After completing the investigations the C. B. I. filed a criminal case against the company in July.

As far as the Company Department is concerned they took action as far as possible. Under Section 398 we took steps to change their management and under 388 (b) we sought orders from the court declaring those Directors of the Company disqualified to be director in any company against whom adverse comments have been made in the report. As far as 388

is concerned we did not delay the matter. Shri S. P. Jain filed a writ petition in the Calcutta High Court against our application made under Sec. 388. As far as Sec. 398 is concerned, which authorises change in management, our application has been pending before the Court since 1964. I want to emphasize that we did not delay the matter. So I refute the charge levelled against us that inspite of the report made by Shri Chopra the Government did not take any action at all. We took action in 1964 as soon as we received the report. If the appeal is pending in the Court and has not been disposed of since then, how can we be blamed ?

As far as the question of management is concerned, we saw that the newspaper was incurring heavy losses. Shareholders too made an appeal to the Court in which they stated that they agreed with the arrangement is respect of management made by the Court even before the case has been finally disposed of by the Court. We also agreed to it. Thereafter, the question of compromise arose. We suggested that the Board should be constituted which should have a majority of Government nominees, that the persons against whom proceedings were going on in the Court were not be included in the Board ; and that no action should be taken against those employees of the Company who gave evidence against the said Company. The last meeting was held on the 27th in which it was decided that there would be 5 directors from Government side and 4 Directors from the Company's side in the Board of Directors and that they would remain in office for a term of 3 years. We gave five names Shri Kumaramanglam, Shri Hazare, Shri Trivedi, Shri Hasker and Shri Nag. We suggested the names of those persons who are men of integrity and have experience in the line or who are famous in other fields of activities. The Court on its behalf appointed Sarvashri S. M. Dhanukar, K. S. Engineer, G. V. Desai and G. D. Parekh as members and Shri K. T. Desai as Chairman of the Board. Out of the 5 names suggested by us, Shri Kumaramanglam, Shri R. K. Hazare and Shri H. M.Trivedi were nominated.

Shri Rabi Ray : What are the facts about the reported proposal of the Government to appoint Shri Ashok Kumar Jain as Chairman ?

Shri F. A. Ahmed : I shall clarify it also. There were 11 members on the Board. On behalf of the shareholders the court appointed Shri Mauli Chandra Sharma, Shri Narendra Kumar and Dr. M. L. Singhvi as Directors. Later on Dr. Singhvi resigned and he was replaced by Shri Ashok Kumar Jain on the suggestion of the Court. These are the facts.

In the end I would like to say that it is not the practice to place the decision of the cabinet before the House. So I am not in a position to do so. But I may assure Shri Shastri that the cabinet neither discussed any names nor persons. The Government agreed with the general principles that there should be majority of Government Directors that their term should be for 3 years and that protection should be provided to the Government employee.

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, 20 दिसम्बर, 1969/29 अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, December 20, 1969/Agrahayana 29, 1891 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—18-3-70—340